लोक-सभा वाद-विवाद

ततीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[तृतीय माला, खंड ७—अंक ११ से २०—२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २० अगस्त १९६२, / २९ श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १३२३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४३९, ४६७, ४४० से ४४३ और ४४६ से ४४९ १३२२—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४४, ४४५, ४५० से ४६६ और ४६८ से ४७४ १३४५—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १२१९ और १२२१ से १२५३ १३५६—१४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४३१

राज्य सभा से सन्देश १४३६

अणु शक्ति विधेयक १४३६—४८

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ३२ और १ १४४८—४९

पारित करने का प्रस्ताव

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिलावटी और नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री १४४९—६२

दैनिक संक्षेपिका १४६३—७१

अंक १२—मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२ / ३० श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७६, ४७७ और ४८० से ४८४ १४७३—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४७९ और ४८९ से ५१६ १४९६—१५०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२७०, १२७२ से १३८४, १३८६ से १४०० और १४०२ से १४२६ १५०८—८४

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में १५८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५८४—८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन १५८५

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित—	
(१) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	१५८५–८६
(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	१५८६
(३) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८
विधेयक पारित—	
(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७–८७
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८–८९
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५८९—९१
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	१५९१—१६२३
दैनिक संक्षेपिका	१६२४—३३

अंक १३—बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ / ३१ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५३१	१६३५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१६६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ और ५३२ से ५४६	१६६३—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२७, १४२८, १४३० से १४९९, १५०१ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५१०	१६७२—१७१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	१७११–१२
(१) 'स्वाधीनता' में एक चित्र का प्रकाशन	
(२) दिल्ली में डिप्थीरिया का फैलना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७१२–१३
राज्य सभा से सन्देश	१७१३–१४
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि	१७१४
तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर में शुद्धि	१७१४

विषय	पृष्ठ
सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य १७१४, १७१८—१९	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव १७१४—१८, १७१९—३६, १७३७—५०	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	१७५१—५७
अंक १४—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२ / २ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५५४, ५५६ से ५६२ और ५६४ से ५६७	१७५९—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	१७८३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४७, ५४८, ५५५, ५६३, और ५६८ से ५७४	१७८५—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ से १५१८, १५२० से १५९७, १५९९ और १६०१ से १६२६	१७९०—१८३८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़	१८३८—४०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(३) संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	१८४१—४४
अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	१८४५—५४
विचार करने का प्रस्ताव	१८५१—५४
खंड २, ३, १-क और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूप-भेद के बारे में प्रस्ताव	१८५४—५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१८५७
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	१८५७—७०
अनुसंधानकर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में प्रस्ताव	१८७०—७४
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१८७४
दैनिक संक्षेपिका	१८७५—८१

विषय	पृष्ठ
अंक १५—शनिवार, २५ अगस्त, १९६२ / ३ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ से ५८५ और ५८७ से ५९०	१८८३–१९०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५९१ से ६११	१९०६–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ से १७२९ और १७३१ से १७३३	१९१८–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९६५–६६
सभा का कार्य	१९६६
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१९६६
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	१९६७–९१
दैनिक संक्षेपिका	१९९२–९८
अंक १६—सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ / ५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६१६, ६१८ से ६२२ और ६२४ से ६२६	१९९९–२०२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६२३, ६२७ से ६३२ और ६३४ से ६४२	२०२६–३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७३९, १७४१ से १७४३, १७४५ से १८००, १८०२ और १८०३	२०३४–६९
सभा पटल पर रखे गय पत्र	२०६९–७१
गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधयक—पुरस्थापित	२०७१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२०७१–७३
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	२०७३–२१०७
दैनिक संक्षेपिका	२१०८–१३
अंक १७—मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२ / ६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ से ६५७	२११५–३९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२१३९–४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ से ६६६	२१४२–४५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०४ से १८९६	२१४५–८७

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१८७
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२१८७–९०
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा -	
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२—	
विचार करने का प्रस्ताव	२१९१–२२१२
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक का खंड १ तथा २	२२१३
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव	२२१३–१७
दैनिक संक्षेपिका	२२१८–२३
अंक १८—बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ६८१	२२२५–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ८९६	२२४९–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९७ से १९९१, १९९३ से २००२ और २००४ से २०१०	२२५६–२३०६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१३०६–०७
आदेश पत्र से एक प्रस्ताव के हटाने के बारे में	२३०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	२३०७–१०
१. नैपाली सैनिकों द्वारा मिरिस (दार्जिलिंग) में गोली चलाने का कथित समाचार	
२. रायल नेपाल एयर लाइन्स के विमान का कथित लापता होना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१०–११
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२३११
जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नाली दार चादरों के वितरण के बारे में वक्तव्य	२२११–१४
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	२३१४–२०
खंड २ से ३३ तथा १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	२३२०–४७
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २	२३२४–४७
दैनिक संक्षेपिका	२३४८–५४

विषय	पृष्ठ
अंक १९—गुरूवार, ३० अगस्त, १९६२ / ८ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ से ७०३, ७१२, ७१५, ७०४ से ७०७, ७०९ और ७१०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७११, ७१३, ७१४ और ७१६ से ७१९	
अतारांकित प्रश्न संख्या २०११ से २०७२	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र के कथित अतिक्रमण	
(२) दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में दुर्घटना	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर में शुद्धि	
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२, और	
(२) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—	
खंड २ से ४, ३-क, ३-ख, १-क और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
सभा का कार्य	
दैनिक संक्षेपिका	
अंक २०—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९६२ / ९ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७३२ और ७३४	२४६७–९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२४९०–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ और ७३५ से ७४२	२४९२–९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ से २०८८ और २०९० से २१४३	२४९८–२५३१

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२५३१–३६
(१) राजशाही के शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण	२५३१–३३
(२) डुमराव रेल दुर्घटना जांच आयोग	२५३२–३५
सहारनपुर के निकट रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के बारे में	२५३६
सदस्य की दोष सिद्धि	२५३६
सदस्य का निलम्बन	२५३६–४२
सभा का कार्य	२५४४
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	२५४४
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५४४–५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२५५१
विधेयक पुरस्थापित	२५५१–५२
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (नये अनुच्छेद १५५ क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) **[श्री टीका राम पालीवाल का]**	२५५१
(२) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ **[श्री नवल प्रभाकर का]**	२५५२
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक १९६२ (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) **[श्री च० का० भट्टाचार्य का]**	२५५२
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**—वापस लिया गया	२५५२–६५
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय समुद्र बीमा विधेयक **[श्री म० वि० भार्गव का]**—	
राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव	२५६५–७२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गाजियाबाद सहारनपुर खंड में गाड़ियों की टक्कर	२५६६–६८
संविधान संशोधन विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]**—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५७३–७४
मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२५७४–७७
दैनिक संक्षेपिका	२५७८–८३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २९ अगस्त, १९६२

७ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भ्रष्टाचार-विरोधी समिति

†*६६७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री हेम बरुआ :
श्री कजरोलकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के लिये प्रस्तावित समिति गठित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और उसके क्या कार्य हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) समिति की नियुक्ति तथा उस के सदस्यों की घोषणा शीघ्र हो जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

1798 (Ai) LSD.1

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप तथा दबाव के कारण सेवाओं में बहुत भ्रष्टाचार और अनैतिकता हो रही है और क्या माननीय मंत्री ने मामले पर विचार किया है और क्या समिति को मामले से निपटने के लिये पूरे अधिकार दे दिये गए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: माननीय सदस्य ने यह एक सामान्य सी बात कह दी है। मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि जो कुछ उन्हों ने कहा है वैसा नहीं है। परन्तु वह इस बात को भी समझेंगे कि यह मामला बड़ा कठिन है। यह बात भी समझनी चाहिये। समिति को विशिष्ट बातें बताना आसान नहीं होगा परन्तु मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री चाहते हैं कि यह समिति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही विचार करेगी अन्यथा क्या वह इस प्रश्न को राष्ट्रीय महत्व का समझते हैं तथा उन्होंने मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के गृह-मंत्रियों से बातचीत करली है जिस से यह समिति समस्त देश के भ्रष्टाचार के मामलों पर विचार कर सके।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: अभी तो यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही विचार करेगी परन्तु यदि कोई निर्णय किया गया तो राज्य सरकारों से अग्रेतर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : समाज में फैली दुर्व्यवस्था तथा असुरक्षा को दूर करने के लिये और सामाजिक न्याय के हित में यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न पर बहुत जल्दी और ध्यान से गौर करें, किन्तु मंत्रालय इस सम्बन्ध में विलम्ब कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विलम्ब के क्या कारण हैं, यह कमेटी कब तक तैयार होगी और इस सम्बन्ध में और क्या कदम मंत्री जी के विचाराधीन हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अब तो कोई देर होने की सम्भावना नहीं है। सम्भव है कि आज ही, या कल——दो तीन दिन में——उस कमेटी का ऐलान हो जायेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस समिति के सदस्य कौन होंगे तथा क्या यह समिति केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के सम्बन्ध में भी विचार कर सकेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : भ्रष्टाचार के बुनियादी कारण समान ही होते हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार कर्मचरी से सम्बन्धित हों अथवा राज्य सरकार के कर्मचरियों से सम्बन्धित तो क्या यह लाभदायक नहीं होगा कि माननीय मंत्री राज्य सरकारों का परामर्श लें और समिति के निर्देश पद बढ़ा दें जिस से यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के कर्मचारियों पर लागू हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि आज देश में अंग्रेजों के शासन से भ्रष्टाचार शत प्रतिशत बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही कार्यवाही अब की जा रही है। परन्तु फिर भी माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह शत प्रतिशत बढ़ गया है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि श्री त्यागी ने जो कुछ कहा है मैं उस से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री त्यागी** : यह अच्छा नहीं लगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कितने प्रतिशत ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ऐसा नहीं समझता । संभव है भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो परन्तु प्रतिशतता और अनुमान बताना संभव नहीं है । मैं श्री त्यागी के समान गणितज्ञ नहीं हूं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह बढ़ रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे आश्चर्य है कि मेरे विचार इस बारे में जानते हुए भी श्री त्यागी यह प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वह किस सीमा तक सहमत है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ने अपने विचार उन को एक समिति की बैठक में बताये हैं । परन्तु हम भ्रष्टाचार को कुछ कम करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : मेरा निश्चित प्रश्न था कि उन्हों ने इस मामले में क्या विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्यवाही इस समिति के अतिरिक्त की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी श्री त्यागी से अपील है कि वह समझें कि क्या विभागीय अन्यथा प्रशासनिक कार्यवाहियां प्रश्न काल में बताई जा सकती हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता था कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की । कम से कम वह एक दो कार्यवाहियों का उल्लेख तो कर ही सकते थे । इस विशेष मामले में नहीं, अपितु सामान्य नीति के रूप में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक लम्बी सूची हो जायेगी । प्रश्नकाल में इन को बताना संभव नहीं होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां कहीं प्रशासन के उच्चाधिकारियों में---क्या कहीं पर दुर्भाग्य से मंत्रियों में भी भ्रष्टाचार पाया गया है । वहां यह पता लगाने के लिये क्या प्रणाली है कि सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम भ्रष्टाचार है या नहीं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ने प्रश्न को बहुत विस्तृत बना दिया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रणाली है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन्होंने मंत्रियों का उल्लेख किया है तथा संभवतया दोनों ओर के संसद्-सदस्य भी इसमें आ जाते हैं । अभी तो केवल सरकारी नौकरों की जांच हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा औचित्य प्रश्न है कि क्या आपने मेरा प्रश्न नियम बाह्य घोषित कर दिया है । क्योंकि वह सरकारी कर्मचारियों की केवल जांच पर रहे हैं । मेरे अनुपूरक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि मूल प्रश्न समिति के संबंध में है इसलिए अनुपूरक प्रश्न भी समिति के सम्बन्ध में होना चाहिए । इसीलिए मंत्री महोदय ने कहा कि समिति सरकारी कर्मचारियों की जांच करेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मेरा अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा उन्होंने बताया है । अनुपूरक प्रश्न भी मूल प्रश्न के सम्बन्ध में होना चाहिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आपने उसे नियम बाह्य नहीं घोषित किया है मैंने ऐसा कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने नहीं किया । इसीलिए उत्तर दिया गया । मैंने उसे नियम बाह्य कर दिया होता तो कोई उत्तर नहीं दिया जाता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**श्री हेम बरुआ :** कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी स्क्वैड हैं तो मैं जानता चाहता हूं कि सरकार का विचार समिति तथा राज्य सरकारों के कामों में समन्वय किस प्रकार करने का है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** बाद में हम इस पर विचार करेंगे । मेरा विचार है कि आयोग नियुक्त करने के बाद हमें एक प्रतिवेदन मिल जाता है इसलिए मैंने समिति से कहा है कि मुझे सुझाव मिले अन्तरिम प्रतिवेदन दें सप्ताह में एक बार जिससे भारत सरकार अथवा गृह-कार्य मंत्रालय उनका लाभ उठा सकें ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं उत्तर दे चुका हूं । कि जब कुछ निर्णय कर लिए जायेंगे तब राज्य सरकारों से समन्वय करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

कोयले के 'डम्प' बनाना

+

†*६६८. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन के मामले में कोयले के 'डम्प' स्थापित करने की प्रणाली लागू हो गई है ;

(ख) जिस 'डम्प' से उपभोक्ता कोयला लेते हैं उसकी क्षमता सामान्यतः कितनी होती है ;

(ग) 'डम्प' बनाने की प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप परिवहन की स्थिति किस हद तक सुधरी है ; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं को इस प्रणाली के कारण कोई कठिनाई होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, मद्रास, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के कोयले के 'डम्प' बना लिये गये हैं। गुजरात, उड़ीसा, आसाम, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों ने कोयलों का ढेर लगाना, स्वीकार कर लिया है ।

(ख) 'डम्पस' की कोई विशिष्ट क्षमता निश्चित नहीं की गई है । इसका आधार यह होगा कि एक डम्प से कितने उपभोक्ताओं को कोयला दिया जाता है ।

(ग) 'डम्प' स्थापित करने की योजना का उपलब्ध रेल परिवहन तथा वैगनों के शीघ्र चालू करने से नवीधारण हो जायेगा । इनसे परिवहन की स्थिति में सामान्य सुधार हो जायेगा ।

(घ) डबल हैंडलिंग आदि के कारण कछ कठिनइयां आ सकती हैं परन्तु जिन स्थानों पर यह योजना स्वीकार कर ली गई हैं वहां पर इसको चालू कर दिया गया है ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या इन 'डम्पस' को भरने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं । कोई विशेष सहायता नहीं की गई है । परन्तु कुछ प्रशासनिक प्रबन्ध किए गए हैं जिनसे इस योजना के अधीन कोयले के आवागमन में सहायता मिलती है ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या उपभोक्ताओं को बाध्य होकर इन 'डम्पस' से कोयला लेना होता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । यह योजना चालू हो जाने के बाद क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों के आदेशानुसार बनाये गये नियमों के अधीन अपना कोयला कहीं से लेना होता है । राज्य सरकारें नाम निर्देशित व्यक्ति को 'डम्प' बनाने का अधिकारी बना देती हैं और जिन उपभोक्ताओं के लिए डम्प लगाया गया है उनके लिए कोटा निश्चित कर देती हैं। इसके बाद प्राधिकृत नाम निर्देशित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पर मंजूरी दी जाती है और ढुलाई रेल व सड़क द्वारा होती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि इस 'डम्प' बनाने की पद्धति के कारण उपभोक्ताओं को पहले से अधिक धन व्यय करना पड़ता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । इस 'डम्प' बनाने की प्रणाली से परिवहन व्यय बढ़ जाता है और इसीलिए कुछ व्यय उपभोक्ता का बढ़ जाता है । ऐसा होना उचित नहीं है परन्तु कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि उसको उस काम के लिए कोयला मिल जाता है जिस काम के लिए उसे चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण उद्योगों पर और वहां के जन जीवन पर बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ा था, बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी । डम्प सिस्टम या और किसी सिस्टम से वहां कोयले की कमी को दूर करने के लिए, मैं जानना चाहता हूं, मंत्रालय क्या कर रहा है ?

श्री के० दे० मालवीय : जैसे और स्टेटों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी कोशिश हो रही है कि कोयला ज्यादा से ज्याद पहुंचाया जाए क्योंकि कंज्यूमर्ज़ को पहुंच सके । यह डम्प स्कीम वहां भी चालू है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि इन नई प्रणाली के फलस्वरूप एक नया भ्रष्टाचार आरंभ हो गया है कि सोफ्टकोक के परमिट पर अन्य प्रकार का कोक जैसे हार्ड आदि लाया जाता है और इन डम्प्स से लिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** भ्रष्टाचार की समिति को जो प्रश्न संख्या ६६७ के अधीन लिया जा चुका है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं तथा यदि हां तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मालवीय :** मुझे ऐसे मामले की जानकारी नहीं है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** सरकार की वास्तविक कार्यकारी योजना क्या है ? क्या प्रत्येक राज्य में एक 'डम्प' होगा अथवा प्रत्येक राज्य में कितने ही 'डम्प' होंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कई 'डम्प' योजनायें होंगी । उदाहरणतः उत्तर प्रदेश में, कानपुर, लखनऊ, मेरठ सिटी, इलाहाबाद, तथा वाराणसी तथा कुछ और स्थापित करने का विचार है ।

दिल्ली में नई शिक्षा संहिता

+

†*६६६: { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री, ५ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न-संख्या १२८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के लिये नई शिक्षा संहिता तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं ;

(ग) क्या इस संहिता के आधार पर राज्य सरकारों के विचारार्थ तैयार किये गये आदर्श विधान की भी जांच कर ली गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) इन नये उपबन्धों और पुराने उपबन्धों में क्या अन्तर है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) संहिता का आरंभिक प्रारूप बना लिया गया है और अन्तिम रूप दिए जाने से पहले विचाराधीन है ।

(ख) ५ जून, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या १२८५ के उत्तर में जैसा बताया गया है उसके अनुसार संहिता में विभागीय संगठन, स्कल निरीक्षण, मान्यता नियम, अनुदान

---

†मूल अंग्रेजी में

नियम, सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापकों की सेवा की शर्तें, दण्ड तथा अपील नियम, फीस एण्ड फंड, छात्रवृत्ति देने के नियम, प्रवेश, स्थानान्तरण, पदोन्नति, डाक्टरी परीक्षण आदि के अध्याय संहिता में होंगे ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से जो आपको परामर्श मिल हैं, वे क्या क्या हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तो राज्य सरकारों से मश्विरा लेने का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि कोड तैयार हो रहा है । जहां तक कोड का सम्बन्ध है, यह केवल यूनियन टैरिटरीज़ और दिल्ली के लिए है । इसलिए दूसरे राज्यों से बातचीत का प्रश्न नहीं उठा । जहां तक बिल का ताल्लुक है जिसके बारे में अभी आपने प्रश्न किया है, उस बिल का मस्विदा जब तैयार हो जाएगा तब राज्य सरकारों से मश्विरा उस पर किया जाएगा ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : इस चीज़ के हो जाने के बाद क्या प्रभाव शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा, क्या आप बता सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : प्रभाव अच्छा पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य को भी उससे सन्तोष होगा ।

श्री भक्त दर्शन : यह बताया गया है कि प्रारम्भिक ड्राफ्ट तैयार हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि उस ड्राफ्ट को अन्तिम रूप देने के पहले जो प्राईवेट मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं या अध्यापक समितियां हैं या और जो सम्बन्धित पक्ष हैं, क्या उनसे परामर्श लिया जाएगा और तब इसको अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जो भी सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनसे परामर्श किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापकों की सेवा की शर्तों को इस संहिता में शामिल किया जा रहा है । क्या इन सेवा शर्तों में मुदालियर समिति द्वारा सिफारिश की गई तीन लाभ योजना को भी शामिल किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार योजना को लागू करने को सत्सुक है क्या हम दिल्ली प्रशासन से मामले के सम्बन्ध में परामर्श ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही संघ राज्य क्षेत्रों पर यह योजना लागू होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों में संहिता स्थापित की जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं क्या इन क्षेत्रों में ऐसी संहिता लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह संहिता संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है । यदि अन्य राज्य सरकारें भी संहिता लागू करना चाहें तो कर सकती हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्या** : विवरण से मालूम होता है कि संहिता स्कूल के अध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में है । क्या कालिज के अध्यापकों के लिए भी ऐसी संहिता बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कालिजों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों के अपने नियम हैं। वे विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये नियमों तथा संविधियों के अधीन प्रशासित होते हैं ।

विश्व विद्यालयों के लिये आदर्श विधान

*६७०: **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों के वर्तमान कार्यों के अनुकूल एक आदर्श विधेयक की रूप रेखा तैयार करने के लिये जो समिति बनाई गई थी उसके अब तक के कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इस समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) समिति की अभी तक छः बैठकें हो चुकी हैं, इसका कार्य अब समाप्त होने पर है ।

(ख) जी नहीं । सम्भवतः समिति की रिपोर्ट वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाएगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी के विचाराधीन मोटे रूप से कौन कौन सी बातें हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुख्य समस्या आदर्श विधान बनाने की है । यह समिति विश्व-विद्यालयों के प्रशासन से सम्बन्धित सभी समस्याओं की छानबीन कर रही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के सम्बन्ध में भी क्या इस समिति में कोई विचार होगा क्योंकि १९६५ के बाद या किसी और अवधि के बाद जब यह बात तय हो जाएगी तो अंग्रेजी जो है, वह नहीं रहेगी । उस वक्त पढ़ाई लिखाई का माध्यम क्या होगा, क्या इस सम्बन्ध में भी यह समिति विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** :यह विषय इस समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : शिक्षा मंत्री जी ने पिछले अधिवेशन में घोषणा की थी कि अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में वह कोई विधेयक लाना चाहते हैं और इस समिति के परामर्श के आधार पर उसको वह लाना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस चीज़ को कार्यान्वित किया जाएगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पिछली पार्लियामेंट में लेकिन वह पास नहीं हो सका । इस समिति की रिपोर्ट का माडल लैजिस्ले-शन के बारे में इन्तजार किया जा रहा है और जब वह आ जाएगी, उसके बाद हम बनारस और अलीगढ़ दोनों के लिए विधेयक इस सदन के सामने लायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री डी० चं० शर्मा : यह आदर्श विधान जो परिचालित किया जायेगा, उसे ध्यान में रखते हुए क्या विश्वविद्यालय को अपने प्रशासन और दूसरी बातों में परिवर्तन करने के लिए कहा जायगा या व अपने पुराने ढंग से ही चलते रहेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : वास्तव में एक राज्य सरकार ने हमसे पूछा था। उसी आधार पर हमने यह समिति नियुक्त की है। उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद हम उसे राज्य सरकारों के पास भेज देंगे ताकि वे भी अपने विधान में उचित प्रकार से संशोधन कर सकें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले के लक्ष्य

+

†*६७१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भगवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कोयला परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली के अभाव को, जो तीसरी पंच वर्षीय योजना के कोयले के लक्ष्य की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा है, दूर करने के लिये कदम उठाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से संयुक्त परामर्श करने के लिये कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या सरकार कोयला परिषद् के सुझाव से सहमत है कि तापीय बिजली घर और कोयले धोने के कारखाने उन कोयला क्षेत्रों में हों जिनसे कोयला उपलब्ध किया जाता है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी हां। सरकार की यह राय है कि जहां तक संभव हो नये तापीय बिजली घर और कोयला धोने के कारखाने उन कोयला-क्षेत्रों में स्थापित किये जायें, जो कोयला सप्लाई के स्रोत हों।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संयुक्त परामर्श से जो कदम अब उठाये जा रहे हैं उनसे यह कमी कहां तक पूरी हो जायगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : आशा है कि हम स्थिति का मुकाबला करेंगे। तीसरी योजना में रखे गये लक्ष्य के अनुसार, कोयला क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ जायेगी। हमने बड़े कोयला उत्पादकों द्वारा कोयला क्षेत्रों के आस पास बिजली तैयार करने की योजना पर विचार करने के लिये योजना आयोग से कहा है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गैर-सरकारी क्षेत्र ने उन ढंगों पर निवेश करने की कहां तक उत्सुकता दिखायी है ?

†श्री के० दे० मालवीय : वह रुपया लगाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है; वह तब तक बिजली पैदा करना नहीं चाहता जब तक कि उसे सरकार से पर्याप्त सहायता न मिले। राज्य सरकारों

†मूल अंग्रेजी में

से भी परामर्श करना है और उनका सहयोग प्राप्त करना है। इसलिए राज्य सरकारों से परामर्श करने की आवश्यकता है ताकि गैरणसरकारी क्षेत्र को बिजली पैदा करने के लिए राजी किया जा सके।

†**श्री भागवत झा आजाद** : भारत की कोयला परिषद् द्वारा व्यक्त आशंका या सुझाव के अनुसार, कोयले के उत्पादन के लिए बिजली की कितनी कमी रहेगी और उसे ध्यान में रखते हुए क्या योजना आयोग ने वह कभी दूर करने के लिए अतिरिक्त स्रोत सप्लाई करना मंजूर कर लिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे आशंका है कि मैं बिजली की कमी का ब्यौरा नहीं बता सकूंगा। लेकिन समस्या को अस्थाई रूप से हल करने के लिए कोयला परिषद् ने कुछ प्रस्ताव सरकार के सामने रख है और उनकी छानबीन हो रही है। यदि वे कार्यान्वित किये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कठिनाइयां दूर कर सकेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : कोयला क्षेत्रों के पास तापीय बिजली घर और कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने की योजना पर कितना वित्तीय परिव्यय होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है।

†**श्री हेडा** : उस बैठक में माननीय मंत्री ने बताया था कि यह दूरी या परिवहन सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए सरकार नहरों और नदियों से कोयला पहुंचाती है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई सक्रिय कार्यवाही की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, इस योजना पर काफी विचार किया जा चुका है और यह अब तैयार है। हमने सभी प्रारम्भिक व्यवस्था और सर्वेक्षण भी किये हैं। अब मंत्रालय में इस प्रश्न की छानबीन हो रही है और मैं समझता हूं कि अगले दो या तीन हफ्तों में निश्चय किया जायेगा और यदि हम जैसे चाहते हैं वैसे निश्चय किये गये, तो कोयला पहुंचाने का काम तुरन्त शुरु हो जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि अगर रिहन्द डैम की बिजली को बिड़ला कंसर्न से हटा कर कोयले के काम में लगाया जाय तो ५४ जिलों के कोयले की समस्या हल हो सकती है और सरकार का लक्ष्य पूरा हो सकता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, रिहन्द डैम की बिजली का इन्तजाम हो चुका है। बिहार में जो लाइनें रह गई थीं, वह भी गालिबन पांच या सात दिनों में पूरी हो जायेंगी और रिहन्द डैम की पावर का कोयले के उत्पादन में इस्तेमाल किया जायेगा।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : माननीय मंत्री ने बताया था कि देश में बिजली की कमी है। इसे देखते हुए, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जो कोयले के लक्ष्य पूरा करने के प्रयत्न कर रहे हैं, क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें रुपया देगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : चाहे वित्तीय सहायता हो या दूसरे पहलू हों, केन्द्रीय सरकार यथा संभव कर रही है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सहयोग के सम्पूर्ण प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जो कोयला खानें लाभदायक नहीं हैं उनके मालिकों से सरकार यह कहने वाली है कि वे अपनी खानें सरकार को दे दें ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दाजी** : माननीय मंत्री ने पहले एक बार कहा था कि यह मंत्रालय की राय है, सरकार की नहीं । अब वह कहते हैं कि यह सरकार की राय है । क्या हम यह समझें कि सरकार ने इस मामले में दृढ़ निश्चय किया है कि तापीय बिजलीघर और कोयला धुलाई कारखाने सिर्फ कोयला क्षेत्रों के पास ही स्थापित किये जायेंगे और यदि हां, तो क्या जो योजनायें उसके अनुसार नहीं हैं उन में कोई परिवर्तन किया जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह तो आयोजन आयोग और हमारे मंत्रालय तथा सरकार की राय है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श करना होगा । इसलिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो इस प्रतिरूप के अनुसार नहीं हैं । इसलिए जब तक उनसे परामर्श नहीं किया जाता और वे सहमत नहीं होते तब तक अन्तिम निश्चय नहीं किया जा सकता जो बाद में कार्यान्वित किया जा सके ।

†**श्री वेन्कटासुब्बैया** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि बिजली की कमी के कारण सिंगरेनी कोलियरीज में कोयले का उत्पादन तीन लाख टन कम हुआ है और यदि हां, तो राज्य सरकार को धन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : व्यक्तिगत मामलों को अलग अलग लिया जायेगा । सभी का एक साथ विवेचन करना कठिन है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कोल कौंसिल ने कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुख्य मुख्य सुझाव दिये हैं क्या उन पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोल कौंसिल ने जो खास बात कही है वह यह है कि कोयले की खानों के पास ही पावर स्टेशन होने चाहियें ताकि रेलवे ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा बोझ न पड़े । इसलिये थर्मल पावर स्टेशन जहां तक हो सके कोल माइन्स के पास ही लगाये जायें ; यह कोल कौंसिल की स्पेसिफिक सिफारिश है ।

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६०

†*६७२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्रभात कार :
श्री र० ना० रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा रहा है और दिल्ली में स्कूल जाने की उम्र वाले अनेक बच्चों को उनके मां-बाप या संरक्षक स्कूल नहीं भेज रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना को पूरी तौर से सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : दिल्ली और पुरानी दिल्ली में स्कूल जाने की उम्र वाले कितने बच्चे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना के अधीन पंजीकृत किये जा चुके हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : पिछले साल यह बताया गया था कि ५०,००० से कम बच्चे थे; अर्थात् ४६,००० बच्चे और उनकी भरती का आन्दोलन शुरु किया गया था और ६ से ७ वर्ष की आयु के ९५ प्रतिशत बच्चे १९६१ में स्कूलों में भरती किये गये ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : जो मां बाप पिछले शैक्षणिक वर्ष में अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों की गयी ? यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : यह आवश्यक नहीं था क्योंकि उस उम्र के ९५ प्रतिशत बच्चों को पहले ही भरती किया जा चुका है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या इस बात का पता लगाया गया है कि जितने लड़के भरती किये गये हैं वे सभी वास्तव में स्कूल जाते हैं ? गड़बड़ी क्या है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : भरती हो चुकी है । जहां बरबादी या रुकावट होती है, उन मामलों को अलग से लिया जायगा । लेकिन उन्हें अन्य प्रोत्साहन जैसे दूध और मध्याह्न भोजन आदि देकर नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है ।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ५ परसेन्ट लड़के बाकी बच गये हैं उन के लिये उस ने क्या प्रबन्ध सोचा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ९५ प्रतिशत भरती गिये गये थे । लेकिन बाकी ५ प्रतिशत के बारे में क्या हुआ ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : १०० प्रतिशत प्राप्त करना तो असंभव है क्योंकि उसके और भी कारण हैं । फिर भी ९५ प्रतिशत वास्तव में बहुत ऊंची दर है ।

श्री तुलसीदास जाधव : जो लड़के नहीं आते हैं, क्या सरकार ने उन के न भेजे जाने का कोई कारण सोचा है ?

†**श्रीमती सौंदरन् रामचन्द्रन्** : भरती आन्दोलन में, जहां तक संभव है, प्रायः सभी सामान्य बच्चों को स्कूल आने के लिए राजी किया गया था और माता पिता के सहयोग से ही वह संभव हुआ था ।

†**श्री प्रभातकार** : माननीय उपमंत्री ने बताया था कि ९५ प्रतिशत को भरती किया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्रतिशत लड़के स्कूल जाते हैं ?

†**श्रीमती सौंदरन् रामचन्द्रन्** : वह यहां मेरे पास नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** शत प्रतिशत उपस्थिति लागू करने से पहले क्या मंत्री महोदय फिलहाल स्कूलों में उनकी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था से संतुष्ट हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :** यदि हम १०० प्रतिशत संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम रुक जाते हैं। वह कभी नहीं हो सकता। हम हमेशा कोशिश करते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अनिवार्य शिक्षा की यह योजना ६ से ११ साल की उम्र के बीच के बच्चों के लिए है। माननीय उपमंत्री ने केवल ६ और ७ साल की उम्र के बीच के बच्चों के आंकड़े बताये हैं। उन से स्थिति का पता किस प्रकार चलता है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :** जी हां। पिछले साल ६ से ७ साल और ७ और ८ साल के बीच के बच्चों की भरती की गयी है। वह जारी है। हम १० साल के बच्चों को अभी नहीं ला सकते। इसलिए जब भरती शुरु होती है, तब हम ६ और ७ की उम्र से शुरु करते हैं और हर साल एक आयु समुदाय जोड़ते जाते हैं।

तेल की पाइप लाइनें

+
†*६७३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री गो० कु० सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त
श्री याज्ञिक : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल ले जाने के लिए तेल की पाइप लाइनें डालने की योजना अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मील पाइप लाइन डाली जायेगी और वह किन-किन जगहों पर डाली जायेगी;

(ग) यह काम कब शुरु किया जायेगा; और

(घ) यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). तेल की पाइप लाइनें डालने की योजना अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने के बाद ही ये ब्यौरे बताये जा सकेंगे।

†**श्री सुबोध हंसदा :** मंत्री महोदय ने बताया कि ये ब्यौरे योजना निश्चित होने के बाद ही दिये जा सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना निर्धारित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री तिम्मय्या :** अनुमान है कि इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड इस साल के आखिर में काम शुरु करेगा और १९६४ के आखिर तक पूरा कर देगा।

†**श्री बसुमतारी :** इन पाइप लाइनों के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुमानित लागत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : कलकत्ता–बरौनी–दिल्ली पाइप लाइन की लागत लगभग २६ से २८ करोड़ रुपये होगी; गौहाटी–सिलिगुडी पाइप लाइन की लागत लगभग ६ करोड़ रुपये होगी और गुजरात में कजोल से अहमदाबाद तक की पाइप लाइन की लागत लगभग ६ करोड़ रुपये होगी ।

†**श्री मुरारका** : सरकार के सामने सारी योजनाएं कौन कौन सी हैं और देश के विभिन्न भागों में पाइप लाइनें डालने के लिए कौन-कौन सी योजनाओं पर विचार हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे सहयोगी ने संपूर्ण योजना बतायी है ।

†**श्री मुरारका**: उन्होंने तीन परियोजनाएं बतायी हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : नूनमाटी से सिलिगुडी तक प्रोडक्ट पाइप लाइन, बरौनी से दिल्ली या पास तक और बरौनी से कलकत्ते तक प्रोडक्ट पाइप लाइन और गुजरात में गैस प्रोडक्ट और अशोधित तेल के लिए छः पाइप लाइन––इन सब की छानबीन सरकार कर रही है । सामान्य अनुमति प्राप्त कर ली गयी है लेकिन विदेशी मुद्रा के खर्च के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय तथा हमारे बीच कुछ मतभेद हैं और मैं समझता हूं कि स्थिति शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगी ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो बरौनी से पाइप लाइन दिल्ली आयेगी तो क्या बीच में इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहरों को भी इस पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: इरादा तो यही है कि जो वितरण के बड़े बड़े स्थान हैं उन में वहीं बांट दिया जाये ताकि सस्ता हो सके ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि फिलहाल पाइप लाइन डालने की जिम्मेदारी इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड की है ? यदि हां, तो क्या उन्हें डालने और उन्हें बनाये रखने के लिए एक अलग निगम बनाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : आरम्भ में हम ने यह काम इंडियन रिफाइनरीज़ को सौंपा है ताकि देर न हो । उसने यह काम शुरु कर दिया है और प्रारम्भिक काम काफी कर लिया है । उसके तकनीकी काम को संभालने के लिए सरकार अलग व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : क्या बरौनी से दिल्ली तक की पाइप लाइन को पश्चिम भारत की पाइप लाइनों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: यह भविष्य पर और तेल उद्योग के विस्तार पर निर्भर है । स्वाभाविक ही लक्ष्य यह होना चाहिये कि सारे देश के लिए एक सामान्य पाइप लाइन हो ।

†**श्री वारियर** : क्या गौहाटी से सिलिगुडी तक की पाइप लाइन परियोजना निश्चित न होने के कारण नहीं बनायी जा रही है या और किसी ने कोई आपत्ति उठाई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ**: रेलवे ने कोई आपत्ति की थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब पिछली बार मैंने इस आपत्ति का उल्लेख किया था तो वह अधिकतर तकनीकी आधार पर था । लेकिन नूनमाटी पाइप लाइन तैयार करने में आज जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं उन पर हम तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम योजना को आगे बढ़ायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा कि सारे देश के लिए एक पाइप लाइन होनी चाहिये । क्या उन का यह मतलब र कि देश के सभी भागों को जोड़ने वाली एक प्रणाली, इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम जैसे होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने वह मान लिया था । मैंने यह नहीं कहा कि उस तरह की योजना है । मैंने यह कहा कि वह भविष्य पर निर्भर है । लक्ष्य यह होना चाहिये कि ग्रिड जैसी एक पाइप लाइन हो ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह लाभप्रद होगा कि नहीं ? रेलवे से जो आप भेजते हैं उसकी तुलना में पाइप लाइन से भेजने में खर्च में कितना अन्तर पड़ेगा ?

श्री के० दे० मालवीय : आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होगा और रेलवे के भाड़े से इस में भाड़ा कम होगा ।

श्री क० ना० तिवारी : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि फाइनेन्शल और टैकनिकल डिफीकल्टीज़ हैं । क्या यह भी डिफीकल्टी है कि प्रान्तीय सरकारें इस में अड़चन डाल रही हैं ?

श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं, प्रान्तीय सरकारें कोई अड़चन नहीं डाल रही हैं ।

कोयला धोने के कारखाने

†*६७४. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना की अवधि में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कई कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने हैं;

(ग) ये कोयला धोने के कारखाने कब स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) क्या ये कोयला धोने के कारखाने बिना किसी विदेशी तकनीकी सहायता के स्थापित किये जायेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, तीसरी योजना की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कोयला धोने के मौजूदा दो कारखानों का विस्तार किया जायगा और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोकिंग कोयले के लिये ६ नये कारखाने और गैर-कोकिंग कोयले के लिये २ नये कारखाने स्थापित करने की योजना बना रहा है। निगम के ३ कारखाने चौथी योजना में ही स्थापित किये जा सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इन के अलावा कोकिंग कोयला धोने के दो कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखाने विदेशी ऋण से सम्बद्ध है और उन के मामले में विदेशी तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी । आशय यह है कि कोयला धोने के कारखाने धीरे धीरे न केवल देशी संयंत्र और उपकरण से बल्कि विदेशी तकनीकी सहायता के बगैर भी स्थापित किये जायें ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या कोयला धोने के इन कारखानों के अलावा, कुछ मौजूदा कारखानों के विस्तार की भी कोई योजना है ?

†**श्री तिम्मय्या :** जी हां ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उन के नाम क्या है ?

†**श्री तिम्मय्या :** अनुमान है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन दो कारखानों अर्थात् डुगड़ा और बोजूडीह, का विस्तार किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ कारखानों के लिये विदेशी सहायता मिलेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से देश इन कारखानों को तकनीकी सहायता देंगे ?

†**श्री तिम्मय्या :** मुझे सूचना चाहिये ।

श्री म० ला० दिवेदी : में जानना चाहता हूं कि कोयले की धुलाई के कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में स्थान का निर्धारित कैसे किया जाता है ? क्या अधिकांश में ये कारखाने कोयले की खदानों के पास बनाये जाते हैं, और अगर अन्यत्र बनाये जाते है तो स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में किन किन बातों का विचार किया जाता है है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सब से बड़ी वजह तो यह होनी चाहिये कि ये कोयले की खानों के पास हों ताकि ट्रांस्पोर्ट में सुविधा हो सके । इस के अलावा कोई दूसरा कारण तो तभी हो सकता है जब कोई स्थानिक बातें सामने आयें । लेकिन मुख्यत: इन को खानों के पास ही इसलिये स्थापित किया जाता है ताकि ट्रांस्पोर्ट के बोझ को हलका किया जा सके ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रश्न के भाग (घ) के निर्देश में, क्या मैं जान सकता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में जो कोयला धुलाई कारखाने संभवत: स्थापित किये जाने वाले हैं उन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

†**श्री तिम्मय्या :** तीसरी योजना में हमें १२७ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी है जिस में से ३२ लाख टन क्षमता हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित की जायगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** प्रश्न तो गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में है ।

†**श्री तिम्मय्या :** हमारे कारखानों के अलावा, गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला धुलाई-कारखानों की क्षमता एक रूप में ३ लाख टन से २२ लाख टन बढ़ा दी जायगी और दूसरे रूप में १५ लाख टन से ३० लाख टन कर दी जायगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** उन्हों ने बताया कि वह ३० लाख टन से २० लाख टन वृद्धि होगी । यह वृद्धि किस प्रकार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या :** वह ३ लाख टन से २२ लाख टन है ।

इस्पात और कच्चे लोहे की कीमतें

†*६७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये इस्पात और कच्चे लोहे के अवधारण मूल्य अब अन्तिम रूप से निर्धारित किये जा चुके हैं ;

(ख) क्या ये कीमतें प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों से इस सम्बन्ध में कोई नये अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). कच्चे लोहे और इस्पात के लिये दिये जाने वाले अवधारण मूल्य सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और उन की छानबीन जारी है ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत के बारे में प्रशुल्क आयोग ने कोई अनुमान लगाया है ; और यदि हां, तो वह कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । मैं इस समय वे ब्यौरे नहीं बता सकूंगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों को ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है कि जो मजूरी बोर्ड अभी नियुक्त किया गया है यदि वह कर्मचारियों की मजूरी बढ़ाने की सिफारिश करता है, तो अवधारण मूल्य के इस प्रश्न पर फिर विचार किया जायगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह रिपोर्ट १९६० -६१ और १९६१-६२ के मूल्य के सम्बन्ध में है । इसलिये माननीय सदस्य का प्रश्न यहां लागू नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मुझे नोटिस चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रशुल्क आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अस्थायी है या अन्तिम है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** वह अन्तिम प्रतिवेदन है, अन्तरिम प्रतिवेदन का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्री मुरारका :** क्या मूल्य भूतकाल से निर्धारित किये जायेंगे जैसाकि अब तक किया गया है या भविष्य के लिये भी मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** प्रतिवेदन १९६० से १९६२ के सम्बन्ध में है और हमें भविष्य के लिये भी मूल्य निर्धारित करने होंग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उन पर विचार हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को निश्चय करने में अभी कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** बहुत जल्द ही।

तेल शोधक कारखानों में राज्यों की सहभागिता

+
†*६७६. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री यश पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री याज्ञिक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधक कारखानों में राज्यों की सहभागिता के संबंध में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां, असम, बिहार और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में।

(ख) राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में स्थित तेल शोधक परियोजना में १५ प्रतिशत सामान्य पूंजी निवेश कर सकती हैं।

†**श्री वारियर :** जिन राज्यों में ये शोधक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं क्या उन्हीं राज्यों की सरकारें इस में हाथ बंटा रही हैं या दूसरी राज्य सरकारों को भी इस के लिये अवसर मिल रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** निश्चय यह किया गया है कि वे सभी राज्य जहां शोधक कारखाने हैं, इस साझेदारी में, यदि वे चाहें, और यदि उन्हें सुविधाजनक हों तो भारत सरकार के साथ शामिल हो सकते हैं।

†**श्री दाजी :** क्या इस व्यवस्था से विभिन्न राज्य सरकारों के अभ्यावेदनों का समाधान हो जाता है या अब भी इस मामले में कोई झगड़ा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं नहीं जानता कि उन का समाधान हुआ है या नहीं। समझौता हो गया है और हम ने उन्हें सूचित किया है कि इस साझेदारी में सहयोग देने के लिये हम राज्य सरकारों के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि कोरबा कोयला क्षेत्रों में मध्यप्रदेश सरकार को २५ प्रतिशत हिस्सा दिया गया है और पश्चिम बंगाल को अपनी कोयला खानों से खुदाई करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

पूरा पूरा अधिकार है, क्या मैं जान सकता हूं कि तेल के मामले में वह सिर्फ १५ प्रतिशत तक ही सीमित क्यों किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमारे सामने कई बातें थीं । संपूर्ण प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था और सरकार इस नतीजे पर पहुंची थी कि हमारी और राज्य सरकारों की भी सीमाओं को देखते हुए इस साझेदारी में शामिल होने के लिये राज्य सरकारों के लिये १५ प्रतिशत हिस्सा बिलकुल उचित है ।

†**श्री यशपाल सिंह :** क्या सरकार को यह पता है कि बर्माशैल और ऐस्सो के कोटे को कम किये बगैर हमारे तेल शोधक कारखाने प्रौपरली वर्क नहीं कर सकेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार बरौनी जैसे शोधक कारखानों में सहभागिता का हिस्सा बढ़ाने के बारे में राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** फिलहाल हमारे निश्चय राज्य सरकारों को सूचित कर दिये गये है ।

†**श्री विभूति मिश्र :** यह जो ड्रम बनाने का काम है इस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रक्खेगी या स्टेट गवर्नमेंट को इस के बनाने का अधिकार देगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह तो पार्टनरशिप का सवाल है ।

होगनाक्कल जल-विद्युत् परियोजना

+

†*६६७. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की विद्युत उपसमिति की हाल में हुई बैठक में, होगनाक्कल जल-विद्युत् परियोजना संबंधी अन्वेषण के मामले में, मैसूर और मद्रास राज्य के बीच कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) क्या कावेरी नदी के जल को बांटने के संबंध में १९२४ के करार में संशोधन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) और (ख). समिति के प्रतिवेदन पर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् द्वारा इसकी अगली बैठक में विचार किया जायगा । परिषद् की कार्यवाही, जिसमें निर्णय भी शामिल होंगे, इस अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, सभा पटल पर रखी जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस समिति में १९२४ के करार पर भी विचार किया गया था अथवा समिति विचार इससे पृथक् हुआ ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जैसा मैंने बताया, ये सब बातें उस प्रतिवेदन में होगी,जो संसद् पुस्तकालय में रखी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : संसद् पुस्तकालय में अथवा सभा पटल पर यह प्रतिवेदन कब तक रखा जा सकेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् के समक्ष रखने के बाद शीघ्र ही ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह कुछ समय बता सकती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : परिषद् की बैठक अक्तूबर में होगी । उसके बाद शीघ्र ही यह संसद् पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा

*६७८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल और कालेजों के विद्यार्थियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) एन० सी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को क्या सेना में प्राथमिकता देने का कोई निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) :(क) स्कूलों और कालिजों के छात्रों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) माननीय सदस्य के मन में शायद राष्ट्रीय छात्र-दल में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को दी गई उस रियायत का ख्याल है जो उन्हें सेना के कमीशन पदों में भर्ती के मामले में दी जाती है । भारतीय सैनिक अकादमी में कुछ प्रतिशत स्थान आफिसर ट्रेनिंग यूनिट कोर्स पास कर लेने वालों और राष्ट्रीय छात्र-दल का 'सी' प्रमाणपत्र पाने वालों के लिये सुरक्षित रखे जाते है । सीनियर डिवीज़न के छात्रों को, जो आवश्यक शर्तें पूरी करते हों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा से मुक्त कर दिया जाता है, और वह सीधे सेवाओं के चयन बोर्ड के सामने कमीशन अफसर चुने जाने के लिये पेश हो सकते है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो १२ सितम्बर १९६० को अनिवार्य सैनिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि आज से तीन वर्ष पश्चात् स्कूल और कालिज का कोई विद्यार्थी इस प्रकार का नहीं होगा जिसको कि एन० सी० सी० और ए० सी० सी० का शिक्षण प्राप्त न हो चुका हो, मैं जानना चाहता हूं कि उस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कहना है कि एक ऐसा आश्वासन दिया गया था कि अगले तीन वर्षों में ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको राष्ट्रीय सेना छात्र दल में प्रशिक्षण न मिला हो ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : हमारे स्कूलों और कालिजों में ७,००,००० विद्यार्थी है जिनमें से ४,००,००० राष्ट्रीय सेना छात्र दल में है । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि इसमें प्रत्येक को शामिल किया जायेगा । जब यह अनिवार्य नहीं है, तो मैं ऐसा आश्वासन कैसे दे सकता हूं । हमने यह आशा व्यक्त की थी कि कोई अनिवार्य नहीं होगा । यह संख्या हमारी सामान्य आर्थिक और वित्तीय स्थिति के कारण कम है । राज्य अपने अंश का वित्तीय अंश देने में असमर्थ है

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे, उपकरणों की कमी है जिन्हें नियमित सेवा में से नहीं लिया जा सकता । तीसरे पदाधिकारियों की बहुत कमी है जिसे कुछ अंश तक अब राष्ट्रीय सेवा छात्र-दल से ही पदाधिकारी देकर पूरा किया जा रहा है । इसको अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि अभी प्रतिरक्षा मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं से ऐगजम्प्ट कर दिया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के छात्रों की संख्या क्या आप के पास है जो कि आप सदन को को बतला सकते है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : १९५१ में आरम्भ में १७ पदाधिकारी थे और पिछले वर्ष यह संख्या १३५ थी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिये, ताकि बाद में वे सशस्त्र बलों में कमीशन के लिये अर्हता-प्राप्त हों, सैनिक स्कूलों को क्या विशेष काम सौंपा गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : सैनिक स्कूल सामान्य शिक्षा के लिये है । उनमें शिक्षा प्राप्त करके वे प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के पात्र हो सकेंगे । पिछले कुछ वर्षों में हमें उपयुक्त शिक्षा और अन्य गुण वाले उम्मीदवार प्राप्त करने में कठिनाई रही है । इसके लिये राज्यों से भी मांग बहुत थी । प्रशिक्षण लेने वाले बालक है । उनके सैनिकों के रूप में अभी बातें नहीं की जा सकतीं । सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस मामले की सरकार की उदासीनता अथवा अनिच्छा इस कारण भी है कि सरकार ने अपनी विदेश नीति में अहिंसा को अधिक स्थान दिया है और घरेलू नीति में कम ? श्रीमन्, इस प्रश्न पर आपको क्या आपत्ति है ? मैं आपकी आपत्ति जानना चाहता हूं, न कि मन्त्री महोदय की ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अपनी आपत्ति बताने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मन्त्री महोदय की भी अपनी आपत्ति होगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समझता कि आप सदस्यों का भी कुछ पक्ष लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न उस ही मामले से सम्बन्धित होने चाहियें जो हमारे समक्ष है । जब वह इससे परे हो जाता है और इससे सम्बन्धित नहीं होता है तो इस रूप में अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री नाथ पै** : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को राष्ट्रीय सेना छात्र-दल का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता । क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छोटी और ठीक होने योग्य शारीरिक असमर्थताओं जैसे झुके हुए घुटने अथवा कम वजन के कारण राष्ट्रीय सेना छात्र-दल में नहीं लिया जाता ? यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि थोड़े से प्रशिक्षण देकर और उचित देखभाल करके इन भौतिक कमियों को दूर किया जा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : डाक्टरी जांच के लिये उचित प्रक्रिया है और जब तक वे उस डाक्टरी जांच में पास नहीं होते उनको लेना सम्भव नहीं है क्योंकि अधिक नाजुक स्थिति में वे घबरा सकते हैं । जहां तक अच्छे भोजन और देखभाल का सम्बन्ध है कि उससे वे योग्य बन सकते है या नहीं, मैं यह नहीं बता सकता । जो भी हो, राष्ट्रीय सेना छात्र दल इन लोगों का पोषण नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री की इण्टरनेशनल एक्टिविटीज़ को देखते हुए यह श्रेयस्कर न होगा कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा का काम शिक्षा मन्त्रालय को सौंप दिया जाये और वह इसको एक्स्पीडाइट करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री बड़े**: मैं यह जानना चाहता हूं कि एन० सी० सी० के कैडट्स को किस परसेंटेज में कमीशण्ड आफिसर के रूप में लिया जाता है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : राष्ट्रीय सेना छात्र-दल द्वारा कमीशन नहीं दिया जाता है । कमीशन उसके बाद दिया जाता है जब वे मिलिटरी कालिज, देहरादून अथवा नौसेना वायु सेना में ऐसे ही संस्थानों में जायें । राष्ट्रीय सेना छात्र दल के प्रशिक्षण से उन्हें आई० एम० ए० में कुछ कम पाठ्यक्रम करना पड़ता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या देश भर में राष्ट्रीय सेना छात्र-दल और सहायक सेना छात्र-दल दोनों में प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : एन० सी० सी० सीनियर डिवीज़न अर्थात् एन० सी० सी० इन्फैण्ट्री और एन० सी० सी० राइफल्स में प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या ४,००,००० है । स्कूलों के बच्चों के लिये जूनियर डिवीज़न है जिसमें प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या १४ लाख है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†*६७९. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने अपना सामान्य लक्षित उत्पादन पुनः प्राप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं, परन्तु उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

(ख) उचित प्रकार के कोयले के पर्याप्त मात्रा में मिलने में कठिनाई और सम्भरित जिप्सम की घटिया किस्म ।

†**श्री मुरारका** : लक्षित उत्पादन न प्राप्त करने के कारण कारखाने में उत्पादन की कुल हानि कितनी है और कुल कितने धन की हानि हुई ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : १९६०–६१ में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन ३,०५,२१८ टन था और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का ६०,०४३ टन । १९६१–६२ में २,८४,३४६ टन अमोनियम सल्फेट और ५६ ८६५ टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : उत्पादन क्षमता का अनुमान ६६,००० अथवा ६७,००० टन लगाया गया है। वर्ष १९६०-६१ में वास्तविक उत्पादन ६०,००० टन हुआ और १९६१-६२ में लगभग ४६,००० टन। अतः एक वर्ष में लगभग ११,००० टन की कमी रही और दूसरे वर्ष में ६,००० टन की। माननीय सदस्य रुपये का हिसाब लगा लें।

†**श्री मुरारका** : पहले यह बताया गया था कि उत्पादन में कमी सन्यन्त्र में कुछ खराबी होने के कारण हुई। क्या वह खराबी ठीक कर दी गयी है और क्या सन्यन्त्र कोयले और जिप्सम के प्रश्न के अतिरिक्त ठीक काम कर रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक पुराने सन्यन्त्र की मरम्मत की जा सकती है, कर दी गयी है।

श्री तुलसीदास जाधव : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में फर्टेलाइज़र की कितनी ज़रूरत है और यहां पर वह कितना पैदा किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** इस कारखाने में देश की कुल आवश्यकता के कितने प्रतिशत का उत्पादन किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सारी आवश्यकता के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

पेट्रो-कैमिकल उद्योगों का बिकास

†*६८०. + **श्री विभूति मिश्र** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस का चार सदस्यों का एक विशेषज्ञ दल पेट्रो-कैमिकल उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देने के लिये जुलाई, १९६२ में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) उनके मुख्य सुझाव क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिमय्या)** : (क) जी, हां। जुलाई, १९६२ में फ्रांस का एक दल, जिसमें तीन विशेषज्ञ थे, भारत आया था।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो टीम आई, उस ने यहां पर कौन सा काम किया है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): इस वक्त तो वे सब जगह घूम रहे हैं। हमारे यहां जहां तेल का उत्पादन होता है, जहां पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं, उन

---

†मूल अंग्रेजी में

सब जगहों को देख कर और कन्जम्प्शन, ट्रांस्पोर्ट (यातायात) और खर्चों का अनुमान कर के वह टीम अपनी रिपोर्ट लिखेगी । उस में काफी काम है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या हमारी सरकार ने उस टीम को कुछ निर्देश दिया है कि हम फ़लां फ़लां जगह पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज़ बनायेंगे ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, इस मामले पर हमारे विशेषज्ञों ने उन लोगों से खूब बात-चीत कर ली है । इस समय यह एक बड़ा आधुनिक ज्ञान हो गया है । इस लिए फ्रांस की जानकारी, हमारे यहां का अनभव और दुनिया के और मुल्कों का अनुभव, यह सब मिला-जुला कर एक ऐसी योजना बनाने का विचार है कि हम पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज़ सस्ते में बना सकें और अपने रा मैटीरियल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या इस दल ने गुजरात का दौरा किया और क्या गुजरात में पेट्रो-केमिकल उद्योग के लिये कोई सुझाव दिये गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** गुजरात गये बगैर यह दल कैसे काम कर सकता है ?

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या कोई सुझाव दिये गये हैं ? मेरा प्रश्न यह है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम ऐसा कोई सुझाव नहीं देते कि वे कहां जायें । क्षेत्र हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जाना । होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न श्री दाजी ।

†**श्री दाजी :** ६८१ ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** इसके साथ प्रश्न संख्या ६८७ का भी उत्तर दे दिया जाये ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां । वे इकट्ठे लिये जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पहले प्रश्न संख्या ६८१ का उत्तर दें ।

गुजरात तेल कूपों से रायल्टी

+

†*६८१. { **श्री दाजी :**
श्री ने० क० कुमारन :
श्री बड़े :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात तेल कूपों से बढ़िया किस्म का तेल निकलने के आधार पर रायल्टी में वृद्धि करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी वृद्धि की मांग की है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मांग मान ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न संख्या ६८७ के प्रस्तावक श्री जसवन्त मेहता उपस्थित हैं? ..... नहीं वह उपस्थित नहीं है । फिर इसका उत्तर न दिया जाये । श्री दाजी ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि करार होने के बावजूद भी कुछ विवादग्रस्त बातें रह गयीं जिन्हें मध्यस्थ-निर्णय के लिये प्रधान मंत्री जी को निर्देशित किया गया है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : आसाम में रायल्टी के बारे में ?

†**श्री दाजी** : आसाम और गुजरात दोनों के बारे में ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं । आसाम सरकार ने कुछ प्रश्न निर्देशित किये हैं जिन पर अभी वित्त मंत्रालय के बीच निर्णय किया जाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल गुजरात से, आसाम नहीं, रायल्टी की वृद्धि के बारे में है ।

†**श्री दाजी** : पहले उन्होंने कहा "नहीं" । परन्तु मेरा प्रश्न है कि एक करार है । परन्तु यह भी सच है कि गुजरात सरकार कुछ विवादास्पद बातें उठाने के लिये, जो प्रधान मंत्री जी को निर्देशित किये गये हैं, आसाम सरकार का अनुकरण कर रही है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं ।

†**श्री बड़े** : क्या आज गुजरात से कोई मंत्री केन्द्रीय सरकार के साथ रायल्टी की समस्या पर बातचीत करने के लिये यहां आया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ईंधन मंत्रालय की बात से संतुष्ट नहीं है और इसीलिये गुजरात के मुख्य मंत्री ने यह मामला योजना आयोग को निर्देशित किया ? यदि हां, तो योजना आयोग की क्या सिफारिश है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ऐसी धारणा बनाने का कोई आधार नहीं है । जहां तक रायल्टी का सम्बन्ध है, मुझे पता नहीं है कि क्या मुख्य मंत्री ने यह मामला प्रधान मंत्री जी को निर्देशित किया है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय एवरेस्ट अभियान दल

*६८२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एवरेस्ट पर दूसरा अभियान दल भेजने के प्रस्ताव के संबंध में इस बीच क्या निर्णय लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : १९६५ के बसंत में एवरेस्ट पर एक भारतीय दल भेजने का प्रस्ताव है ।

चतुर्थ योजना काल में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य

†*६८३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात के विस्तार के कार्यक्रम की रूपरेखा अगले वर्ष के मध्य तक तैयार हो जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि चतुर्थ योजना काल के लिये इस्पात के उत्पादन का १८० लाख टन का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये परियोजनाओं की क्या मुख्य रूपरेखा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में लोहा और इस्पात के विकास के लिये कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक स्टीयरिंग ग्रुप बनाया है । स्टीयरिंग ग्रुप इस्पात के उत्पादन के लिये लक्ष्य और इसको प्राप्त करने के लिये विस्तृत/चालू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में सिफारिश करेगा कि यह उस कार्य के लिये अध्ययन करने की व्यवस्था कर रहा है । इस अध्ययन को कोई निश्चित रूप देने के लिये स्टीयरिंग ग्रुप ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में अपेक्षित इस्पात के उत्पादन के लिये १८० लाख टन के अस्थायी आंकड़े रखे हैं परन्तु अध्ययन के परिणामों पर इनकी पुष्टि या इनमें शुद्धि होगी । यह दल वर्ष १९६३ की तीसरी तिमाही के लगभग अपनी सिफारिशें पेश करेगा ।

राजस्थान में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

†*६८४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत कितनी है ;

(ख) राजस्थान में सामान्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को इण्डियन आयल कम्पनी के डिपो किस हद तक पूरा कर पायेंगे ; और

(ग) जोधपुर और बीकानेर में डिपो कब आरम्भ किये जायेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) वर्ष १९६२ में राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का अनुमान लगभग १,९०,००० टन लगाया गया है ।

(ख) इण्डियन आयल कम्पनी के कोटा और जयपुर में दो डिपो हैं । जैसे ही और डिपो चालू हो जायेंगे, इण्डियन आयल कम्पनी यथासंभव अधिकाधिक राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेगी ।

(ग) जोधपुर डिपो निर्माणाधीन है और इसके अक्तूबर, १९६२ में चालू होने की आशा है । इण्डियन आयल कम्पनी बीकानेर डिपो के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिजो पहाड़ियां

†*६८५. श्री हेम बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० रा० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही मिजो पहाड़ियों में मिजो नेशनल फ्रन्ट नामक एक राजनैतिक संगठन के तत्वाधान में भारतीय संघ से अलग स्वतंत्र मिजो राज्य बनाने के संबंध में एक आन्दोलन आरंभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन का ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). मिजो नेशनल फ्रन्ट नामक एक संगठन बैठकें करता रहा है और एक स्वतन्त्र मिजो राज्य के निर्माण की मांग करता रहा है । यह भी पता चला है कि फ्रन्ट अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिये संगठन के नये यूनिट स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है । राज्य सरकार इसकी गतिविधियों पर निगाह रख रही है और आवश्यक उपाय करेगी । केन्द्रीय सरकार भी अपने को स्थिति से अवगत रख रही है ।

मोटरगाड़ियों के 'लीफ स्प्रिंग' का निर्माण

†*६८६. श्री विश्वनाथ राय :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री कजरोलकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को मोटरगाड़ियों के 'लीफ स्प्रिंग' बनाने का लाइसेंस अथवा अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि 'लीफ स्प्रिंग' उद्योग को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में 'अस्वीकृत सूची' में रख दिया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि मोटरगाड़ी लीफ स्प्रिंग का निर्माण बड़े पैमाने के उद्योगों में न करके उसका सहायक उद्योग में निर्माण रक्षित कर दिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २८ जुलाई, १९६२ को।

(ग) जी, हां ।

(घ) मोटरगाड़ियों का लीफ स्प्रिंग उद्योग, जो मोटरगाड़ी उद्योग का सहायक उद्योग है, बड़े पैमाने के क्षेत्र और छोटे पैमाने के क्षेत्र दोनों में चलाया जाता है।

तेल पर रायल्टी

†*६८७. **श्री जसवन्त मेहता**: क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और आसाम में तेल के कूवों से निकले तेल पर सरकार ने किस दर पर रायल्टी का भुगतान किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में एक समान नीति नहीं है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने रायल्टी की दरों को बढ़ाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार कर लिया है और उस पर निर्णय ले लिया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ही केवल सरकारी सार्थ है जो तेल निकाल रहा है। इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग केवल गुजरात में तेल निकाल रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कूप-मुहाने पर कच्चे तेल के कुल मूल्य के १० प्रतिशत की दर से रायल्टी दे रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में कोयला गैस संयंत्र

†*६८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री सोलंकी ।

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की ३·५ करोड़ रुपये की लागत वाली कोयला गैस संयंत्र की योजना की क्रियान्विति के बारे में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) घरेलू उपभोग के लिये कोयला गैस के संभरण के बारे में दिल्ली के लिये वृहत् योजना में दिये गये सुझाव पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रस्ताव की प्रविधिक तथा वित्तीय दृष्टिकोण से ध्यानपूर्वक और विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता है। वास्तव में वृहत् योजना में सुझाव है कि मामले पर विचार किया जाये।

(ग) क्योंकि अब वृहत् योजना सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन मंजूर कर ली गयी है, इस सुझाव पर सभी दृष्टिकोणों से विस्तृत परीक्षा करने और सरकार को सिफारिशें भेजने के लिये कह कर दिल्ली नगर निगम को सौंपा जा रहा है।

बम्बई में स्टेनलैस स्टील के कारखानों का बन्द हो जाना

†*६८९. **श्री कजरोलकर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने वाले आठ कारखाने बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उनको स्टेनलैस स्टील की शीट का संभरण करने के सम्बन्ध में कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को स्टेनलैस स्टील की शीटों का आयात करने की इस समय अनुमति नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). बम्बई के औद्योगिक आयुक्त ने बताया है कि १० कारखानों ने स्टेनलैस स्टील की चादरों के अभाव में अपने स्टेनलैस स्टील बर्तन निर्माण विभाग बन्द कर दिये हैं।

(ग) अक्तूबर, १९६१--मार्च, १९६२ की अवधि के लिय स्टेनलैस स्टील की चादरों का लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा महाराष्ट्र राज्य को आवंटित अभ्यंश बम्बई के उद्योग निदेशक द्वारा इन यूनिटों को आवंटित किया जा चुका है। इन यूनिटों को शीघ्र ही राज्य व्यापार निगम से स्टेनलैस स्टील की चादरों की मात्रा का संभरण किया जायेगा।

(घ) और (ङ). बर्तन निर्माताओं की अपेक्षा वास्तविक उपभोक्ताओं को स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात करने की अनुमति दी जाती है, जिनकी आवश्यकता वस्तु-विनिमय के आधार पर आयात से पूरी की जाती है।

प्रशिक्षण तथा भरती सम्बन्धी सलाहकार समिति

†*६९०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा भरती सम्बन्धी सलाहकार समिति की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : भरती तथा प्रशिक्षण के लिये सलाहकार समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला निगम

†*६९१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री ब्र० कु० दास :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कोयला निगम स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) क्या इसका राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोई सम्बन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). जी, नहीं । इस समय भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विदेशों को भेजे गये भारतीय प्रशिक्षित

†*६९२. **श्री मुरारका :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विदेशों को कितने भारतीय प्रशिक्षित भेजे गये थे;

(ख) क्या वह सभी वापस लौट आये हैं;

(ग) उन में से कितने सेवा में नियुक्त हो चुके हैं; और

(घ) क्या उनका काम संतोषजनक है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अभी तक विदेशों को १५११ इंजीनियर और ४७७ आपरेटिव भेजे हैं ।

(ख) जी, नहीं । ४४ इंजीनियर और ७ आपरेटिव अभी विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केवल स्थायी कर्मचारियों को ही विदेशी प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है ।

(घ) जी, हां ।

गुजरात में पाइप लाइन

†*६९३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पाइप लाइन बिछाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी परियोजना की लागत के बारे में कोई अन्तिम प्राक्कलन नहीं तैयार किया गया है ।

अंग्रेजी साप्ताहिक "लिंक" के भवन के लिये पेशगी

*६९४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मथुरा रोड पर अंग्रेजी साप्ताहिक "लिंक" के कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र उद्योगों ने कुछ धनराशि पेशगी दी है;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों ने धनराशि पेशगी दी है तथा कितनी कितनी;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इतनी बड़ी मात्रा में पेशगी धन देने की कोई परम्परा रही है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये हैं;

(घ) क्या उन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने जिन्होंने "लिंक" साप्ताहिक को पेशगी धन दिया है, इस पत्र के व्यवस्थापकों से कुछ शर्तें तय की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). इण्डियन रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड ने मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को, जो लिंक बिल्डिंग की मालिक है, चार साल के पेशगी किराये के तौर पर ३,४४,१३१ रुपये २५ नये पैसे की रकम दी है ।

(ग) इस बारे में सरकार ने इस तरह की खास हिदायतें जारी नहीं की हैं ।

(घ) और (ङ) इण्डियन रिफाइनरीज़ ने मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया पीरियाडिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ पट्टे का करार किया है जिसकी मुख्य शर्तें ये हैं :—

(१) किराये में १६ प्रतिशत की छूट दी गई है ;

(२) यदि कम्पनी चार वर्ष से पहले इमारत खाली कर दे, तो युनाइटेड इंडिण्या पीरियाडिकल्स (प्राइवेट) या तो पेशगी की बाकी रकम वापस कर देगी या इण्डियन रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड को इमारत को किराये पर उठाने का अधिकार होगा ; और

(३) इमारत का पट्टा तीन महीने के नोटिस पर ख़त्म किया जा सकता है और बाकी रकम इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड को वापस कर दी जायेगी ।

समवर्ती विषय के रूप में शिक्षा

†*६९५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के बारे में किये गये प्रस्ताव पर मंत्रालय ने आगे विचार किया है तथा यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों तथा विश्वविद्यालयों में, शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के पक्ष में सम्मति इकट्ठा करने के सम्बन्ध में किए गए कामों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) राज्यों की तुलना में केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालयों तथा प्रदेशों में प्रति-व्यक्ति कितना धन व्यय हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सभा-पटल पर विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २ , अनुबन्ध संख्या ६४]**

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण

†*६९६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९६१ के आरम्भ में दिल्ली प्रशासन से कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतनक्रमों के अन्तिम रूप से पुनरीक्षण के प्रस्ताव प्रस्तुत करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने अब तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए है ;

(ग) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) मामले में शीघ्रता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन के अधिकांश कर्मचारियों के वेतन स्तर नवम्बर, १९६० में निर्धारित किये गये थे । उस समय कुछ थोड़े से पद शामिल नहीं किये जा सके थे परन्तु इनमें से केवल एकाध को छोड़ कर बाकी सब के लिये बाद में आदेश जारी कर दिये गये ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत की अर्थ व्यवस्था

†१८९७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत के एक भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जून, १९६२ में मद्रास में कहा था कि क्योंकि सरकार अभी तक 'भारत सहायता क्लब' के सदस्य देशों से अपेक्षित मात्रा में ऋण लेने में सफल नहीं हो सकी, समूची अर्थ व्यवस्था में गतिरोध आ जाने का भय है ; और

(ख) इस समय जो स्थिति है, क्या वह गतिरोध के निकट है

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य श्री सी० डी० देशमुख के वक्तव्य का निर्देश कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि यह वक्तव्य उस समय दिया गया था जब कि भारत सहायता देशों से अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना अनिश्चित सी थी ।

---

†मूल अंग्रजी में

३० जुलाई, १९६२ को हुई भारत सहायता देशों की बैठक के परिणामस्वरूप सदस्य देशों संस्थाओं द्वारा कुल बाह्य सहायता के वचन से तृतीय योजना के प्रथम वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता लगभग पूरी हो जायगी। इसको ध्यान में रखते हुए, बाह्य सहायता के अभाव में अर्थ व्यवस्था में गतिरोध आने का कोई प्रश्न नहीं है।

कांगड़ा में चांदमारी

†१८९८. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिले में, तहसीलवार उन गांवों के क्या नाम है, जहां सेना द्वारा प्रति वर्ष चांदमारी का प्रशिक्षण किया जाता है ;

(ख) यह कितने महीने तक किया जाता है और वे महीने कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या उन गांवों को कोई क्षतिपूर्ति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो कितनी और यह किसको दी जाती है ; और

(ङ) वर्ष १९५६ से १९६१ तक वर्ष-वार इन गांवों को कुल कितनी रकम दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) कांगड़ा जिले के कांगड़ा तहसील में कोहाला खास, खोया, खास कछियार और गुणखडी गांव।

(ख) चांदमारी का प्रशिक्षण वर्ष में लगभग ४ मास—जुलाई, अगस्त और दिसम्बर से मार्च तक किया जाता है।

(ग) से (ङ). शामलात भूमि के मालिकों में बांटने के लिये स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा युद्धाभिनय चांदमारी और शातघ्न प्रशिक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकित क्षतिपूर्ति वर्ष १९५८–५९ तक तहसीलदार को दी गई है। पहले भुगतान के बारे में कुछ औपचारिकतायें पूरी न होने से आ गे के वर्षों के लिय भुगतान नहीं किया गया है। औपचारिकताओं को पूरा करने और बाकी भुगतान के लिय कार्यवाही की जा रही है।

आंग्ल-भारतीयों का वर्गीकरण

†१८९९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खासी समाज में मातृकुलीय परम्परा के बावजूद योरोपीय पुरुष खासी महिला से जन्मी सन्तान को आंग्ल-भारतीय माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की धारा ३६६(२) की ओर दिलाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्र-वृत्तियां

१९००. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष अलग-अलग अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र द्वारा कितनी धन-राशि वजीफे में दी गई ; और

(ख) इस अवधि में प्रति वर्ष अलग अलग कितनी धनराशि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

वर्ष	स्वीकृत राशि (रुपयों में)
१९५७–५८	१,००,३७,८७९
१९५८–५९	१,२५,८६,१३०
१९५९–६०	१,४३,४०,१००
१९६०–६१	१,६१,४८,६००
१९६१–६२	२,००,२९,१००

(ख) इस अवधि में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लगभग दो लाख छात्रवृत्तियां दी गईं । छात्र-वार सूचना संकलित करने में जितनी मेहनत लगेगी, उसके अनुपात से परिणाम उतने आशाजनक नहीं होंगे । फिर भी छात्रों को २७ से ७५ रुपये मासिक तक छात्रवृत्तियां दी जाती है जो कि छात्रों द्वारा लिये जाने वाले पाठ्यक्रम, उनके द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन तथा अन्य फीसों पर निर्भर है ।

मनीपुर में हत्या के मामले

†१९०१. **श्री रिशांग कशीग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मनीपुर में कितनी हत्यायें और अन्य प्रकार के अपराध हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुरघाटी के सब कत्ल के मामलों में अपराधियों को न्यायालयों में पुलिस द्वारा उचित जांच पड़ताल न होने के कारण छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में कितने मामलों में अपराधियों को अपराध मुक्त किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मनीपुर में हुये अपराधों का विवरण

अपराध का नाम	१९५९	१९६०	१९६०	१९६१ (३१–७–६२ तक)
डाका	४२	७७	६१	२५
बकैती	५	२३	१४	४
हत्यायें	१४	३१	२५	११
उत्पात	३७	१४४	७६	७०
सेंध	१२३	१८७	१३८	९३
अपहरण या भगा ले जाना	७७	९२	११७	८०
चोरी जिसमें पशु ले जाना भी शामिल है	४१८	५०२	४१२	२२७
अपराधिक विश्वासघात	२१	४१	४०	३४
धोखेबाजी	४९	७१	४२	३०
अन्य अपराध	९२४	१०२८	८५६	६१२
कुल	१७१०	२१९६	१७८१	११८६

मनीपुर घाटी के हत्याओं के मामले जिनमें अपराधियों को दोषमुक्त सिद्ध किया गया

	मामले
१९५९	५
१९६०	७
१९६१	५
१९६२ (३१–७–६२ तक)	—

(ख) जी नहीं।

पंजाबी नाटकों के लिये अनुदान

†१९०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ के दौरान पंजाब में पंजाबी नाटक के विकास के लिये कुछ अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितना अनुदान दिया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान । किन्तु साहित्य अकादमी ने विदेशी भाषाओं और अन्य भारतीय भाषाओं से नाटकों का हिन्दी में अनुवाद करावया है । इस मंत्रालय ने भी पंजाबी में ४ नय नाटकप्तैयार करने के लिये अनुदान दिये हैं । "एकता के लिए भारत का आग्रह" नामक विषय पर प्रतियोगिता का अवसर पंजाबी को भी दिया गया है ।

लौह अयस्क का उत्पादन मूल्य

†**१९०३. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : : क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरसुआ, किरीबुआ और बोलानी खानों में लौह अयस्क का उत्पादन मूल्य क्या है;

(ख) बोलानी, बरसुआ और किरीबुआ खानों में उत्पादित लौह अयस्क जो दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के लिए भेजा जाता है उसका खान के स्थान पर क्या मूल्य है; और

(ग) क्या दुर्गापुर और रूरकेला को लौह अयस्क भेजने के लिए खानों के गैर-सरकारी मालिकों के लिए वार्षिक अभ्यंश निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) तथा (ख). किरीबुरू खान में आजकल उत्पादन नहीं होता । अन्य जानकारी प्रश्न संख्या ३१२९ के १३-६-१९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में एकत्र की जा रही है । यह काम करने में कुछ विलम्ब हो गया है क्योंकि जो जानकारी दी गई है वह तुलनात्मक आधार पर नहीं दी गई ।

(ग) नकी खानों के उत्पादन की हाल ही की कमी को पूरा करने के लिए जो कि सापेक्ष दृष्टि से थोड़ी है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात खारकानों के लिए गैर-सरकारी खानों के मालिकों से लौह अयस्क खरीदता है ।

इंडो-कमर्शियल बैंक के खातेदारों को भुगतान

†**१९०४. श्री म० प० स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-कमर्शियल बैंक (जो पंजाब नेशनल बैंक में विलीन कर दिया गया है) के सब खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने खातेदारों का भुगतान अभी किया जाना है; और

(ग) कब तक खातेदारों को बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). २५० रुपये के मूल भुगतान या बकाया ऋण जो भी कम हो, के अतिरिक्त खातेदारों को देय बकाया राशि में से ३७॥ प्रतिशत दे दिया गया है अथवा उनके खाते में डाल दिया गया है और हाल ही में बकाया निक्षेपों के १२॥ प्रतिशत के हिसाब से और भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) और भुगतान इंडो-कमर्शियल बैंक की शेष आस्तियों से वसूल होने वाली राशि पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश म अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१९०५. **श्री उलाका:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी जानी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २१ अनुबन्ध संख्या ६५]**

आंध्र प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्र

†१९०६. **श्री उलाका :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के संघ सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे केन्द्र जिलावार किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी राशि नियत की गई; और

(घ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे केन्द्रों के निर्माण के लिए संघ सरकार ने आंध्र प्रदेश को कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक सांस्कृतिक केन्द्र के लिए कितनी धन राशि दी गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ). सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए तो कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी किन्तु प्रत्येक नाट्यगृह के लिए १,१५० रुपये की दर से ग्रामीण क्षेत्रों में १५ बिना छत वाले नाट्यगृह निर्माण करने के लिए राज्य सरकार को १७,२५० रुपये की राशि दी गई थी ।

आंध्र प्रदेश के लिये कोयला

†१९०७. **श्री उलाका :** क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से आंध्र प्रदेश की कोयले की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) इन मांगों पर संघ सरकार ने कितने कोयले का अभ्यंश निर्धारित किया; और

(ग) प्रति वर्ष वास्तव में कितने कोयले का संभरण किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की गई ऐसी मांगों के, जिन्हें कोयला नियंत्रण ने मजूर नहीं किया, आंकड़े नहीं रखे जाते। १९५७ से आंध्र प्रदेश के लिये निर्धारित अभ्यंश और उसे भेजे गये कोयले के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

वर्ष	अभ्यंश (आंकड़े	भेजा गया कोयला डिब्बों में)
१९५७	१९,२३६	१६,७१४
१९५८	२१,६३६	१८,११८
१९५९	२२,८३६	१७,९०१
१९६०	२४,०४८	१८,८४३
१९६१	२४,६७२	२१,५९७
१९६२ (जून तक)	११,१७१	८,३०४

उपरोक्त आंकड़ों में समय समय पर निर्धारित तदर्थ अभ्यंश नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश के महालेखापाल के कर्मचारियों क लिये निवास व्यवस्था

†**१९०८. श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के महालेखापाल के कार्यालय के श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो दो वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं किन्तु उन्हें अलग अलग निवास नहीं दिये गये; और

(ख) उनके लिए उपयुक्त निवास व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाने का विचार है अथवा उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) आंध्र प्रदेश के महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए हैदराबाद में ४०० क्वार्टरों के निर्माण के लिए ३० एकड़ जमीन अर्जित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उच्चतम माध्यमिक कक्षा के छात्र

†**१९०९. श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि दिल्ली में जो छात्र उच्चतम माध्यमिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं उन्हें सामान्यतः उन स्कूलों में भी पुनः प्रविष्ठ नहीं होने दिया जाता जहां से उन्होंने परीक्षा दी होती है;

(ख) क्या अन्य संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में भी ऐसी नीति अपनाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे छात्रों की निम्नलिखित राज्यों में कितनी अनुमित संख्या है :—

(१) दिल्ली राज्य;

(२) अन्य संघ राज्य क्षेत्र; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ऐसे छात्रों के भाग्य सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). जहां तक दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

मैथिली भाषा

१६१०. श्री योगेन्द्र झा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली जनगणना में बिहार में कितने लोगों ने मैथिली को अपनी मातृभाषा दर्ज करवाया है;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों में मैथिली एम० ए० की कक्षा तक पढ़ाई जाती है; और

(ग) क्या और कोई ऐसी भाषा है जिसकी पढ़ाई अनेक विश्वविद्यालयों में एम० ए० तक होने पर भी उसे संविधान में स्थान नहीं मिला हो और यदि हां, तो वे कौन सी भाषायें हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अभी १६६१ की जनगणना के भाषा सम्बन्धी आंकड़े तैयार नहीं हैं ।

(ख) पटना और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में मैथिली एम० ए० कक्षा में पढ़ाई जाती है ।

(ग) अरबी, फारसी तथा अर्ध-मागधी, पाली इत्यादि भाषाओं का संविधान में जिक्र नहीं है फिर भी कई विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं को एम० ए० तक पढ़ाया जाता हैं ।

डा० ए० के० गायन की रिपोर्ट

†**१६११. श्री दाजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मेज़रमेंट आफ एचीवमेंट इन मेथमेटिक्स" ("गणित में सफलता के माप") के विषय पर डा० गायन द्वारा मुख्य सुझाव क्या दिये गये हैं; और

(ख) उसे दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा पद्धति का पुनः रूपनिर्धारण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रतिवेदन में किये गये मुख्य सुझावों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा हैं ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन की कटौती लौटाना

†**१६१२. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने उन ३०० कर्मचारियों के वेतन की कटौती लौटाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय से अपील की है जिन्हें जुलाई, १६६० की हड़ताल के कारण हानि उठानी पड़ी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय संघ की प्रार्थना पर विचार कर रहा है ; और

(ग) अन्तिम निर्णय अब किया जाना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). हां, श्रीमान् । विषय की जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र निर्णय किया जायगा ?

दिल्ली में पशुओं की हत्या करने वाले गिरोह

†१९१३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गांधीनगर और उसके आस पास की बस्तियों में एक दल पशुओं को मारने का काम करता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या साधन अपनाये हैं ; और

(ग) क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दूसरी श्रेणी के कोयले का मूल्य

†१९१४ { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारी कम्पनियां दूसरी श्रेणी के कोयले के मूल्य के निर्धारण के विरुद्ध हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, इस अभ्यावेदन का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क), (ख) तथा (ग). दूसरी श्रेणी के कोयले के मूल्य १३.६.१९६२ के अन्तिम मूल्यों में परिणत कर दिये गये हैं । कोयला उद्योग के सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि इस श्रेणी के कोयले के मूल्य अन्तिम नहीं होने चाहिये बल्कि वे निर्धारित किये जाने चाहियें । किन्तु सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्तमान मूल्य व्यवस्था जो कि कुछ ही महीने पहले जारी की गई थी जारी रहनी चाहिये ।

शिलांग स्थित लेखन परीक्षा कर्मचारी संघ

†१९१५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग स्थित लेखा परीक्षा कर्मचारी संघ को पुनः मान्यता दे दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या संघ उन सब शर्तों को पूरा करता है जो महालेखापाल ने लगाई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) नहीं श्रीमान्। (ख) तथा (ग). संघ ने अभी तक उन शर्तों को पूरा नहीं किया जिनकी ओर से निर्दिष्ट किया गया था।

गार्डन रीच वर्कशाप

†**१९१६. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की गार्डन रीच वर्कशाप का विस्तार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्कशाप में और क्या काम करने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) वर्तमान सुविधाओं के विस्तृत करने के लिए कतिपय प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) गार्डन रीच वर्कशाप मद्रास के निकट एन्नोर के स्थान पर नौकाओं के डीज़ल इंजनों का निर्माण आरम्भ करेगी।

दिल्ली में अपराध

†**१९१७. श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या गृह-कार्य मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या साधन अपनाये गये हैं क्योंकि दिल्ली में अभी तक बहुत से अपराधियों का अभी तक पता नहीं लगा ;

(ख) क्या २० मई, १९६२ से कुछ मामलों का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो जिन अपराधों का पता नहीं लगा व इस समय कितने प्रतिशत हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) अपराधों को पता लगाने के साधनों, जैसे कि ज़ोरदार पहरा, अपराधियों के निकल भागने के सभी संभव मार्गों और अपराधियो के छिपने के स्थानों की देख रेख रखना संदेहजनक लोगों की नियमित और वैज्ञानिक जांच पड़ताल, कारों और टायरों आदि की चोरी के अपराधों के सम्बंध में विशेष दल स्थापित करना बुरे चरित्र वाले पंजीवद्ध लोगों की प्रभावी देख रेख उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, का सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) दर्ज किये गये मामले की तुलना में न पता लगने वाले मामलों की प्रतिशतता।

१९५९–६०	४०.९६ प्रतिशत
१९६०–६१ . . .	४२.२९ प्रतिशत
१९६१–६२	४४.४४ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के लिये इस्पात और कच्चे लोहे का अभ्यंश

†१९१८. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामंत :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कृषि सम्बंधी प्रयोजनों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए इस्पात अथवा कच्चे लोहे का अभ्यंश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६१–६२ में कितना लोहा या इस्पात दिया गया और १९६२–६३ के लिए कितना अभ्यंश निर्धारित किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम** (क) तथा (ख). इस्पात–– १९६१–६२ कतिपय निश्चित श्रणियों अर्थात् चादरों और तार के सम्बन्ध में प्रारभिक अभ्यंश निर्धारित किया गया था । इस्पात की अन्य श्रणियों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को बिना अभ्यंश प्रमाणपत्र का प्राधिकार के स्टाकिस्टों या उत्पादकों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी थी । अधिकांश अभ्यंश खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को दे दिया गया था ताकि वह विभिन्न राज्य सरकारों में बांट दें । तार पर से वितरण नियंत्रण भी १-४-१९६२ से हटा दिया गया है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादकों के पास बहुत से पुराने आर्डर पड़े थे और उन्हें कम करना आवश्यक समझा गया था अत: गेलवीनाइज्ड प्लेन और गेल्वीनाइज्ड नालीदार चादरों का वितरण १९६२–६३ की पहली छमाही में (अप्रैल–सितम्बर, १९६२) नहीं किया गया था । १९६२–६३ की पहली छमाही में अभ्यंश नियत किया गया था अत: वह केवल ब्लैक प्लेन की चादरों के लिए नियत किया गया था ।

कृषि प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के लिए नियत इस्पात का ब्योरा निम्नलिखित है :

	मीट्रिक टन
१९६१–६२	१४३,५७८*
१९६२–६३ की पहली छमाही (अप्रैल–सितम्बर, १९६२) .	६,००१@

*चादरों और तारों की सीमित श्रेणियां

@केवल कोल्ड रोल्ड ब्लैक प्लेन की चादरें ।

कच्चा लोहा : १-७-१९५९ से कच्चे लोहे की अभ्यंश पद्धति समाप्त कर दी गई है । अत: अब एकत्रित मांगे प्राप्त नहीं की जाती और राज्य सरकारों को अभ्यंश नहीं दिये जाते । उपभोक्ता बिना प्राधिकार के स्टाकिस्टों और उत्पादकों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं ।

---

†मूल अंगेजी में

"संस्कृति"

१६१६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "संस्कृति" (हिन्दी त्रयमासिक) पत्रिका में १९६१–६२ में कितनी सामग्री अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर प्रकाशित की गई ;

(ख) कितनी मौलिक सामग्री इसी अवधि में प्रकाशित की गई ;

(ग) अनुदित तथा मौलिक सामग्री पर पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपया दिया गया,

(घ) क्या पारिश्रमिक देने में विलम्ब होता है ;

(ङ) यदि हां, तो कितना; और

(च) अब तक किस अंक में प्रकाशित सामग्री का पारिश्रमिक नहीं दिया गया ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) २७५ पृष्ठ ।

(ख) ७६ पृष्ठ ।

(ग) अनुदित सामग्री के लिए १५८३ रुपए और मौलिक सामग्री के लिए १०३८ रुपये

(घ) और (ङ). कुछ दृष्टान्तों को छोड़कर, जहां कि लेखक कुछ औपचारिकताओं को समय से पूरा नहीं कर पाये ; भुगतान तीन महीने के अन्दर कर दिया जाता है ।

(च) कोई नहीं ।

"कल्चरल फोरम"

१६२०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कल्चरल फोरम" नामक पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर कितना पारिश्रमिक १९६१–६२ में दिया गया ;

(ख) अधिकतम पारिश्रमिक की राशि कितनी थी ; और

(ग) सस्कृति' त्रयमासिक पत्रिका की सामग्री पर अधिकतम पारिश्रमिक कितना दिया गया ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ४८०१ रु० ।

(ख) १०० रुपए ।

(ग) १०० रुपए ।

मशीन निर्माण उद्योग

१६२१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस महीनों में देश में मशीन निर्माण उद्योग के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या इन विशेष प्रयत्नों के लिये कोई विशेष कर्मचारी रखे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनमें कितने भारतीय और कितने विदेशी हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सरकार मशीन निर्माण उद्योग के विकास कार्य को सदा बहुत महत्व देती रही है ।

प्रत्याशित मांग और वर्तमान क्षमता में अन्तर को समाप्त करने के उद्देश्य से चीनी के कारखानों के लिये मशीनों (हाई स्पीड शुगर सेन्ट्रीफ्युगल्स को छोड़ कर) कागज़ बनाने के कारखानों, विलायक निस्सारण कारखानों और चाय उपक्रिया मशीनों के अलावा मशीन निर्माण उद्योग को फ्री लाइसेंसिंग सूची (अर्थात् वह उद्योग सूची जिसमें लाइसेंस समिति को निर्देश किये बिना ही क्षमता लाइसेंस कर दी जाती है) में रखा गया है । उपरोक्त उद्योगों की पूर्ण क्षमता लाइसेंस की जा चुकी है । आवश्यक पूंजीगत माल, कच्चा माल और पुर्जों के आयात के मामले में विदेशी मुद्रा के आवंटन में मशीन निर्माण उद्योग को परम अग्रता दी गई है। सुप्रसिद्ध विदेशी मशीन निर्माताओं का सहयोग प्राप्त करने की खुली छूट दी गई है ताकि अच्छी किस्म की मशीनें बनाई जा सकें । भारतीय फर्मों को विदेशी प्रविधिक रखने की इजाज़त दी जाती है जिससे उत्पादन स्थापित किया जा सके और भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सके ।

मशीन उद्योग के विकास के निर्देशन के लिए तथा इसकी समस्याओं और कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये उद्योग अधिनियम के अधीन एक विकास परिषद् कायम की गई है । परिषद् में (१) औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों (२) औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों (३) तकनीकी और दूसरे मामलों में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों और (४) इस उद्योग द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित माल के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

इस उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कोई विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किए हैं । ताहम, केवल मशीनी औजार उद्योग के विकासार्थ, समय समय पर कोलम्बो योजना के अधीन तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं । विकास स्कन्ध में विशेषज्ञ हैं जिनसे हर समय सलाह मशवरा किया जा सकता है । मशीनी औजार इकाइयों की पुनः स्थापना और विस्तार के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा ऋणों का प्रबन्ध भी किया जाता है ।

विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में दो कारपोरेशन नामशः हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और हैवी इलेकट्रिकल्स लिमिटेड लगाये गये हैं, जिनमें तेज़ी से प्रगति हो रही है । इनके अलावा हिन्दोस्तान मशीन टूल्स और प्रागा टूल्स कार्पोरेशन लिमिटेड की गतिविधियों का विस्तार और विशाखन किया जा रहा है ।

बालकला प्रदर्शनी

१९२२. **श्री म० ला० द्विवेदी:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में कितनी बालकला प्रदर्शिनयां की गई और इसके लिये किन-किन संस्थाओं को कितने रुपए की सहायता दी गई ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : उपलब्ध सूचना के अनुसार १९६१–६२ में दो बालकला प्रदर्शनियां "शंकर्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रन्स कम्पीटीशन कमिटी" नई दिल्ली ने की और एक "साधना वीकली" पूना ने । उनके लिये क्रमशः १,१०,००० रुपए और २,५०० रुपए अनुदानों की मंजूरी दी गई ।

अम्बाला-करनाल और रोहतक क्षेत्रों के लिये कोयला

१९२३. श्री रामेश्वरानन्द : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पिछड़े एवं यमुना की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र अम्बाला-करनाल-रोहतक को क्या विशेष रूप से कोयला देने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसका क्या कारण है जबकि वहां की जनता के कच्चे मकान बाढ़ से आये वर्ष गिर जाते हैं ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे ० मालवीय) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के पास सम्बन्धित जिलों द्वारा बाढ़ों के कारण कोयले की कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई है ।

राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें

१९२४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलया, दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय क्या उक्त संस्थाओं के साथ कुछ शर्तें भी रखी गयी थीं ;

(ख) इन दोनों संस्थाओं को क्या समान रूप से ही मान्यतायें प्रदान की गई हैं अथवा इनमें कुछ अन्तर है ;

(ग) उक्त दोनों संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में भी क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ; और

(घ) गुरुकुल कांगड़ी के साथ क्या अन्य गुरुकुलों को भी मान्यता देने के क्रम में सम्मिलित किया जायेगा अथवा केवल गुरुकुल कांगड़ी को ही यह महत्व रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम १९५६ के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सलाह पर, १९ जून, १९६२ को अधिसूचना जारी की है । इनके अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, जो उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय माना जाएगा । परन्तु इन संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित नहीं किया गया है ।

इन घोषणाओं के साथ संस्थाओं के प्राधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है कि ये घोषणाएं आयोग की सलाह पर की गई हैं, आरम्भ में यह तीन वर्ष तक लागू रहेंगी और फिलहाल जामिया के बी० ए० और बी० एड० उपाधियों के समकक्ष और गुरुकुल के बी० ए०, बी० एस० सी० और एम० ए० उपाधियों के समकक्ष पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रहेंगी । संस्थाओं को यह भी सूचित कर दिया गया है कि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, उनके द्वारा की गई प्रगति का पुनरीक्षण किया जाएगा और इस अबधि के बाद भी मान्यता को जारी रखने के प्रश्न पर

विचार किया जाएगा। सम्बन्धित अधिसूचनाएं जारी करने से पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, इन संस्थाओं से, अपने अपने संविधान, आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करने के आश्वासन भी प्राप्त कर लिये थे।

(ख) घोषणा जारी करने में, इन दो संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी १ अगस्त, १९६२ की बैठक में यह विचार व्यक्त किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत किसी संस्था को विश्वविद्यालय मानने का यह अर्थ न लगाना चाहिए कि वह संस्था अपने आप केन्द्रीय सरकार या आयोग की सहायता की हकदार हो जाती है; यद्यपि वह संस्था, जैसा कि अधिनियम में इंगित है, ऐसे अनुदान पाने की हकदार है। फिर भी, आयोग निधियों के उपलब्ध होने पर संस्थाओं के वास्तविक विश्वविद्यालय भाग के लिये अनुरक्षण अनुदान देने की जिम्मेदारी ले सकता है।

(घ) केवल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पक्ष में ही यह अधिसूचना जारी की गई है। दूसरे गुरुकुलों को भी यह सुविधा देने का विचार नहीं है।

गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर में कर्म समिति के निर्वाचिन

†१९२५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशीपुर में "गन एण्ड शैल फैक्ट्री" की कर्म समिति के निर्वाचन बिधि अनुसार नवम्बर, १९६१ में होने थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन हो गये हैं ;

(ग) निर्वाचनों का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्वाचन अभी तक क्यों नहीं हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) पिछली कर्म समिति की कार्यावधि समाप्त होने पर नवम्बर, १९६१ से नई कर्म समिति बनाने का विचार था। निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में प्रबन्ध तथा कारखाने में कार्य करने वाले मान्यता प्राप्त मजदूर संघों में मतभेद था। अन्य मजदूर संघ इस मामले में प्रबन्ध से सहमत हो गया। दोनों संघों ने इस मामले की सूचना समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), कलकत्ता को दी और हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। इस अधिकारी का निश्चय उस संघ को स्वीकार्य न था जिसका प्रबन्ध से मतभेद था। अब संघ ने इस मामले के बारे में प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता को लिखा है जिसका निश्चय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

इस्पात कारखानों की लागत

†१९२६. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात संयन्त्रों की लागत के बारे में अन्तिम प्राक्कलन बन गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितना धन व्यय हो चुका है और होगा ;

(ग) बस्तियों और सहायता सुविधाओं पर अलग अलग कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) 'एस्केलेशन क्लाज़' का कुल प्रभाव क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (घ). तीन इस्पात कारखानों के तुलनात्मक आधार पर अन्तिम प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं और आशा है कि वे बहुत जल्द निश्चित हो जायेंगे । तैयार होने पर उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

इस्पात कारखानों में विदेशी कर्मचारी

†१९२७. **श्री मुरारका :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल तीनों में से प्रत्येक इस्पात कारखाने में कुल कितने विदेशी कर्मचारी हैं ; और

(ख) क्या ये सब टेक्निसियन हैं; और

(ग) इन व्यक्तियों को प्रति मास कितना वेतन दिया जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३१-७-६२ को विदेशी कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न थी :—

रूरकेला	१८८
दुर्गापुर	८१
भिलाई	७६

(ख) रूरकेला में काम करने वाले १८८ विदेशी कर्मचारियों में से १८७ टेक्निसियन हैं तथा दुर्गापुर और भिलाई में सभी टक्निसियन हैं ।

(ग)	रूरकेला .	३,८२,७०६ रु० (मार्क)
		२,४१,७१० रु०
		२,६२,६३७ रु० (डालर)
	दुर्गापुर .	१,१६,१०० रु० (पाउण्ड)
		१,५१,९०० रु०
	भिलाई . . .	१,५२,१५० रु०

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

१९२८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के काम काज में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम की प्रगति का समय समय पर पुनरावलोकन करने के लिये जिस विभागीय समिति की नियुक्ति की गई थी, उसके सदस्यों के क्या नाम हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) इस समिति के गृह-सचिव अध्यक्ष हैं तथा इसमें मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं । निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने समिति की ८ अगस्त, १९६२ को हुई पहली बैठक में भाग लिया :—

१. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
२. शिक्षा मंत्रालय
३. विधि मंत्रालय (विधायी विभाग)
४. निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय
५. वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय
६. डाक और तार का महानिदेशालय
७. मंत्रिमंडल सचिवालय (ओ० एण्ड एम० डिवीजन)
८. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
९. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
१०. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
११. गृह मंत्रालय

आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी समय समय पर बुलाये जा सकते हैं ।

(ख) समिति ने अपनी पहली बैठक में विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का पुनरावलोकन किया और भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा आगे कार्य करने के लिये कुछ सुझाव दिये ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†१९२९. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ८ जुलाई, १९६२ के कलकत्ता के दैनिक पत्र "जुगन्तर" में विशेष प्रकार से छापे गये उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें ५ और ६ जुलाई को पश्चिमी बंगाल के पेतरापोल स्थान पार सीमा पर कर समुचित यात्रा कागजों के बिना पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का उल्लेख था और जिन्हें बन्दी बना कर, हथकड़ियां डालकर और कमरों पर रस्सी बांध कर न्यायालय ले जाया गया था;

(ख) उस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान की अल्पसंख्यक जाति के जरूरतमंद प्रवासी विस्थापित व्यक्तियों के बारे में, जो मान्य यात्रा पत्र प्राप्त किये बिना भारत आते हैं, सरकार की क्या नीति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) उन्तीस पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को, जो उचित यात्रा पत्रों के बिना सीमा पार करके भारत आये, भारतीय पारपत्र अधिनियम, १९२० के अन्तर्गत अभियोजन के लिए भेजा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत में ऐसे व्यक्तियों के निरन्तर रहने के मामलों पर विशेषतानुसार सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाता है ।

व्यायाम प्रशिक्षण और युवक कल्याण योजनायें

१९३०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के सुझाव देने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी क्या इस बीच उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

स्वेच्छा से हिन्दी प्रचार करने वाले संगठनों को सहायता

†१९३१. **श्री गो० महन्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में देवनागरी लिपि में अहिन्दी राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य के प्रकाशन के लिए स्वेच्छा से हिन्दी-प्रचार करने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन का क्या नाम है और उसने कौन कौन पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में देवनागरी लिपि में सिन्धी पुस्तकें तैयार करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ९,००० रु० दिये गये थे । वर्ष १९६१–६२ में देवनागरी लिपि में अहिन्दी भाषाओं में साहित्य प्रकाशन के लिए किसी संगठन को कोई सहायता नहीं दी गई ।

देवनागरी लिपि में अहिन्दी भाषाओं का साहित्य प्रकाशित करने को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) सरकारी धन से स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा दो भाषी रीडर्स और प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार की जा रही हैं ।

(२) शिक्षा मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' में कुछ पृष्ठ भारतीय साहित्य के कुछ चुने हुए संदर्भों के दो भाषी उल्लेख के लिए होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं का साहित्य तैयार करने के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए उपबन्ध किया गया है ।

वर्ष १९६२–६३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया है । कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और आशा है कि शीघ्र ही कुछ निश्चय किया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति नोटिस

†१९३२. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में अब तक त्रिपुरा में कितने कर्मचारियों को सेवा आचरण नियमों के नियम ५ के अन्तर्गत सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) त्रिपुर में इस उपबन्ध के अन्तर्गत कितने आदिम जातियों की सेवा समाप्त की गई; और

(ग) नोटिस देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वातार) : (क) दस ।

(ख) दो ।

(ग) सेवा समाप्ति के नोटिस देने का कारण यह है कि प्रशासन को उनकी सेवाओं की और आवश्यकता न थी ।

बहु-प्रयोजनीय ट्रेक्टर

†१९३३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में चार से पांच अश्वशक्ति वाला छोटा बहु-प्रयोजनीय ट्रेक्टर बनाने का विचार है जिसका मूल्य लगभग १,५००० रु० होगा; और

(ख) ऐसे ट्रेक्टर बनाने के लिए किन छः फर्मों को लाइसेन्स दिये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). निम्नलिखित दो फर्मों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत शक्ति-चालित हल बनाने के लाइसेन्स दिये गये हैं जो कभी कभी १० अश्व-शक्ति से कम के ट्रेक्टर कहे जाते हैं :—

(१) मैसर्स इंजिनियरिंग डवलपमेन्ट लि०, कलकत्ता ।

(२) मैसर्स ईस्ट एशियाटिक को० (इण्डिया) प्राइवेट लि०, बम्बई ।

अभी उनमें उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपंग व्यक्ति

†१६३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अपंग व्यक्तियों पर लागू होने वाले चिकित्सा नियमों को ढीला करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत एसे अपंग व्यक्तियों की, जिनके नाम अपंग व्यक्तियों के विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों में लिखे हैं और जिनकी चिकित्सा परीक्षा उन दफ्तरों से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्डों ने की है और जिन्हें विशेष पदों पर नियुक्ति के लिए उचित बताया है, इन पदों पर वस्तुत: नियुक्त होने पर, सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त होने पर होने वाली सामान्य चिकित्सा परीक्षा नहीं होती । अपितु उनकी नियुक्ति के प्रश्न का निश्चय विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्टों के आधार पर होता है ।

सामान्य काम दिलाऊ दफ्तरों में जिनके नाम लिखे हैं उनकी चिकित्सा-परीक्षा के लिए भी वैसा ही प्रबन्ध किया गया है, अर्थात् स्वस्थ व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही करने वाले काम दिलाऊ दफ्तरों में जिनके नाम लिखे हैं उनके लिए विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों से सम्बद्ध चिकित्सा-बोर्डों के आधार पर बनाये गये चिकित्सा बोर्डों की व्यवस्था की गई है । तदनुसार, इन व्यक्तियों के काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा सरकारी पदों पर मनोनीत किये जाने पर, उनकी सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति पर होने वाली सामान्य चिकित्सा परीक्षा नहीं होती । उनकी नियुक्ति का प्रश्न उपरोक्त चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्टों के आधार पर निश्चित होता है ।

तेल शोधक कारखाने

†१६३५. **श्री कोल्ला वेंकैया** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता निर्धारित करने का नीति-निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ;

(ग) तीसरी योजना काल के अन्त तक तेल की कितनी मांग होगी ; और

(घ) मांग की पूर्ति करने की क्या योजना है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). न्यूनतम ५१ प्रतिशत तेल शोधक क्षमता सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिये ।

(ग) तेल मंत्रणा समिति के प्राक्कलनों के अनुसार लगभग १४० लाख मीट्रक टन । आजकल प्राक्कलनों का पुनरीक्षण हो रहा है ।

(घ) ये विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात का कम और आयात का अधिक बीजक बनाना

†१९३६. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों के ऐसे कितने व्यक्तियों तथा फर्मों का पता लगाया है जिन्होंने वर्ष १९६०–६१ में निर्यात का कम और आयात का अधिक बीजक बनाया ;

(ख) कम या अधिक बीजक बनाने के प्रत्येक मामले में कितना धन सनिहित है ; और

(ग) कदाचार भागी पाई गई प्रत्येक फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्रालय के उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर सरकार को अनुदान

†१९३७. **श्री राम रत्न गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मैसूर सरकार को जल संभरण के लिए अनुदान देने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो किन शर्तों पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली शिक्षा विभाग

†१९३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा विभाग प्रारम्भिक स्कूलों के लिए काम चलाऊ इमारतें बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो इमारतों के अभाव के कारण ऐसे कितने स्कूल डेरों में चल रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली में प्रारम्भिक स्कूलों के लिए स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं । दिल्ली प्रशासन का शिक्षा विभाग का ऐसे स्कूलों के लिए काम चलाऊ इमारतें बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में अहर के पास खुदाई

†१६३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर में अहर के पास खुदाई की गई है जिसमें ४००० वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पाई गई वतुओं में मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियां, आदि, मोती, तकुए, सीपी तथा सीपी की वस्तुयें, पशुओं की हड्डियां, तांबे के टुकड़े, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन आदि हैं ।

जनसंख्या का नकशा

†१६४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत तथा गांववार जनसंख्या नकशा प्रकाशन के लिए तैयार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य में मत्रालय उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : भारत की जनसंख्या के नक्शे जिसे राष्ट्रीय एटलस संगठन ने प्रकाशित किया है, १४ होंगे और उन में बिन्दुओं से ग्रामवार जनसंख्या और सभी महत्वपूर्ण गांवों की स्थिति दर्शायी जायेगी । इनमें से अभी तक दस मानचित्र प्रकाशित हो गये हैं ।

संस्कृत

†१६४१. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में संस्कृत की प्रगति के लिए बहुत धन व्यय कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १६६१–६२ में कितना धन व्यय हुआ और वर्ष १६६२–६३ में कितना धन स्वीकृत हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति के लिए भी वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(घ) यदि हां तो ये भाषायें कौन कौन हैं और वर्ष १६६१–६२ में उन पर राज्यवार कितना धन व्यय किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में देश में संस्कृत की प्रगति पर रु० ४ लाख व्यय हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रयोजन के लिए ७५ लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में ९ लाख रु० व्यय हुए हैं और वर्ष १९६२–६३ के बजट में १३.१८ लाख रु० की व्यवस्था है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(ख) आसामी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल, तेलगु और उर्दू।

वर्ष १९६१–६२ में इन भाषाओं पर राज्यवार निम्न राशियां व्यय हुईं:—

राज्य	राशि (रु०)
आन्ध्र प्रदेश	२०,८७६
आसाम	१६,७००
गुजरात	१६,९१२
केरल	३६,१२६
मध्य प्रदेश	२,०००
मद्रास	२,८४,३२५
महाराष्ट्र	३६,४६५
मैसूर	१५,३६०
उड़ीसा	१,१२५
पंजाब	४०,३३२
उत्तर प्रदेश	६,५००
पश्चिमी बंगाल	९०,८०८
दिल्ली	१०,८७३

भारत सरकार भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी को फैलाने व उसका विकास करने का काम भी कर रही है। इस बारे में जानकारी शिक्षा मंत्रालय की वर्ष १९६१–६२ की रिपोर्ट में दी है। इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत-चीन सीमा

†१९४२. **श्री हा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० के० देव:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६२ के बाद भारत-चीन सीमा पर भारतीय तथा चीनी सेनाओं में कितनी मुठभेड़ हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में चीनियों ने भारतीय भूमि पर कितनी फौजी चौकियां बना ली हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) दो घटनायें हुईं जिनमें चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर गोली चलाई और हमारे सैनिकों को आत्म रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। इसमें से एक मुठभेड़ २१ जुलाई, १९६२ को हुई जब कि दौलतबेग आल्दी क्षेत्र में चीनियों ने हमारे गश्ती सैनिकों पर गोली चलाई। पहले हमारे सैनिकों ने जवाब में गोली नहीं चलाई परन्तु बाद में चीनियों द्वारा निरन्तर गोली चलाये जाने पर उन्होंने आत्म रक्षा में गोली चलाई। दूसरी मुठभेड़ १४ अगस्त, १९६२ को हुई जब कि चीनियों ने पंगांग झील क्षेत्र में हमारी मूला चौकी पर गोली चलाई। हमारी चौकी वालों ने आत्म रक्षा में गोली चलाई।

(ख) शायद चीनियों ने ३० चौकियां बनाई हैं।

इस्पात कारखानों में आर्मर जेटों का उत्पादन

†१९४३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में आर्मर प्लेटों का उत्पादन रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी कलाकार

१९४४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से भारत में आकर अपने प्रदर्शन करने के लिए कलाकारों को अनुमति पत्र दिय जाते हैं और यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ख) इन विदेशी कलाकारों के प्रदर्शन से जो आय होती है उसका कितना भाग भारत में रह जाता है और कितना व विदेशों में ले जाते हैं ;

(ग) विदेशी कलाकारों के जो अर्धनग्न अवस्था के प्रदर्शन होते हैं वह भारतीय परम्पराओं से कहां तक मेल खाते हैं तथा क्या इस सम्बन्ध में भी कुछ ध्यान रखा जाता है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ विरोधपत्र मिले हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां, विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को पाश्चात्य शैली का मनोरंजन उपलब्ध कराके पर्यटन का प्रोत्साहन देने के लिए।

(ख) कलाकारों को आय का कोई भी हिस्सा देश के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) विदेशी कलाकारों के ये प्रदर्शन उनके अपने अपने देशों की संस्कृति का चित्रण करते हैं और वे मुख्यत: विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए होते हैं और कोई उन्हें भारतीय परम्पराओं के दृष्टिकोण से नहीं परखता।

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला की धमन भट्टी संख्या ३ का खराब हो जाना

†१९४५. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाना की धमन भट्टी संख्या ३, १४ जुलाई, १९६२ को खराब हो गई थी ।

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या था ;

(ग) कितने समय के लिय उत्पादन रोकना पड़ा ;

(घ) उत्पादन में कितनी हानि हुई ;

(ङ) गत तीन वर्षों में रूरकेला की तीन ब्लास्ट फर्नेसें कितनी बार खराब हुई ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) गर्म लोहा निकालते समय उसको ठंडा करने वाले वाटर पाइप को क्षति पहुंची, जिससे हल्का सा विस्फोट हो गया और टेप होल को क्षति पहुंची ।

(ग) लगभग दो दिन ।

(घ) लगभग २२५० टन गर्म धातु ।

(ङ) २० ।

(च) ये खराबियां मामूली थीं और असाधारण नहीं थीं ।

भारतीय विनियोजन केन्द्र

†१९४६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम रत्न गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारतीय कम्पनियों के साथ मिल कर कारोबार चलाने के हेतु विदेशी साझेदारों को ढूंढने में भारतीय विनियोजन केन्द्र सफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय और विदेशी कम्पनियों की संख्या जिन्हें गत दो वर्षों में विदेशी साझेदार मिले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारतीय विनियोजन केन्द्र ने जून, १९६१ में अपना कार्य आरम्भ किया और अक्टूबर, १९६१ में इसने अपना शाखा कार्यालय न्यूयार्क में स्थापित किया ;

१७ मामलों में भारतीय और विदेशी पक्ष ने मिल कर केन्द्रीय सरकार की मंत्रणा तथा सहायता मांगी । इसके अलावा २७ मामलों में केन्द्रीय सरकार भारतीय और विदेशी पक्षों को मिलाने में सफल रही है । इन ४४ मामलों में से सात की बातचीत पूरी हो चुकी है और उनको सरकार की मंजूरी दी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२५ विदेशी फर्मों द्वारा की गई पूछताछ द्वारा भारतीय साझेदारों का चुनाव करने में भारतीय विनियोजन केन्द्र की सहायता मांगी गई है। इन प्रस्थापनाओं पर चल रही बातचीत विभिन्न अवस्थाओं में है ?

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क सम्बन्धी न्यायाधिकरण

१९४७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करारोपण जांच समिति तथा तम्बाकू विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में सरकार को सुझाव दिया था कि तम्बाकू तथा उत्पादन शुल्क की अन्य वस्तुओं की अपील की सुनवाई के लिये एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक केवल पुनरीक्षण (रिवीजन) आवेदन-पत्रों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'हां' है।

(ख) सरकार ने अभी तक उन सिफारिशों को लागू करना ठीक नहीं समझा है। फिर भी, इस मामले पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन समिति फिर से विचार करेगी जिसके पास यह मामला खास तौर से भेजा गया है। समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्दमान द्वीपसमूह का समुद्रीय सर्वेक्षण

†**१९४८. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय नौसेना, गोआ, दमन, दिव, रत्नागिरी और तरीसा द्वीपों, जो कि अन्दमान मे हैं, का समुद्रीय सर्वेक्षण करेगी जो कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से नहीं किया जायेगा।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जी हां, १९६२–६३ में भारतीय नौसेना द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्यक्रम में गोआ और रत्नागिरी का सामान्य नौवहन समुद्री सर्वेक्षण सम्मिलित कर लिया गया है ;

अन्दमान के दमन, दिव और तरीसा द्वीपों को सर्वेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के बारे में नेशनल हारबर बोर्ड की हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समिति अगले मौसम में विचार करेगी जो कि गैर प्रतिरक्षा सर्वेक्षणों की प्राथमिकता निर्धारित करती है ?

दरांग नमक खानों में छिद्रण

†**१९४९. श्री हेम राज :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान कार्यालय ने दरांग नमक खानों (हिमाचल प्रदेश) में छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) भारतीय खान कार्यालय इस समय उस क्षेत्र के भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य में व्यस्त है। अभी वास्तविक छिद्रण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और मजदूर सभा के बीच करार

†१९५०. **श्री जसवन्त महता** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर की मजदूर सभा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच ११ अप्रैल, १९६२ को एक करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त करार को कार्यान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और मजदूर संघ के बीच सभी परियोजनाओं के बारे में एक करार हुआ है। करार को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों क परिवारों के लिये मकान

†१९५१. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के ऐसे प्रत्येक परिवार को मकान के लिय जमीन देने की योजना पर बिचार कर रही है, जिनके पास मकान के लिये जमीन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी लागत आयगी ; और

(ग) क्या इसमें मकान बनाने के लिये सामग्री खरीदने के हेतु आर्थिक सहायता देने का भी विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। उपलब्ध निधि को देखते हुए इस योजना को भंगियों और फराशों और गन्दे व्यवसाय करने वाले अथवा भूमि हीन श्रमिकों के लिये मकान के लिये जमीन की व्यवस्था करने तक ही सीमित रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये मकान और मकान के लिये जमीन उपलब्ध करने की योजनायें चल रही हैं।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के कार्यक्रम में मकान अथवा मकान के लिये जमीन उपलब्ध कराने की योजनाओं में निम्नलिखित ढंग से मिल कर व्यवस्था की गई है :

(लाख रु०)

श्रेणी	उपबन्ध
१. अनुसूचित जातियां . . .	७१५.०९
२. अनुसूचित आदिम जातिया	१०२.२८
योग .	८१७.३७

†मूल अंग्रेजी में

यह उपबन्ध मकानों के लिये जगह देने तथा मकानों के निर्माण के लिए, जिसमें सामग्री का क्रय भी सम्मिलित है, राजकीय सहायता देने के लिए है ।

मछेरला सीमेंट फैक्टरी

†१९५२. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना के निर्माण काल में मछरेला सीमेंट फैक्टरी (गंटूर जिला) का उत्पादन उस के लिये सुरक्षित करने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया है ;

(ख) मछेरला सीमेंट कारखाने और नागार्जुनसागर परियोजना के बीच कितनी दूरी है;

(ग) नागार्जुन परियोजना को कौन कौन से सीमेंट कारखाने सीमेंट दे रहे हैं; और

(घ) मछेरला सीमेंट कारखाने के उत्पादन में से कितनी मात्रा नागार्जुनसागर परियोजना के लिय इस्तेमाल होती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग १६ मील ।

(ग) मछेरला, किस्तना और विजयवाड़ा सीमेंट कारखाना ।

(घ) अप्रैल, १९५८ से जून १९६२ तक २,८८,६७० टन सीमेंट नागार्जुनसागर बांध परियोजना के लिये भेजी जा चुकी है ।

आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

†१९५३. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक आदिम जाति के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिली हैं;

(ख) कुल कितने विद्यार्थियों को कक्षावार छात्रवृत्तियां दी गईं; और

(ग) आदिम जाति विद्यार्थियों की जातिवार संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)**:(क) से (ग). मांगी गई जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से मंगाई गई है और कालान्तर में लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट

†१९५४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में ढेबर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है और

(ख) क्या उसे कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अधिकांश सिफारिशों पर विचार किया जा चुका और शेष पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्यों के क्षेत्र में पड़ने वाले मामलों संबंधी सिफारिशों पर २६ और २७ जुलाई को संबंधित राज्य सरकारों के राज्य मंत्रियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार किया गया था और उस में किये गये निर्णयों के अनुसार उन राज्यों की सरकारें कार्यवाही करेंगी ।

प्राथमिक शिक्षा निकाय

†१९५५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की पहली बैठक जुलाई, १९६२ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निर्णय किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने अपने सामने पेश की गयी सामग्री पर विचार किया, उन समस्याओं की एक सूची तैयार की, जिन पर विचार किया जाना है, प्रक्रिया संबंधी कुछ मामलों पर निर्णय किया, चार उपसमितियां नियुक्त कीं और एक प्रश्नावली जारी करने का निश्चय किया ।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†१९५६. **डा० क० ल० राव**: क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानवृत्तीय मानचित्र बनाने के लिये भूतत्वशास्त्र संबंधी ब्यौरे को आद्यतन बनाने हेतु भारत के सर्वेक्षण विभाग में कुछ भूतत्वविद् सम्मिलित करने का कोई विचार है ;

(ख) क्या भूतत्वीय क्षेत्र में विशेषज्ञता कामों, जैसे इंजीनियरिंग भूतत्व-ज्ञान, अधोभूमि जल-सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय जांच, आर्थिक भू-तत्व ज्ञान आदि का उपबन्ध भारत के भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के लिये कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो व्यवस्था का क्या रूप है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) विभिन्न राज्यों में भारत के भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के सर्किल कार्यालयों के क्षेत्रीय कर्मचारी क्षेत्रीय भू-तत्वीय मानचित्र बनाने और आर्थिक भू-तत्वीय जांच का काम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने के लिये इंजीनियरिंग भूतत्व-ज्ञान, अधोभूमि जल और भू-भौतिकीय विभाग, हैदराबाद, लखनऊ और कलकत्ता के क्षेत्रीय मुख्यालयों में स्थापित हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये हमारे खिलाड़ी

†१९५७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले हमारे कुछ खिलाड़ी दक्षिणी अफ्रीका के कुछ खिलाड़ियों के सहयोगी के रूप में खेल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक तथा अन्य प्रकार के संबंध समाप्त करने की नीति को देखते हुए यह सहयोग कहां तक अनुकूल है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि यह नीति हमारी नीति के अनुकूल नहीं है, तो क्या सरकार इन खिलाड़ियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सशस्त्र सेनाओं में भरती के लिये शारीरिक उपयुक्तता

†**१९५८. श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं की भरती में सिख, राजपूत, जाट और गूजर आदि जैसी योद्धा जातियों के लिये ऊंचाई ५ फुट ६ इंच तथा सीना ३२ से ३४ इंच तक और अन्य जातियों के लिये ऊंचाई ५ फुट ४ इंच, तथा सीना ३१ इंच से ३३ इंच तक होना शारीरिक उपयुक्तता के लिये निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अब सेना में "योद्धा" और "अयोद्धा" जाति शब्द प्रचलित नहीं हैं । माननीय सदस्य शायद सेना की विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित शारीरिक स्तर के बारे में पूछ रहे हैं—ये श्रेणियां (सिख, राजपूत, जाट, गूजर जैसी विशिष्ट जातियां या बंगाली, बिहारी, गढ़वाली, आसामी जैसी क्षेत्रीय जातियां) हैं । यह सच है कि उन के शारीरिक स्तर में यह अन्तर रखा गया है ।

(ख) देश के विभिन्न भागों के रहने वालों के शारीरिक स्तर एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं । देश की सशस्त्र सेनाओं में देश के विभिन्न भागों में रहने वालों को समान अवसर देने के लिये उन भागों के लोगों की [illegible] के क्षेत्र में भरती के लिये उन की औसत ऊंचाई, वचन तथा सीने की नाप के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । सेवाओं की जरूरत तथा देश की स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए शारीरिक स्तरों पर समय समय पर विचार किया जाता है ।

सेना की टुकड़ियों का कल्याण

†**१९५९. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना की टुकड़ियों के कल्याण के लिये ए० एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू० ओ० नाम का एक संगठन था और कुछ समय पूर्व उसे भंग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे क्यों भंग कर दिया गया है; और

(ग) क्या उस के बदले में कोई अन्य कल्याण योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). यह संगठन १९४८ में बनाया गया था जिसे तीनों सेनाओं के पदाधिकारियों की पत्नियां चलाती थीं । इसे भंग नहीं किया गया है बल्कि इस का काम इस समय बन्द पड़ा हुआ है । जनवरी, १९६१ से इस का काम तीनों सेनाओं के पृथक प्रबन्ध में किया जा रहा है, जैसे स्थल सेना के लिये स्थल सेना के अधिकारियों की पत्नियों का कल्याण संगठन आदि ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा पर रोक

†१९६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में ढ़ाका/चटगांव को जाने वाले यात्रियों को भी रिजर्व बैंक से पूर्ण भुगतान प्रमाणपत्र लेना होता है ?

(ख) क्या इस से उन्हें बड़ी कठिनाई होती है; और

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नियमों को ढीला नहीं किया जा सकता ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ढ़ाका/चिटगांव जाने वाले यात्रियों को यदि वे डेक यात्री के रूप में यात्रा करें तो रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती । अन्य मामलों में जैसे विमान से या स्टीमर से यात्रा करने की स्थिति में रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति अवश्यक होती है क्योंकि बर्तमान विनियम भारत के बाहर के सभी देशों पर (पाकिस्तान पर भी) लागू होते हैं ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान को जाने वाले यात्रियों को होने वाले कठिनाई के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) नियमों में कोई ढील देना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित पुस्तकालय

†१९६१. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६२ के अन्त में केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध में कितने पुस्तकालय थे और वे कहां कहां थे;

(ख) गत वर्ष उन में से हर एक में कितनी नई किताबें आईं; और

(ग) उन को तथा उन की पुस्तकों को रखने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सेक्शन अफसरों का वेतन

†१९६२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेक्शन अफसरों के वेतन में ७वें वर्ष में उन के लिये विहित पुनरीक्षित वेतनक्रम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि देने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रस्थापना के वित्तीय तथा अन्य प्रभाव भी पड़ेंगे और इसलिये इस के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। अतः इस समय कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता कि कब तक निर्णय कर लिया जायेगा।

धालेश्वर में बस्ती (टाउनशिप)

†१९६३. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था के लिये धालेश्वर में बस्ती (टाउनशिप) स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नरसिंहगढ़ में निर्मित क्वार्टर

†१९६४. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में नरसिंहगढ़ टाउनशिप में सरकारी खर्च पर कुल कितने क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) इनमें से अभी तक कुल कितने क्वार्टर आवंटित किये गये हैं; और

(ग) यदि क्वार्टर पर्याप्त संख्या में आवंटित नहीं किये जा सके हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) २० क्वार्टर।

(ख) और (ग). बीस में से १५ क्वार्टर पोलीटेक्निक इंस्टीटयूट तथा राष्ट्रीय छात्र सेना के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित कर दिये गये हैं।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें

†१९६५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के तत्वेनक्रम के बारे में सरकार ने कितने मामलों में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दस वर्गों में सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनक्रमों में साधारण रूपभेद किया है।

शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय

†१९६६. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पुनर्निर्माण का, जो कुछ वर्ष पहले अग्नि में भस्मीभूत हो गया था, कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सचिवालय के नये भवन निर्माण के प्रश्न का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों को पेंशन

†१९६७. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना पदाधिकारी पेंशन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रादेशिक सेना के उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का विचार रखती है जिन्होंने पूरे वेतन पर बीस वर्ष से अधिक सेवा की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रादेशिक सेना का लक्ष्य पूरे समय का काम दिलाना नहीं है । यह मुख्यत: उनके लिये है जो पहले ही नौकरी में हैं और जो संकट के समय देश सेवा करने के उद्देश्य से सैनिक प्रशिक्षण के लिये अपना फालतू समय दे सकें । अत: प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों के लिये पेंशन लाभ के अधिकार पर विचार नहीं किया गया है ।

आदिम जाति खंड

†१९६८. **श्री ह० च० सौय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अध्ययन दलों और ढेबर आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां तक संभव हो, कि अधिकतम आदिम जाति खंडों में आदिम जाति अधिकारी और कर्मचारी अथवा इन खंडों में काम करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त गैर आदिम जाति व्यक्ति नियत कि जायें;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में किन किन राज्यों ने महत्वपूर्ण और निश्चित प्रगति की है; और

(ग) कितने आदिम जाति खंडों में खंड विकास पदाधिकारी आदिम जातियों से सम्बन्धित हैं और कितने खंडों में गैर आदिम जाति पदाधिकारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति की समाज कल्याण और पिछड़े वर्ग कल्याण के अध्ययन दल तथा विशेष बहुप्रयोजन आदिम जाति खंड सम्बन्धी समिति (एल्विन समिति) ने सिफारिश की है कि जहां तक सम्भव हो, आदिम जाति विकास खंडों में आदिम जाति के व्यक्ति ही नियुक्त किय जायें । अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने भी इस आशय की सिफारिश की है कि आदिम जाति विकास खंड में कर्मचारी इन जातियों से सम्बन्धित रहना श्रेयस्कर होगा । एल्विन समिति ने आगे यह सिफारिश की है कि आदिम जाति विकास खंडों में काम करने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त नवीकरण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जाति विकास खंडों में काम करने वाले खंड विकास पदाधिकारी, विस्तार पदाधिकारी (कृषि) समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं को आदिम जाति जीवन और संस्कृति में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिय रांची में एक आदिम जाति नवीकरण और अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है । कर्मचारियों के अन्य वर्गों के प्रशिक्षण के लिय व्यवस्था की जा रही है । राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की ओर से भेजे गये आदिम जाति कल्याण पदाधिकारियों और खंड विकास पदाधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये समाज विज्ञान की टाटा इंस्टीट्यूट को भी अनुदान दिया जाता है। आदिम जाति विकास खंडों में आदिम जातियों की नियुक्ति और विभिन्न आदिम जाति विकास खंडों के खंड विकास पदाधिकारियों में आदिम जाति और गैर आदिम जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या तथा आदिम जातियों की नियुक्ति में हुई प्रगति की यथार्थ जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर विवरण रखा जायेगा ।

दिल्ली में जनता कालेज

†१९६९. **डा० महादेव प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली में जनता कालेजों के कार्य संचालन के बारे में हाल में पर्याप्त आलोचना हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र ने उक्त दो कालेजों की प्रगति का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं

(ख) जी नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र ने दिल्ली में दो जनता कालेजों का हाल में मूल्याकन किया है । अभी यह कार्य हो रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१९७०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री दिल्ली छावनी में काम करने और रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना सुविधाओं के विस्तार के बारे में १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) प्रभावित कर्मचारियों के परिवारों को आजकल क्या सुविधायें दी गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है

(ख) गैर औद्योगिक कर्मचारियों के परिवार केन्द्रीय केवा (चिकित्सा सहायता) नियमों के अन्तर्गत असैनिक अस्पतालों में बाहरी मरीज भारती मरीज के रूप में मफ्त चिकित्सा कराने के अधिकारी हैं और उन पर होने वाला खर्च नियमानुसार उन्हें दे दिया जाता है। जो औद्योगिक कर्मचारी १-८-१९४९ के पहले अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियोजित हुए थे जो सैनिक लाइनों में रहते हैं उनके परिवार सैनिक स्रोतों के बाहर के मरीजों

†मूल अंग्रेजी में

की भांति चिकित्सा सहायता के अधिकारी हैं ।

१-८-१९४९ के पश्चात् औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में भरती कर्मचारियों के परिवार आजकल विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारी

†१९७१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौकरी से मुअत्तल करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने पर पूरा वेतन देने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में विषमता दूर करने के लिये शंकर समिति ने सिफारिश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वेतन आयोग ने समस्या के इस पहलू का निर्देश नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो शंकर समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने और आवश्यक आदेश जारी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

पंजाब पिछड़े वर्ग (ऋण देना) अधिनियम का मनीपुर में विस्तार

†१९७२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पिछड़े वर्ग (ऋण देना) अधिनियम, १९५७ मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस लेखे के अन्तर्गत ऋण की कुल कितनी व्यवस्था की गई है अथवा की जानी है; और

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत मनीपुर में कितनी कितनी रकम के कितने ऋण दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह जानकारी मनीपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है । इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर प्रशासन कर्मचारियों का वेतन क्रम

†१९७३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :.

(क) क्या असम वेतन क्रम का प्रारूप जो श्रेणी ४, ३ और २ कर्मचारियों के लिये मनीपुर प्रशासन द्वारा अपना लिया गया है वह वर्तमान और विद्यमान वेतन क्रम हैं अथवा इस से भिन्न कुछ और है ;

(ख) यदि नहीं, तो असम के वर्तमान और विद्यमान वेतन क्रम क्या हैं तथा उसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मनीपुर प्रशासन कहां तक द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का दावा कर सकता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). असम सरकार के अधीन विभिन्न पदों के विद्यमान वेतन क्रम १९५६ में स्वीकार किये गये थे। असम सरकार के अधीन समान कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों वाले पदों से समता करने वाले पदों की मोटी रूपरेखा को मान कर ही मनीपुर कर्मचारियों के वर्तमान वेतन क्रम स्वीकार किये गये थे। कुछ पदों के बारे में जिन के वेतन क्रम इस प्रारूप के अनुसार नहीं हैं उन में संशोधन करने वाले आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

(ग) ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९० के उत्तर के साथ संलग्न विवरण में यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जेट ट्रेनर

†१९७४. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट आजकल देशी जेट ट्रेनर के डिजायन और विकास में संलग्न है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस में विदेशी इंजन प्रयुक्त किया जायेगा अथवा देशी इंजन काम में लिया जायगा। जिस का निर्माण नहीं किया जायेगा;

(ग) नया ट्रेनर विमान कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जेट ट्रेनर किस्म की विकास परियोजना में आजकल फैक्टरी संलग्न है।

(ख) और (ग). इतन शीघ्र सूक्ष्म जानकारी नहीं दी जा सकती है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

†१९७५. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने १९६१-६२ में २० लाख रुपये का मुनाफा कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो लगी हुई पूंजी पर कितना प्रतिशत लाभ है ; और

(ग) इस लाभ की अन्य सरकारी उपक्रमों और विशेष रूप से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लाभ से क्या तुलनात्मक स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने १९६१-६२ में २०.३३ लाख रुपये का विशुद्ध लाभ अर्जित किया है

(ख) लगभग ३.९ प्रतिशत ।

(ग) इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विशुद्ध लाभ की अन्य सरकारी उपक्रमों से तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा । सरकारी उपक्रमों के लाभ भिन्न भिन्न हैं ; यह उद्योग के स्वरूप उत्पादित उपकरणों की किस्म पूंजी विनियोग, उपक्रम द्वारा यथार्थ उत्पादन की अवधि; उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादित उपकरणों का लागत ढांचा आदि पर निर्भर है ।

'त्रिपिटक" का हिन्दी अनुवाद'

†**१९७६. श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बौद्ध ग्रन्थ "त्रिपिटक" का हिन्दी में अनुवाद करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को सम्पादित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस कार्य पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है और कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विषय अभी विचाराधीन है ।

अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट

†**१९७७. श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट में प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला कब पूरी होगी ;

(ख) अनुसंधान कार्य की कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) निर्धारित समय में निर्माण पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सम्पूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) प्रयोगशाला का निर्माण १९६३ के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

(ख) प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का अनुसंधान अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अस्थायी रूप से स्थित प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कर्मचारियों ने प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) भवन निर्माण सामग्री की कमी और परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां ।

(घ) तीसरी योजना के अन्त तक लगभग ९०·०० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के देशी रियासतों के शासकों से जायदाद की खरीद

†१९७८. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने निजी थैलियां (प्रिवी पर्स) लेने वाले राजाओं **अथवा** उन के परिवार के सदस्यों से १९५७-५८ से १९६१-६२ में कोई सम्पदा अधिगृहीत अथवा खरीदी है ; और

(ख) कितनी रकम दी गई है और अधिगृहीत अथवा खरीदी गई भूमि या इमारत का कितना क्षेत्रफल है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले

†१९७९. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६१ की अवधि में हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच की है ;

(ख) कितने मामलों में अभियोग चलाया गया ; और

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति दण्डित किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये पुस्तकें

१९८०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम कर दिया है क्या वहां विद्यार्थियों के लिये क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : **(क) और (ख).** वे विश्वविद्यालय, जिन्हों ने प्रादेशिक भाषा के माध्यम से शिक्षा देनी आरम्भ कर दी है, विद्यार्थियों के प्रयोग के लिये, अपनी सम्बन्धित प्रादेशिक भाषा में, बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। परन्तु ऐसी पुस्तकें पर्याप्त नहीं हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों ने, मूल पुस्तकोंको तैयार करने और हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकों के अनुवाद और उन के अनुरूप पुस्तकें बनाने की केन्द्रीय सरकार की योजना भी स्वीकार कर ली है। योजना पर राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार अमल किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश लिये सीमेंट

†१९८१. { **श्री प० ना० स्वामी :**
श्री उल्लाका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने कितना सीमेंट मांगा है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के लिये कितना आवंटन है ; और

(ग) कलक्टरों के परमिट के लिये कितना प्रतिशत शेष रहता है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ग) : राज्य कोटा के अधीन आंध्र प्रदेश से सीमेंट की मांग और उस की पूर्ति निम्न आंकड़ों से प्रकट होती है :—

तिमाही	मांग	आवंटन
२/६२.	१,५०,०००	६९,००० + ६,००० तदर्थ
३/६२	२,००,०००	६९,०००

(ग) भारत सरकार प्रत्येक तिमाही के लिये सीमेंट का इकट्ठी मात्रा में आवंटन करती है तथा उस का पृथक् ब्यौरा जैसे राज्य परियोजनायें, स्थानीय नगर प्राधिकार, और सार्वजनिक (कलक्टर के परमिट तथा अन्य माध्यम के) का निर्णय राज्य सरकार हर तिमाही में करती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वित्तीय शक्तियां

†१९८२. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इस आशय का विधेयक संसद् में कब तक पुर:स्थापित करने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क)) जी हां ।

(ख) वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, आयोग को २००० रुपये प्रतिमाह वेतन अथवा मानदेय का पद अथवा वह पद जिस का वेतनक्रम अधिकतम २००० रुपये अथवा इस से अधिक हो, स्थापित करने के पहले और उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । अब वेतन सीमा २००० रुपये से बढ़ कर २२५० रुपये प्रतिमाह करने का विचार है ।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी ऐसी योजना, अथवा प्रस्ताव जिस पर ३० लाख रुपये का पूंजी व्यय हो, की कार्यान्विति के लिये आयोग को केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करना होता है । अब इस सीमा को बढ़ा कर ५० लाख रुपये करने का विचार है । आजकल यह नियम भी है कि यदि पुर्नसमायोजन के फलस्वरूप बजट उपबन्धों में २० प्रतिशत अथवा ७$^{1}/_{2}$ लाख रुपये, जो भी कम हो, की वृद्धि हो तो इस राशि के पुर्नसमायोजन के लिये आयोग को केन्द्रीय सरकार की अनुमति अपेक्षित है । अब ७$^{1}/_{2}$ लाख रुपये का प्रतिबन्ध हटाने का विचार है ।

(ग) चालू सत्र में शीघ्र ही विधेयक पुरस्थापित करने का विचार है ।

दूसरा भाषा सम्मेलन

†**१९८३. श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुए अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन ने कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सम्मेलन ने यह मांग की है कि दूसरा भाषा आयोग नियुक्त किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कुछ रिपोर्टों की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है । उन रिपोर्टों में दूसरा राजभाषा आयोग नियुक्त करने की कोई मांग नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

लक्का द्वीप में चट्टानों को फोड़ना

†**१९८४. श्री नल्ला कोया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २३ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव में चट्टानों को फोड़ने के काम में तबसे कोई प्रगति की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो पहले ही अनुमोदित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार कब तक योजना को कार्यान्वित करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). इन द्वीपों को एक प्रविधिक विशेषज्ञ भेजा गया था। उसकी योजना पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होगी, जो हमारे पास कम है और उस योजना की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलवर में ताम्बे के निक्षेप

†१९८५. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि जिला अलवर (राजस्थान) के थाना गाजी तहसील के गांव प्रताप-गढ़, जोधावास तथा इर्द गिर्द के अन्य गांवों के समीप के क्षेत्रों में तांबे के नवीन निक्षेप पाये गये हैं और वहां पर खोज तथा खुदाई का काम चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह खोज और खुदाई का काम कब से चल रहा है और उसके आद्यतन परिणाम क्या हैं ;

(ग) इस काम को पूरा करने तथा इसके परिणाम प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इन निक्षेपों की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार अलवर जिले में समूचे तौर पर, और इस जिले के थाना गाजी राजगढ़ अलवर मुंडावर और वैहशेर तहसीलों की ओर विशेषकर तांबा अयस्क के लिये विस्तृत सर्वेक्षण खोज और खुदाई करने का विचार करती है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) तांबे की खानों के क्षेत्र प्रतापगढ़ और जोधावास (राजस्थान) के समीप हैं और खोज का तथा खुदाई का काम वहां पर हो रहा है ।

(ख) प्रतापगढ़ में खुदाई कार्य १९६० में और जोधावास में अप्रैल १९६१ में आरम्भ हुआ था । परिणाम अभी अनिर्णायक हैं ।

(ग) राजस्थान के तांबा निक्षेपों की खोज की वर्तमान समय अनुसूची के अनुसार, भारत का भूतत्व सर्वेक्षण विभाग जोधावास में यह काम दिसम्बर, १९६३ में तथा भारतीय खान ब्यूरो दिसम्बर १९६४ तक पूरा करेगा। प्रतापगढ़ क्षेत्र में, भारत का भूतत्व सर्वेक्षण विभाग खुदाई कार्य दिसम्बर, १९६३ तक पूरा करेगा और यदि उसके परिणाम अच्छे हुए तो भारतीय खान ब्यूरो विस्तृत अनुसन्धान का काम आरम्भ करेगा और अपना काम दिसम्बर, १९६७ तक पूरा करेगा ।

(घ) अलवर और जयपुर जिलों में तांबा मिलने की अन्य सब खबरों की खोज आरम्भ की जा चुकी है और वह समूची तीसरी योजना अवधि में जारी रहेगी । प्राप्त परिणामों के आधार पर, खुदाई आदि द्वारा विस्तृत खोज कार्य किया जाएगा ।

इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पढ़ाई केन्द्र[1]

†१९८६. **श्री बसुमतारी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई० ए० एस० आई० पी० एस०) की भरती के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के बीच से १९५८ से १९६१ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा-पूर्व अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र में राज्यवार कितने विद्यार्थी प्रविष्ट किये गये और प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के अभ्यर्थियों की पृथक् पृथक् संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** सूचना एकत्रित की जा रही है । विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा जब सूचना प्राप्त हो जाएगी ।

रेयन फैक्टरी

†१९८७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा क्षेत्र में एक रेयन फैक्टरी आरम्भ करने का विचार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coaching.

(ख) यदि हां, तो कहां पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये अधिक समय काम करने का भत्ता

†१९८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय नई दिल्ली के अवशिष्ट कर्मचारियों को अधिक समय काम करने का भत्ता दिया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) इन कर्मचारियों को कब उनके भत्ते दिये जाने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तबसे भुगतान बहुतेरे लोगों को कर दिया गया है जिन्होंने अधिक समय काम किया था । बकाया कर्मचारियों के दावों की प्रशासन।लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा जांच भिन्न भिन्न स्तरों पर है ।

(ख) और (ग) अधिक समय काम करने का भत्ता देने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि प्रतिरक्षा और असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पहले लेखा परीक्षा होती है जिसमें कुछ समय लगता है । तथापि सम्बद्ध व्यक्तियों को भत्ता देने में शीघ्रता करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारी

†१९८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में असिस्टेंटों, अपर डिवीजन क्लर्कों, और लोअर डिवीजन क्लर्कों का वर्तमान अनुपात क्या है ;

(ख) क्या असिस्टेंटों और अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित शोधित अनुपात क्या है ; और

(घ) क्या शोधित अनुपात को लागू करने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय से असिस्टेंटों, अपर डिवीजन क्लर्कों और लोअर डिवीजन क्लर्कों का वर्तमान अनुपात यह है :—

असिस्टेंट . . .	१५ प्रतिशत
अपर डिवीजन क्लर्क . .	३५ प्रतिशत
लोअर डिवीजन क्लर्क . .	५० प्रतिशत

(ख) से (घ) क्या असिस्टेंटों और अपर डिवीजन क्लर्कों को वर्तमान अनुपात बढ़ाया जाना चाहिये और यदि हां, तो किस मात्रा तक, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में गैस और तेल

†१९९०. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी : }

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पंजाब के दो खुदाई रिगों में बहुत बड़ी मात्रा में गैस या तेल मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इन रिगों को अभी तक क्यों फोड़ा नहीं गया ; और

(ग) सरकार ने अब तक इन पर कितना खर्च किया है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख) क्योंकि तेल खुदाई रिगों की सहायता से न कि खुदाई रिगों में, खोदे गये कुओं में मिलता है, प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवतः पंजाब में हाल ही में खोदे गये दो कुओं ––एक आदमपुर में और दूसरा जनौरी में, से है ।

आदमपुर के कुएं में तेल या गैस मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । कुआं तैयार किया गया है और रिग वहां से हटाया जा रहा है । जनौरी के कुएं की अभी जांच की जा रही है अभी उस कुएं में तेल या गैस मिलने के अवसर अधिक नहीं हैं ।

(ग) इन दो कूओं की खुदाई पर किया गया व्यय का हिसाब अभी तक अलग नहीं लगाया गया ।

प्रागा टूल्स कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश

†१९९१. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि प्रागाटूल्स कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश की कम प्रगति है ;

(ख) यदि हां तो इस के कारण क्या हैं ;

(ग) पहला प्रक्रम कब पूरा किया जाएगा ;

(घ) पहले प्रक्रम के अन्त तक कितनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी ; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त निगम के दूसरे प्रक्रम के विस्तार के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है और उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ङ) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्राग टूल्स कारपोरेशन के विस्तार कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं । कंपनी के विस्तार की आयोजना १९५९ में दो प्रक्रमों में की गई थी । तथापि तुरन्त पश्चात् यह फैसला किया गया कि पहले और दूसरे प्रक्रमों को मिला दिया जाए और विस्तार का इकट्ठा कार्यक्रम बनाया जाए । शोधित कार्यक्रम १९६० के अन्त में अनुमोदित हुआ । विस्तार कार्यक्रम की सफलतापूर्ण कार्यान्विति के लिये, निगम ने भारत सरकार की अनुमति से, खराद की चकों, खुदाई की चकों और औजार तथा कटर ग्राइडरों के निर्माण के लिये इंगलैंड की तीन फर्मों के साथ प्रविधिक सहयाग के करार किये हैं । इमारतों का निर्माण प्रगति पर है । खदाई चकों के निर्णय के लिये अपेक्षित और

†मूल अंग्रेजी में

उपकरण का एक अंश आ चुका है और शेष सामान १९६२ की समाप्ति से पहले आने की आशा है। ड्रिल चकों का निर्माण १९६३ के मध्य से आरंभ होने की आशा है। खराद की चकों, औजार और कटर ग्राइडरों, निर्माण के लिये अपेक्षित मशीनरी के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं। औजार और कटर ग्राइडरों को जोड़ने का काम आरंभ किया जा चुका है। परियोजना जून, १९६४ में पूरी हो जाएगी। जून १९६५ तक पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग किये जाने की आशा है। विस्तार कार्यक्रम की पूर्ण क्रियान्विति के पश्चात् वार्षिक उत्पादन १ लाख रुपये तक होने की आशा है।

मैसूर में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण

†१९९३. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और कितना धन खर्च किया जाएगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]।**

सीमेंट के दाम

†१९९४. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागलकोट, शाहाबाद और भद्रावती (मैसूर राज्य में) फैक्टरियों में तैयार किये गये सीमेंट की प्रति टन उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य क्या है तथा लागतों में अन्तर होने के कारण क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** प्रशुल्क आयोग द्वारा किये गये अनुमानों के अनुसार, बागलकोट, शाहाबाद और भद्रावती (मैसूर राज्य में) फैक्टरियों में सीमेंट की उत्पादन लागत इस प्रकार है :—

(१)	बागलकोट	५९·५२ रुपये प्रतिटन
(२)	शाहाबाद	५६·५८ ,, ,,*
(३)	भद्रावती	६१.८६ ,, ,,

*मैसर्स असोशिएटिड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, जिसमें शाहाबाद समेत १४ फैक्टरियां हैं, की अनुमानित उत्पादन लागत शाहाबाद फैक्टरी के आगे दिखाई गई है।

सीमेंट तैयार करने की लागत, कच्चे माल की लागत, बिजली और ईंधन की लागत, श्रम और कर्मचारी प्रभारों, अवक्षयण, अपरीकम आदि बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है, जो प्रत्येक फैक्टरी में भिन्न २ होते हैं।

इन फैक्टरियों में निर्मित सीमेंट के संबंध में कारखाने से निकलने का जो संभरण मूल्य दिया जाता है वह भारत सरकार द्वारा खुले सीमेंट के प्रति टन ६९५० रुपये के समान दर पर नियत किया जाता है (जिसमें लगाई गई पूंजी के लाभ, पुनर्वास, अनुसंधान आदि का ध्यान रखने के पश्चात्)।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना के भूभौतिकीविज्ञ

†१९९५. **श्री रा० बरूआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूभौतिकीविज्ञों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) किन २ संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में एम० एस० सी० स्तर का भूभौतिकी पढ़ाने की सुविधाएं हैं ;

(ग) प्रत्येक संस्था से भूभौतिकी के कितने बी०एस०सी० (आनर्ज़) और एम०एस०सी० निकलते हैं ;

(घ) क्या सरकार (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने उन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जहां भूभौतिकी विज्ञान पढ़ाया जाता है, अन्य विश्वविद्यालयों को बी०एस०सी० और एम०एस०सी० के लिये इस विषय को चालू करने के लिये प्रेरित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) आंध्र और बनारस विश्वविद्यालय ।

(ग) एम० एस० सी० आन्ध्र २२ प्रति वर्ष
बनारस १२ प्रति वर्ष

भूभौतिकी में कोई बी०एस०सी० आनर्ज़ नहीं ।

(घ) और (ङ) : विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्तावों का अनुमान लगाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विविध परिदर्शक समितियां विविध प्रविधिक समितियों की सिफारिशों को विशेषकर व्यवहारिक भूतत्व और भूभौतिकी शास्त्रों के विकास की सुविधाओं से संबंधित सिफारिशों को ध्यान में रखती हैं । जब कभी ऐसे केन्द्र आरंभ करने की आवश्यकता होती है' आयोग आवश्यक सहायता देने का विचार करता है ।

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था

†१९९६. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक ने हाल ही में शिक्षा कार्यों के लिये विदेशी मुद्रा सुविधा में कुछ उदारता करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रियायत दी गई है और वे सुविधाएं किन श्रेणियों के विद्यार्थियों को दी जायेंगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दक्षिण में इस्पात संयंत्र

†१९९७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात विशेषज्ञों का दल, जो हाल ही में दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से बातों का अध्ययन करने के लिये पश्चिम जर्मनी गया था, भारत लौट आया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) उस दल ने अपनी रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और निष्कर्ष निकाले हैं?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). पर्यवेक्षकों के दल के वे दो सदस्य, जो पूर्व जर्मनी, नार्वे और पश्चिम जर्मनी में स्मैलटिंग और सिंटरिंग प्रयोगों को देखने के लिये विदेश भेजे गये थे, भारत लौट आये हैं। तीसरे सदस्य की शीघ्र लौट आने की आशा है । शीघ्र ही उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दिये जाने की आशा है ।

कोयले की ढुलाई

†१९९८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, परिवहन की कमी के कारण कोयले का उत्पादन रोक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कहां तक रोक रखा है; और

(ग) परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) से (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति ने दूसरी योजना के पिछले तीन महीनों में प्रतिवर्ष (१३७ लाख टन) १३५ लाख टन के उत्पादन के अपने लक्ष्य के मुकाबले में, १३७ लाख टन (१३९ लाख टन) उत्पादन किया । तथापि उसके पश्चात् उत्पादन जान बूझकर कम करना था । इसका मुख्य कारण यह था कि खानों के मुंह पर असाधारण मात्रा में स्टाक जमा हो गया था, जो ३१ मार्च १९६१ तक बढ़ कर १६७ लाख टन हो गया । १९६१–६२ में, निगम ने ७५.३ लाख टन उत्पादन किया। तथापि, निगम के पास अपनी दूसरी योजना की कोयला खदानों से उत्पादन को अपनी दूसरी योजना के लक्ष्य तक बढ़ाने की क्षमता है, ज्योंही खानों के मुंह पर स्टाक की स्थिति ठीक हो जाए।

२. सामान्य परिवहन स्थिति को सुधारने के लिये निम्न कार्य किये जा रहे हैं,

(१) रेलवे सैक्शन क्षमता को बढ़ा रही है और कोयले के अधिक संवहन के लिये अतिरिक्त इंजन डिब्बों की व्यवस्था कर रही है ।

(२) समुद्री मार्ग द्वारा मद्रास, केरल और पश्चिम भारत को अधिक माल भेजा जा रहा है ।

(३) सड़क द्वारा कोयला थोड़ी दूर पर भेजने की व्यवस्था बढ़ाई गई है ।

(४) नदी–नहर के द्वारा कोयला अधिक मात्रा में भेजने की संभाव्यता का विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(५) सब कोयला खदानों को रविवार और छुट्टियों को पूरा लोडिंग करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(६) राज्य सरकारों को कोयले के बड़े भण्डार बनाने को प्रेरित किया जा रहा है ।

(७) दूर के कोयला क्षेत्रों में कोयला अधिक उत्पादन करना, जो रेल परिवहन स्थान से अधिक सुविधा जनक स्थान पर स्थित हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

†१९९९ **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री कजरोल्कर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था में क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अंकलेश्वर तेल

†२००० **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां

(ख) अंकलेश्वर से अशोधित तेल का उत्पादन १२०० टन प्रतिदिन की वर्तमान दर से बढ़ा कर १५०० टन प्रति दिन करने का विचार है । संग्रह करने, प्रचुर करने और परिवहन की सुविधाओं की अधिक व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

आसाम में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इस्पात

†२००१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के छोटे पैमाने के उद्योगों को गत तीन वर्ष के लिये जारी किये गये कोटा सर्टिफिकेट पर इस्पात नहीं मिल रहा है तथा बन्द होने को है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन उद्योगों को चालू रखने के लिये इन की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती रहे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनको समय पर इनका कोटा मिलता रहे इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग) अन्य राज्यों के समान ही आसाम के उद्योगों को इस्पात का निर्यात हो रहा है जब कि यह सच है कि प्रतिबन्धित इस्पात का संभरण मांग से बहुत कम है। निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि आसाम को संभरण नियमित रूप से हो रहा है तथा उद्योगों को तथा नियंत्रित भंडार बनाने वालों को कोटा सर्टिफिकेट के अनुसार संभरण हो रहा है। यह ही छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात देते हैं।

	सरकारी इंडेन्टर्स	उद्योग	नियंत्रित भांडारी	पंजीबद्ध भांडारी	जोड़
१९६१ .	१५७००	३९२८	१५७४	९३५४	३०,५५६
जनवरी—जून ६२ .	८१७८	७५९	१६२	४६४८	१३,७४७

नियंत्रित इस्पात का संभरण केवल आसाम के छोटे पैमाने के उद्योगों को ही कम नहीं हो रहा है अपितु अन्य राज्यों को भी कम ही हो रही है। सामान्यतः कभी चादरों तथा तार की है। इन चीजों के आर्डर उत्पादकों के पास बड़ी मात्रा में पड़े हैं ।

आसाम के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात का शीघ्र संभरण करने के प्रश्न पर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने राज्य प्राधिकारियों से हाल में ही बातचीत की थी। उन्होंने बकाया आर्डरों के सम्मरण में सुधार करने के लिये कलकत्ता में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†२००२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नियमों तथा संख्या ज्ञापन का संशोधन किया जा रहा है जिससे न्यास प्रभावोत्पादक रूप से काम कर सके। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

(१) अपने उद्देश्यानुसार न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रकार की परिभाषा ।

(२) न्यास के कार्यों के प्रशासन, प्रत्यक्ष तथा नियंत्रण के लिये कार्यपालिका समिति की स्थापना।

(३) सरकार द्वारा न्यास के काम और प्रगति की समीक्षा करने की व्यवस्था करना।

(४) सदस्यों की संख्या १६ से १९ बढ़ाना और सदस्यता की अवधि तीन वर्ष बनाना।

दिल्ली में भूमि सुधार अधिनियम

२००४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार जिन किसानों को भूमिधारी के प्रमाण-पत्र

†मूल अंग्रेज़ी में

दिये गये थे वे अभी न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिये हैं कि माल-अफसर को प्रमाणपत्र देने का कोई हक नहीं था तथा यह प्रमाण-पत्र डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिये जाने चाहियें थे।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): सम्भवत: भूमिधारी प्रमाणपत्रों की ओर निर्देश है। यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है—सिविल न्यायालयों में अवशिष्ट एक मुकदमे तथा दो अपीलों में ऐसा माना गया था कि सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य नहीं थे, क्योंकि उनको जारी करने वाला अधिकारी केवल रेवेन्यू असिस्टेंट के अधिकार रखता था, तथा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा ३ के अधीन डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य करने को अधिकृत नहीं था। सिविल न्यायालयों के इन निर्णयों के विरुद्ध अपीलें दायर कर दी गई हैं, तथा उन पर अभी कार्यवाही होनी है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनिमय

२००५. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें मुआवजा इसलिये नहीं दिया गया कि जमींदारों ने अदालती कार्यवाही द्वारा मुआवजे की रकमों की अदायगी इस आधार पर रुकवा दी है कि उन्होंने १९५७–५८ में अपनी जमीनों को बेचने का बयाना एक्ट पास होने के पहले दे दिया था; और

(ख) क्या दिल्ली-भूमि-सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) किसी विशेष मामले का निर्देश दिये बिना कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय नृत्य तथा संगीत अकादमी

†**२००६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में भारतीय नृत्य तथा संगीत की अकादमी खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना लागत क्या होगी और योजना पर कितना अब तक होगा; और

(ग) अकादमी में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये उपकरण

†२००७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इस्पात का एक तीन सदस्यों का शिष्टमंडल रूरकेला इस्पात सयंत्रक पुर्जों तथा उपकरणों के आर्डर देने के लिये पश्चिम जर्मनी गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमंडल रूरकेला विस्तार योजना पर भी चर्चा करेगा; और

(ग) शिष्टमंडल के कब तक लौट आने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) शिष्टमंडल रूरकेला विस्तार योजना के संबंध में कुछ प्रश्नों की जांच करेगा।

(ग) सितम्बर, १९६२ के दूसरे सप्ताह में।

न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया का बैंक आफ बड़ौदा के साथ मिलाया जाना

†२००८. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक का बिलम्ब काल आदेश न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया के मामले में लागू हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने उपरोक्त बैंक से बैंक आफ बड़ौदा के विलीनीकरण की योजना लागू की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंक आफ बड़ौदा विलीनीकरण के अनुसार जमा करने वालों को उनके निक्षेप देने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो कितने जमा करने वालों को उनका पूरा पूरा रुपया दे दिया गया है;

(ङ) कितने जमा करने वालों को अभी धन नहीं मिला है; और

(च) इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, १९४९ की धारा ४५ के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया के सम्बन्ध में विलम्ब काल आदेश दिये गये थे और बाद में उपरोक्त बैंक का बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलीनीकरण की योजना स्वीकार की थी।

(ग) से (ङ). कुल ३२,३२५ जमा करने वालों में से २३,५४१ ऐसे जमा करने वालों को जिनके रुपये २५० से अधिक नहीं थे पूरे पूरे दिये गये हैं। शेष ८,७८४ को आरम्भिक भुगतान २५० रुपये और शेष का ६६ प्रतिशत मिल गया है।

(च) न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया की आस्तियों के कुल मूल्य तथा इसको देय अन्य धनराशि देना आसान नहीं है तथा आशा है कि इसमें कुछ समय लग जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तम्बाकू की खेती

†२००९. **श्री कार्जी :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में प्रत्येक राज्य से तम्बाकू शुल्क के रूप में कितनी धनराशि इकट्ठा की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले से तम्बाकू शुल्क के रूप में कितनी धनराशि उगाही गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). प्राप्त सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८ ।]**

कोयना जल विद्युत् परियोजना

†२०१० { **श्री बागड़ी :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत् (पन बिजली) परियोजना के दूसरे क्रम के लिये ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो विकास कार्यक्रम के दूसरे क्रम के ऋण की राशि तथा ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं; तथा इस का उपयोग तथा पुनः भुगतान किस प्रकार करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) ऋण १७५ लाख डालर (८.३३ करोड़ रुपये) का है । इस परियोजना का दूसरा क्रम बांध की ऊंचाई बढ़ाना है; दोनों बिजली घरों की उत्पादन क्षमता ३४० मैगावाट बढ़ाना है; और ट्रांसमिशन प्रणाली का बढ़ाना है । पूरा ब्यौरा ऋण समझौता प्रतियों में दिया गया है जिनको वाशिंगटन से मिल जाने के बाद तुरन्त संसद् पुस्तकालय में रखा जायेगा ।

(ग) ऋण १० वर्षों की दूर-अवधि समेत ५० वर्षों का ऋण है । ऋण पर कोई सूद नहीं दिया जाना है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था को प्रशासनिक व्यय के रूप में ३/४ प्रतिशत वार्षिक सेवा भार दिया जायेगा । ऋण भारत सरकार को मिलेगा तथा वही इस का भुगतान करेगी तथा राज्य सरकारों के केन्द्रीय सहायता की सामान्य शर्तों पर महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देगी ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सदन को डा० बख्शी टेक चन्द जिनकी मृत्यु नई देहली में २८ अगस्त, १९६२ को ७९ वर्ष की आयु में हुई, के बारे में बताना है । बख्शी टेकचन्द भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और अन्तःकालीन संसद के १९४७ से १९५२ तक सदस्य थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें अपने मित्र की मृत्यु का बहुत शोक है और मुझे विश्वास है कि शोकग्रस्त परिवार को शोक प्रकट करने के लिए मेरे साथ हैं ।

सदन थोड़ी देर के लिए मौन खड़ा हो जाए और अपना शोक प्रकट करे ।

[इसके पश्चात् सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे]

आदेश पत्र से एक प्रस्ताव को हटाने के बारे में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं औचित्य प्रश्न और जानकारी के लिए प्रश्न उठाता हूं जो कि सरकारी उपक्रमों के बारे में श्री क० च० रेड्डी के प्रस्ताव से सम्बन्ध रखते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब हम किसी कार्य को आरम्भ करेंगे तो वह प्रश्न उठा सकते हैं ।

पहले अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान देने के बारे में सूचना । श्री बागड़ी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नेपाली सैनिकों द्वारा मिरिस (दार्जिलिंग) में गोली चलाने का कथित समाचार

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"नेपाली सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में दार्जिलिंग जिले के मिरिस थाने के अन्तर्गत एक झोंपड़े पर गोलियां चलाना और उसके फलस्वरूप दो भारतीयों की मृत्यु" ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस मामले में हमारे पास कोई अधिक इत्तिला नहीं आई है । हमने तार देकर पूछा है और वहां तहकीकात इसकी शुरू की गई है । जैसे ही कुछ मालूम हो जायगा हम यहां रख देंगे ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : अभी इत्तिला नहीं आई है । इसको मंगवा कर हाउस के सामने रख दिया जाएगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: ज्यादा इत्तिला नहीं आई है । कुछ आई है । ज्यादा तहकीकात हम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सही है कि दो की मृत्यु हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । जहां तक मुझे मालूम है .....

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मेरी जानकारी यह है .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक जख्मी हुआ और एक मर गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : तीन दिन हुए जब कि अखबारों में इसके बारे में संक्षिप्त सी खबर आ गई थी। अखबारों के तो सरकार के मुकाबले में कम जानकारी के साधन हैं जब कि केन्द्र के पास राज्य सरकारें भी हैं तथा दूसरे और भी साधन हैं, इन चीजों को मालूम करने के। अगर जब तक खबर नहीं आई है तो कितने दिनों में खबर पहुंच जायगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसकी सूचना हमें बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ही मिल सकती है। उनसे हमने इसको फौरन मांगा है। उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। वे तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंटलीजेंस ब्यूरो को भी कहा है कि वे तहकीकात करें और वे भी कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा इत्तिला नहीं आई है। उनका जवाब अभी नहीं आया है।

†**श्री हेम बरुआ** : यह दुर्घटना २४ अगस्त को हुई। आज २९ अगस्त है। मेरी जानकारी इस प्रकार है। नेपाली सेनाओं की गोलियों से मारे गये दो व्यक्तियों में से एक के बहुत चोट लगी थी और वह हस्पताल में मर गया। क्या प्रधान मंत्री यह पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या नहीं ताकि व पूरा वक्तव्य दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : बंगाल सरकार को लिख दिया है। कुछ जानकारी भेज दी है। शेष जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रधान मत्री ने कहा कि एक आदमी को चोट आई। वे यह मालूम करना चाहते हैं कि हताहत व्यक्ति को क्या हुआ ?

†**श्री हेम बरूआ** : यह दुर्घटना २४ तारीख को हुई थी। पश्चिम बंगाल नई देहली से दूर नहीं है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इतना समय क्यों लगना चाहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दार्जिलिंग-नेपाल सीमा काफी दूर है। दूरी से अधिक अन्तर नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : यह तो मीरी पुलिस स्टेशन पर हुआ। वहां से जानकारी ली जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पास जानकारी के काफी संसाधन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त करेगी।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : क्या नेपाली समाचार पत्रों में भारत के विरोध प्रापेगैंडा के साथ इसका सम्बन्ध है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस के विरोध में विरोध-पत्र भेजा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विशेष दुर्घटना के बारे में है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लोग हताहत हुए हैं, ये भारतीय हैं या नेपाली हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गालिबन भारतीय होंगे। लेकिन इसका जवाब पूरी तहकीकात के बाद ही दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायल नेपाल एयरलाइन्स के विमान का कथित लापता होना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "'नेपाल रायल एयरलाइन्स' के विमान जिसमें भारत के दुर्घटना निरीक्षक, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव और अन्य चार यात्री थे का तथाकथित लापता हो जाना" ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लापता विमान की सूचना सर्व प्रथम हमारे नेपाल स्थित राजदूत ने सोमवार, २७ अगस्त, को प्रातःकाल टेलीफोन द्वारा दी थी । शीघ्र ही विमान बल और असैनिक उड्डयन विभाग से उस की तलाश में मदद करने के लिए कहा । मौसम की खराबी के कारण तलाश करने के कार्य में बाधा हो रही है ।

वह "पाइलेटस पॉर्टर" विमान नेपाल सरकार का था और पोखरा से घोरपाटन जा रहा था जहां "रायल नेपाल एयरलाइन्स" का डकोटा विमान पहले गिर चुका है । विमान एक तजुरबेकार भारतीय विमान चालक के अधीन था । वह विमान पोखरा से रविवार २६ अगस्त को ३ बजे सायंकाल रवाना हुआ था परन्तु घोरपाटन घाटी की हवाई पट्टी पर उतरने में असफल रहा ।

विमान में जो छै व्यक्ति बैठ हुए थे वे रायल नेपाल एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना के कारण की मौके पर जांच करने के लिए उस स्थान को जा रहे थे । यात्रियों में श्री शास्त्री और श्री शर्मा, जो कि नेपाल के हमारे दूतावास के प्रथमप्सचिव हैं, थै । श्री शास्त्री जो कि असैनिक उड्डयन विभाग के पदाधिकारी हैं, की सेवाएं डकोटा दुर्घटना की जांच के लिए नेपाल सरकार को सौंपी गई थीं ।

ज्योंही मौसम साफ हो जाए भारतीय वायु सेना विमान तलाश में शामिल होने के लिए तैयार हैं । नेपाल सरकार की प्रार्थना पर विमान तलाश करने के काम में भाग लेने के लिए तैयार हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विमान की तलाश में भारतीय वायु सेना का कोई विमान पहले उड़ा था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कई बार उन्होंने वहां जाने की कोशिश की परन्तु मौसम इतना खराब रहा है कि न तो नेपाली विमान और न हमारे विमान उस क्षेत्र में जा सके । तब तक पुलिस आदि को तलाश करने के लिए कहा है ।

श्री बागड़ी : जो बात प्रधान मंत्री जी ने कही है, उसको मैं समझा नहीं हूं और प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा हिन्दुस्तातनी में भी बताने की कृपा कर दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हमारा एक आदमी भी था उसमें जब वह जहाज़ चला था । वह जहाज़ लापता है । मौसम इतना खराब है कि हमारे और जहाज नहीं जा सके हैं । वे इन्तजार कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम अच्छा हो उसकी तलाश की जाए । वह इलाका सारा नेपाल सरकार का है । इस वास्ते उनकी सहायता से ही यह सब काम होगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री बागड़ी : नेपाल सरकार का वह इलाका है । वहां पर छानबीन करने के लिए नेपाल सरकार की तरफ से क्या कोई रुकावट है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई रुकावट नहीं है । इस मामले में रुकावट क्या हो सकती है । वे हमारी मदद चाहते हैं और हम बखुशी देने के लिए तैयार हैं । लेकिन आप देखें कि करीब करीब एक ही जगह पर दो ऐसे खतरनाक वाकात हो चुके हैं, दो क्रशिज़ शायद हो चुके हैं और अब हम तीसरे को उसी जगह भेजें बगैर ज़रा हालात के बहतर हुए, वह अच्छा नहीं होगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : थोड़े ही समय में यह दूसरी दुर्घटना है । क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न नेपाल सरकार से पूछा जाना चाहिए । वह नेपाली क्षेत्र है और उनका विमान नहीं मिल रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि नेपाल में एक ही क्षेत्र में दो दुर्घटनायें एक के बाद दूसरी हो चुकी हैं, इसलिये क्या नेपाल गवर्नमेंट को सुझाव दिया जा रहा है कि वह अच्छी तरह से अपने वायुयानों की जांच पड़ताल कर लिया करें, और क्या भारत सरकार इसमें उसे सहायता देगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कैसी बात आप फरमाते हैं ? नेपाल गवर्नमेंट खुद ही परेशान होगी और इन्तजाम करेगी । हमारे कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है । अगर हम इस तरह से सुझाव भेजें तो उनको कुछ नागवार गुजरेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं त्रिपुरा लगान और भू मि सुधार अधि-नियम, १९६० की धारा १९८ के अधीन दिनांक १० अप्रैल, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ७० (३७) रेव ५९-खण्ड-२ की एक प्रति, जिसमें त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३८३/६२]

आदेश पत्र से एक प्रस्ताव हटाने के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : २८ अगस्त के आदेश पत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तावों का जिक्र था .....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला उठाया गया था । मैं मालूम करूंगा । पहले आदेश पत्र में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने दीजिए ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प पर संशोधन के बारे में स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ। यह हमें पता नहीं है। मुझे खेद है कि मैंने यह पूछा। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि हमारे पास इस विषय का लिखित पत्र आ गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २९६ के अधीन निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस०ओ० २०२९ में प्रकाशित आय-कर (संशोधन) नियम, १९६२।

(दो) दिनांक १० अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस०ओ० २५६५ में प्रकाशित आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–३८४/६२]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण मूर्तिराव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नालीदार चादरों के वितरण के बारें में वक्तव्य

†**इपसात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : २१ जून, १९६२ को जस्ता, चढ़ी हुई लोहे की नालीदार चादरों के वितरण के बारे में आधे घण्टे की चर्चा के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि राज्यों को वितरण समान रूप से नहीं होता है।

मैंने इस मामले का ध्यान पूर्वक जांच की है। कुछ राज्यों को दूसरे राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लोहे की चादरें देने का मुख्य कारण यह है कि उन राज्यों के पास लोहे की चादरें सप्लाई करने का बहुत सा आर्डर पहले से ही पड़ा हुआ था। उन पहले से पड़े आदेशों के अनुपात से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा लोहे की चादरें भेजने की व्यवस्था की गई थी। छानबीन से पता चला है कि बड़ी मात्रा में लोहे की चादरें भेजने के मामले में कोई गड़बड़ी की बात नहीं थी जिस से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की इमानदारी पर कोई आशंका की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदेश पत्र से एक प्रस्ताव हटाने के बारे में--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : डा ०लक्ष्मीमल्ल सिंघवी और श्री स ०मो ०बनर्जी ने आज के आदेश पत्र से एक प्रस्ताव के हटाए जाने के बारे में मामला उठाया था।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : शायद आप को पता है कि कल दूसरे सदन में इस प्रस्ताव के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। इसके बाद दोनों सदनों के कुछ सदस्य मेरे पास आये कि इस मामले को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक कि दोनों सदनों में दूसरे सदन के सदस्यों की शक्तियों के बारे में भेदों को दूर किया जा सके। उनकी इच्छा के अनुसार मैं ने इस प्रस्ताव को कुछ देर के लिए कार्य सूची से हटा दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि मंत्री

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : राज्य सभा के सदस्यों की प्रबल भावनाओं की अवहेलना करना उचित नहीं। सभापति महोदय ने मेरे साथ इस मामले के बारे में लम्बी चर्चा की। यह बुरा होता यदि दोनों सदनों में इस मामले में, जिस में संसद् का घनिष्ट सम्बन्ध है, मतभेद हो जाए। अतः दोनों सदनों में कहां तक एक मत है इस बात को जानने के लिए कार्य सूची में से हटा लिया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : असली मत भेद क्या है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : प्रारम्भ में यह प्रस्तावना थी कि दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति नियुक्त की जाए। उस समय यह इतराज किया गया था कि यह समिति प्राक्कलन समिति का कुछ काम भी करेगी। अतः इस काम के लिये राज्य सभा के सदस्यों का होना उचित नहीं होगा। इसलिए हम ने राज्य सभा के सभापति से सलाह की।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय माननीय विधि मंत्री ये सब ब्यौरा न दें। मैं इस बात का पता करूंगा कि क्या कोई प्रस्तावना निकट भविष्य में लाई जाएगी या नहीं। जब प्रस्तावना आएगी तब सदन इसकी सीधी जांच करेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या यह मामला और स्थगित किया जाएगा जब कि सरकार औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में परिवर्तन करने की चेष्टा कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम) : यह प्रस्ताव कई बार आदेश पत्र पर रखा गया है और फिर हटाया गया है। ऐसा कितनी बार किया जाएगा ?

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : जब एक प्रस्ताव आदेश पत्र में लाया जाता है तो उसे हटाने के बारे में सदन को बताना चाहिए। इसीलिए यह मामला उठाया जा रहा है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : कल मैं ने निर्णय के बाद अनौपचारिक रूप से आपको बता दिया था। समय नहीं था ; नहीं तो सदन को भी बता दिया जाता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मामला सदन के सामने हैं। उसकी अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी प्रस्ताव को कार्यसूची से हटाने के लिए सदन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है । इस परिवर्तन से असुविधा अवश्य होती है । परन्तु जब तक कोई प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत न हो तब तक उसे हटाने के लिए सदन की आवश्यकता अनुमति की नहीं । वैसे जब भी एक बार कार्य-सूची तैयार कर ली जाए उसे बदलना नहीं चाहिए।

मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार इस सदन में इसे शीघ्र लाना चाहती है या अगले सत्र या कुछ अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित करना चाहती है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** (जोधपुर) : नियम २५ के अनुसार जिस दिन के लिये कोई प्रस्ताव कार्य सूची में हो उसी दिन उसे नहीं हटाया जा सकता जब तक कि अध्यक्ष महोदय ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार न समझें ।

कल की कार्य सूची में यह मामला दिखाया गया था और कल ही उसमें परिवर्तन कर दिया था । यदि परिवर्तन किया गया है तो क्या अध्यक्ष महोदय को पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह परिवर्तन चाहिए था ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य ने इस परन्तुक का अर्थ नहीं समझा कि यदि आज की कार्यसूची में यह लगाया जाए और फिर परिवर्तन किया जाए तो भिन्न बात है । यह तो कल कार्य-सूची में लगाया गया था.

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : और कल ही परिवर्तन किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बदलने की जानकारी मिल गई थी । सरकार का अगले दिन की कार्य-सूची में इसे लगाने का इरादा नहीं था । आज की कार्य सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

मेरे विचार में सदस्य केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या मामले पर चर्चा होगी या नहीं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैंने जिन परिस्थितियों के कारण यह स्थगन किया गया है, वे बता दी हैं । इस सत्र में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा ।

†**श्री प्र० के० देव**: (कालाहांडी) : क्या यह परिवर्तन संसद्-कार्य मंत्री ने स्वयं किया है या कार्य मंत्रणा समिमिति के निर्णनय के अनुसार किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यमंत्रणा समिति का काम तो समय निर्धारण का है, आदेश पत्र तैयार करने का नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या चूंकि दूसरे सदन में इतराज किया गया है इसलिए इस प्रस्ताव का स्थगन किया जा रहा है । क्या इस सदन और दूसरे सदन के सम्बन्ध की परिभाषा की गई है । हमें दूसरे सदन के इतराजों के आगे झुकना नहीं चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कोई मामला सदन के सामने आए तब आप जो चाहें कर दें । इस समय केवल यही इतराज किया जाता है कि यह मामला स्थगित किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** यह मामला स्थगित किया जा रहा है । क्या इससे लोग यह नहीं समझेंगें कि सरकार सरकारी क्षेत्र के बारे में गम्भीर नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यह सारी कठिनाई माननीय सदस्यों के दूसरे सदन के नेता के ही कारण हुई है ; अन्यथा यह प्रश्न हीं नहीं उठता था।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : यह प्रस्तावना कई समय से हमारे सामने है। दूसरे सदन की राय ने सरकार पर इतना प्रभाव किया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यही एतराज ठीक मालूम पड़ा है कि सरकार आश्वासन देती रही है कि समिति बनाई जा रही थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: आज के समाचार पत्रों में लिखा था कि राज्य सभा के सभापति आप से सलाह करेंगे । क्या आप से सलाह कर ली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सलाह की भी है तो मैं नहीं बताऊंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या आप से सलाह की है कि नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी मेरे साथ उन्होंने सलाह नहीं की है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार को लोक-सभा और राज्य सभा के कई सदस्यों में एक बैठक का प्रबन्धध करना चाहिए और २४ घण्टों के अन्दर इन बातों पर विचार करना चाहिए ताकि सत्र के अन्त तक इस पर फिर चर्चा कर सकें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलारल नेहरू)** : सरकार इस मामले को निपटाना चाहती है । यह सरकार की प्रस्तावना है। परन्तु असलीयत यह है कि संकल्प तो बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया था, परन्तु दूसरे सदन ने इसे मंजूर नहीं किया। हमारे सामने प्रश्न यह है कि एसे शब्द मालूम किए जाए जो दोनों सदनों को स्वीकार हों । कल एसी कोशिश की गई परन्तु सफल नहीं हुई। यदि आज या कल सफल हो गई तो अच्छा होगा और हम चर्चा कर लेंगे । चूंकि कल इस में सफलता नहीं हुई। अतः अगले २४ घण्टों में सफलता की की आशा नहीं है। यदि सफलता हो तो अच्छा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वस्तुतः सरकार को इस पर पहिले ही विचार कर लेना चाहिये। अब यह विषय सभा के समक्ष प्रस्तुत है। तथापि राज्य सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह केवल कल्पना के आधार पर आपत्तियां करे। उन्होंने उस पर पूरी चर्चा करनी चाहिये थी। तथापि इसके पहिले ही सरकार ने इस संबंध में विशेष रवैया अख्तयार किया। यदि सरकार को इस संबंध में कुछ आशंका थी तो उसका निर्णय कर लेना चाहिये।

जहां तक प्रत्येक सभा के अधिकार का प्रश्न है, वह संविधान में विहित है तथा उसका सम्मान किया जायेगा। अदः सरकार को चाहिये कि वह इस विवाद का शीघ्रता से निपटारा करे।

नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड २ पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** :(होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि 'केन्द्रीय' सरकार के स्थान में संघ सरकार लिखा जावे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : सामान्य खंड अधिनियम, जो हमारे अधिनियमों की व्याख्या के लिये शब्दकोष का काम देता है वहां "केन्द्रीय" सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

संशोधन संख्या ६ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड २ विधेयक का अंक बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड ३ से ५ को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं : प्रश्न यह है :

कि खंड ३ से ५ विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ६ (राज्य परिषद् में प्रतिनिधित्व)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७ (रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उपनिर्वाचन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

कि पृष्ठ ३ पंक्ति ९ और १० में शब्द "a by-election" ["एक उपचुनाव"] के स्थान पर "an election" ["एक चुनाव"] शब्द रखा जाये।(७)

संशोधन संख्या ८ इस प्रकार है :

पृष्ठ ३, पंक्ति १० से "the vacancy in" ["रिक्त स्थान"] शब्द हटा दिया जाये। (८)

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे बताया गया है कि विधेयक की शब्दावलि में वेकेंसी (रिक्त स्थान) शब्द अधिक सही है। तथापि अंग्रेज़ी भाषा को देखते हुए यह संशोधन वांछनीय है। अतः मैं संशोधन संख्या ७ और ८ स्वीकार करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ ३ पंक्ति ९ और १० में शब्द "a by-election" ["एक उपचुनाव"] के स्थान पर "an election" ["एक चुनाव"] शब्द रखा जाये"। (७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति १० से "the vacancy in" ("रिक्त स्थान") शब्द हटा दिया जाये । (८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड ७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

खंड ८ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ११ (विधान सभा की संख्या)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

खंड ११ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ (प्रक्रिया नियम)

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३ (आसाम और नागालैंड के लिये एक ही न्यायालय)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि आप खंड १३ का भली भांति अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि संविधान की दृष्टि से यह निरापद नहीं है । मैं आपका ध्यान अनुच्छेद २१४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा । इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में एक पृथक न्यायालय होगा । दिय आप नागा-

†मूल अंग्रेजी में

लैंन्ड को पृथक न्यायालय देते हैं तो आप आसाम के अधिकार का हनन करते हैं और यदि आप आसाम को देते हैं तो नागालैंड के विषय में संविधान का उल्लंघन होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** संविधान के अनुच्छेद २३१ के अधीन दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक उच्चन्यायालय हो सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह उच्चन्यायालय कहां स्थित होगा। क्या इसकी दो शाखायें होंगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका स्पष्टीकरण करे।

†**श्री अ० कु० सेन :** जहां तक आसाम सरकार तथा नागालैंड के बीच व्यय के बटवारे का संबंध है। यह अधिकार राष्ट्रपति को सौंप देना चाहिये। हम उसे अभी विहित नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से हम सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। यह विवरण एक ऐसे उच्चन्यायालय के संबंध में होगा जिसका व्यय भारत की संचित निधि से दिया जायेगा।

कोहिमा में उच्चन्यायालय की बेंच के संबंध में यहां से निदेश नहीं दिया जा सकता है। यह बात स्वयं उच्चन्यायालय निश्चित करेगी। यदि उच्च न्यायालय चाहे तो इस मांग पर विचार कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १४ से १८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २० से २२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २३ (राजस्व का वितरण)

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति ३४ से "1" ["१"] हटा दिया जाये(२)

(२) पृष्ठ ९ में पंक्तियां ५ से ८ हटा दी जायें। (३)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ८ पंक्ति ३४ से "1" ["१"] हटा दिया जाये। (२)

(२) पृष्ठ ९ में, पंक्तियां ५ से ८ हटा दी जायें। (३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३, संशोधित रूप मैं विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २४ से २७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २८ (न्यायालयों तथा अधिकारियों इत्यादि के बने रहने के संबंध में उपबन्ध)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से इस संशोधन के "असंगत" शब्दों को जोड़ देने पर इसका अर्थ बहुत व्यापक हो जायेगा । अतः मेरे विचार से अनावश्यक रूप से शब्द जोड़ना ठीक नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या २३ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २९, ३० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३१ (कठिनाइयां दूर करने की शक्ति)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ११ में—

पंक्ति ६ के बाद, ये शब्द जोड़ दिये जायें—

"Provided that every order made under this section shall be laid before parliament."

["परन्तु शर्त यह है कि इस धारा के अन्तर्गत किये गये प्रत्येक आदेश को संसद के समक्ष रखा जायेगा"]। (२५)

मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में संसद् की प्रभुसत्ता को ध्यान मैं रखा जाना चाहिये । इस प्रकार की शक्ति के संबंध में संसदीय पर्यवेक्षण का न रखा जाना संसदीय लोक तंत्र के विरुद्ध है ।

†**श्री त्यागी** : (देहरादून) : मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं । राज्यपाल कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है । इसलिये उसे संसद् द्वारा किये गये निर्णयों को रद्द करने की आजादी नहीं होनी चाहिये । ऐसी हालत में राष्ट्रपति द्वारा किये गये कोई आदेश सदन के सामने रखा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** म इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि आदेश दोनों सदनों के सामने रखे जायें ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सब विधियों में यह शब्द रखे जाते हैं संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन के बारे में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि पृष्ठ ११ —

पंक्ति ६ के बाद यै शब्द जोड़ दिये जायें ।

"provided that every order made under this section shall be laid before each house of parliament."

['परन्तु शर्त यह है कि इस धारा के अन्तर्गत दिये गये प्रत्येक आदेश को संवद के ोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा "] (२५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३१, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३२ और ३३ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १—(संक्षिप्त नाम)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ (संशोधित रूप में) प्रस्तुत करता हूं ।

खंड १ को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये कि वह इस प्रकार पढ़ा जाये कि "यह अधिनियम नागालैंड राज्य अर्थात् नागालीमा अधिनियम १९६२ कहलायेगा" अथवा यदि ऐसा न किया जा सके तो वह इस प्रकार पढ़ा जाये कि "यह अधिनियम नागालैंड राज्य अर्थात् नागा प्रदेश अधिनियम, १९६२ कहलायेगा" ।

यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो सरकार संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के संबंध में एक पंक्ति वाला संशोधक विधेयक ला सकती है ।

†**श्री त्यागी :** औचित्य प्रश्न के हेतु । यह असंगत है क्योंकि हम खंड ३ पहले पारित कर चुके हैं और राज्य का नाम नागालैंड रखा जा चुका है । इस तरह केवल विधेयक के नाम में परिवर्तन करना उचित नहीं होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं कहना चाहूंगा कि श्री त्यागी ठीक कह रहे हैं । सदन का पहला निर्णय संविधान (तेहरवां संशोधन) विधेयक में दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर सहमत हूं कि ये संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। सदन का निर्णय पहले ही मौजूद है। मैं उसी प्रश्न को दोबारा मतदान के लिये प्रस्तुत न हीं कर सकता।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २१ अगस्त, १९६२ को श्री पाटिल द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर संशोधनों सहित अग्रेतर विचार करेगा :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने और उस अधिनियम के अधीन किये गये कुछ अर्जनों को वैध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्रीमान्, आपने विधयक पर चर्चा का समय ४ घंटे से बढ़ा कर ६ घंटे कर दिया था। उसके बाद मैं कुछ सदस्यों से मिला हूं। मेरे विचार में संशोधनों में बहुत से परिवर्तन सुझाये गये हैं। कुछ संशोधन हटा दिये गये हैं और कुछ नये संशोधन रखे गये हैं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : वर्तमान कानून संविधान के अनुच्छेद १९ अथवा अनुच्छेद ३१ के प्रति संगत नहीं है। परन्तु यह विचारणीय है कि क्या भूमि अर्जन अधिनियम की वर्तमान धारा की समस्त भावना को बदलने वाली प्रविष्टि अथवा संशोधन अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगी ?

अधिनियम की धारा ४० और धारा ४१ एक साथ पढ़ी जानी चाहिये। धारा ४१ में उल्लिखित करार की शर्तों के ब्योरे के निर्देश के बिना धारा ४० का विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। पता नहीं कि धारा ४१ के खंड (क) और खंड (ख) के बीच में जो नया खंड (कक) जोड़ा गया है उससे हमें कितना अधिक क्षेत्र मिल सकेगा जिसका भूमि अर्जन अधिनियम के निर्माताओं

---

†मूल अंग्रेजी में

ने कभी विचार तक नहीं किया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या उससे खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित प्रयोजन निष्क्रय हो जायेगा।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिये।

†श्री स० का० पाटिल : मैं दो मूल संशोधनों को जो कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने और इसे राय जानने के लिये परिचालित करने के बारे में थे, स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिये मैंने ४ या ५ दिन का समय दिया था, ताकि अन्तर यदि कोई हो, तो उसे दूर किया जा सके।

जैसाकि मैंने पहले कहा है, हमने भेंट की है और इस विधान के बारे में उनका भय दूर करने का प्रयत्न किया है।

उन परिवर्तनों का उल्लेख करने से पहले, मैं उन संशोधनों का उल्लेख करूंगा जो सरकार प्रस्तुत कर रही है। पहले मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी थी और बाद में डा० राम सुभग सिंह ने एक और सूची प्रस्तुत की है। इस चर्चा के बाद, सरकार इन संशोधनों को प्रस्तुत करेगी। अन्य संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

जहां तक संशोधन ३ का संबंध है। यह इसलिये किया गया है कि सहकारी संस्थाओं के बारे में प्रत्येक राज्य का भिन्न भिन्न कानून है।

संशोधन संख्या ४ आनुषंगिक संशोधन है जिस पर कोई मतभेद नहीं था।

जहां तक संशोधन संख्या ५, ६ और ७ का संबंध है, वे बदल दिये गये हैं और कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं। वे डा० राम सुभग सिंह के नाम में हैं। इनकी संख्या सूची ११ में संख्या ४२, ४३ और ४४ है। सरकार इन्हें प्रस्तावित करना चाहती है।

संशोधन ५, ६ और ७ के स्थान पर यह व्यवस्था की जा रही है कि धारा ४० की उपधारा (१) के खंड (कक) जोड़े जाने का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद १९ में प्रयुक्त "जन साधारण के हित में" शब्दों को पथ प्रदर्शक माना गया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। नयी धारा ४४क में कुछ परित्राण रखे गये हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में सन्देह प्रकट किये कि इसके अन्तर्गत दिये गये विस्तृत और व्यापक अधिकारों का दुरोपयोग किया जायेगा। अतः इस बारे में काफी छानबीन की गयी। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित भमि को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी। कई सदस्यों ने कहा कि यह हो सकता है कि कोई समवाय भमि अर्जित करे और बाद में बेच दे, अतः ४४क में संरक्षणों की व्यवस्था कर दी गयी।

यह भी कहा गया कि "प्राइवेट कम्पनी" गैर सरकारी समवाय के लिये यह न हो। यद्यपि अनुभव यही है कि किसी गैर सरकारी समवाय के लिये कोई भमि कभी अर्जित नहीं हुई। फिर भी सदस्यों का विचार था कि इसे भी सम्मिलित कर लिया जाय। अतः हमने व्यवस्था की कि गैर सरकारी समवाय का अर्थ वही होगा जो १९५६ के समवाय अधिनियम में दिया गया है। फिर नियम बनाने के अधिकारों के बारे में विचार हुआ। अब निश्चय यही हुआ है कि नियम बनाने के अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होंगे। परन्तु यदि भूमि राज्य सरकार ने अर्जित की हो तो यह अधिकार राज्य सरकारों को है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर। न तो इस संबंध में हिन्दी में बोला जाता है और न ही कुछ लिख कर दिया जाता है, ताकि हम इसको समझ सकें और कुछ कह सकें ।

†**श्री स० का० पाटिल** : अत: अब व्यवस्था यह है कि 'उपयुक्त सरकार' के स्थान पर 'केन्द्रीय सरकार' शब्द रख दिये गये हैं वस्तुत: सारे अधिनियम का संशोधन नहीं किया जा रहा है अपितु केवल कुछ धाराओं का संशोधन किया जा रहा है ।

विधेयक के संबंध में कुछ व्यक्त किये गये सन्देहों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

नियम बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत अच्छी कृषि योग्य भूमि को अर्जित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार का सन्देह श्री कृष्ण पाला सिंह, श्री काशी राम गुप्त और श्रीमती रेणुका राय ने व्यक्त किया है। कोई बड़ा ही आवश्यक कम हो जाये तो दूसरी बात है, फिर भी पूरी छानबीन करके ही ऐसा किया जायेगा। परन्तु मेरा विचार यही हैं कि ऐसा अवसर शायद ही कभी आये। हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकारें नगरीकरण के लिये भी वह भमि अर्जित न करे जहां अच्छा कृषि उत्पादन हो रहा है। नितांत आवश्यकता होने के अतिरिक्त उसे किसी भी अवस्था में अर्जित नहीं किया जायेगा। इस बारे में मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भूमि अर्जित की जाती है, राज्य के कृषि विभाग के प्रतिनिधि से पूरा परामर्श कर लिया जाता है। हम यह भी नियम बनाने का विचार कर रहे हैं कि कृषि भमि को गैर कृषि कार्यों के लिये प्रयोग न की जाये। ऐसे भी मामले सामने आये जिसमें काफी वर्ष पहिले भूमि अर्जित हुई और काफी वर्ष बिना प्रयोग के पड़ी रही। उसके लिये ही दूसरा संशोधन लाया गया है। ऐसे नियम बनाये जायेंगे कि यह बात संभव ही नहीं हो सकेगा ।

कई माननीय सदस्यों का कहना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह काफी नहीं है और इसके लिये कुछ किया जाना चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन है कि कई माननीय सदस्यों ने सारा अधिनियम पढ़ा नहीं है। अधिनियम के कई भाग हैं। भाग २ और ७ के अन्तर्गत राज्य सरकारें भूमि अर्जित कर सकती है। अधिनियम के भाग ७ को कानून में विशिष्ट रूप से रखा गया है ताकि कम्पनियों के लिये भी जाने वाली भूमि के संबंध में कुछ रोक लगाई जा सके। अब हमने और बहुत सी बातें जोड़ दी हैं ताकि अन्तत: इसे इतना दोष रहित बना दिया जाय जितना कि संभव है ।

मुआवजा जो भी दिया जा रहा है वह बाजार दर के अनुसार ही होगा। कई बार तो अर्जित भूमि की कीमत सरकार से १५ प्रतिशत अधिक मिल जाती है । यह एक वास्तविकता है। बम्बई के ४२ गांवों में कृषि भूमि है। बम्बई नगर में भी कृषि भूमि है जो कि बिका करती थी। कई बार अधिक कीमत भी मिल जाया करती है । यह सब अध्याय VII के अन्तर्गत किया जाता है, यदि माननीय सदस्यों की इच्छा इसे और कड़ा करने की है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । यदि किसी भूमि का स्वामी स्वयं खेतिहर हो तो स्थिति थोड़ी अन्य हो जाती है और उसके लिए ही यह व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं जिसके लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

होगी । वे विधेयक के लिए ठीक ही होंगे, निकट भविष्य जब बड़े विधान पर चर्चा होगी तो हम उन पर भी विचार करेंगे ।

परिभाषा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गैर सरकारी समवाय में अंशों को हस्तांतरित की व्यवस्था नहीं होती । और सरकारी समवाय वह है जो गैर सरकारी नहीं होता ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : ऐसी भूमि जिससे स्वामी को १,२५,००० प्रति वर्ष नुकसान होगा का मुआवजा १५ करोड़ से ३० करोड़ तक पहुंचता है । वार्षिक राजस्व लाख, सवा लाख से अधिक फैलता है क्या सरकार उन्हें इतनी राशि देगी ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई पक्ष असन्तुष्ट हो तो वह अदालत में जा सकता है । अदालत के फैसला सुनाने तक "कलैक्टर" मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता, अतः मेरा कहना है कि पर्याप्त संरक्षणों की व्यवस्था की गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को, उस पर राय जानने के लिये परिचालित करने के बारे में संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २० संशोधन संख्या १ जैसा ही है । यह तो समाप्त हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दाजी के विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में संशोधन संख्या ३२ मतदान के लिये रखा गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अब तो १ बजकर ५० मिनट हो गये, मतदान ढाई बजे किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा ढाई बजे तक स्थगित रहेगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा ढाई बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक सभा ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने का संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ४१ : विपक्ष में १५० ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने और इस अधिनियम के अधीन किये गये कुछ अर्जनों को वैध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी ।

खंड २—(धारा ४० का संशोधन)

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं संशोधन संख्या ४ और ४२ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ५ के बारे मैं क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ४७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या २४, २५, २६, ३६ और ३७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मैं संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री ह० च० सौय** (सिंहभूम) : मैं संशोधन संख्या ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले) : संशोधन संख्या २३ और २७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २७ खंड २ के बारे मैं नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**त्रिदिव कुमार चौधरी** (बहरामपुर) : संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह खंड २ के बारे में नहीं है ।

†**श्री जेधे** (वारामती) : मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : मैं संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ४७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ५ और ६—

"Land Acquisition Act 1894 (herein after referred to as the principal Act), Substitute "principal Act"["भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (जो अब मुख्य अधिनियम कहा जायेगा"] शब्दों के स्थान पर "principal Act" ["मुख्य अधिनियम"] शब्द रख दिये जायें ।"] (४)

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ १—

पंक्ति ८ से १२,

"(aa) that such acquisition is needed for the construction of some building or work for a company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work is in the interests of the generel public; or".

["(कक) : इस प्रकार का अर्जन किसी भवन के बनाने अथवा किसी समवाय के लिये जो कि उद्योग चलाता हो अथवा चलाने वाला हो, अथवा किसी सार्वजनिक हित के लिये; अथवा . . . . "] शब्द रख दिये जायें। (४२)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ४७ के बारे में विचार व्यक्त कर रहा हूं जो कि मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। भूमि लेने का तो मैं विरोधी नहीं हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि किन शर्तों पर वह लेनी चाहिये। श्री स० का० पाटिल ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं। श्री स० का० पाटिल ने संशोधन संख्या ४२ में कहा है :—

(कक) किसी ऐसे समवाय के भवन बनाने के लिये इस भूमि की आवश्यकता है जो किसी उद्योग में लगा हुआ है अथवा किसी उद्योग की स्थापना करने जा रहा है अथवा वह किसी ऐसे काम में रत है जो जनसाधारण के हित का है।

मेरा विचार है कि पुराना अधिनियम, १८९४ बहुत पहले ही संशोधित कर देना चाहिये था। मेरा विचार है कि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिये हैं उनको देखते हुए इस विधान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि यह आवश्यक भी था तो कुछ सुरक्षात्मक उपबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिये थी।

माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि भूमि अर्जित किये जाने पर भूमिधर को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जायेगी। अर्थात् उसे प्रचलित बाजार भाव और १५ प्रतिशत ऊपर से दिया जायेगा। लेकिन देखने में यह आया है कि लोगों को बाजार भाव बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। बल्कि उन्हें मामूली सी क्षतिपूर्ति दे दी जाती है। मेरा निवेदन है कि जब तक किसी संस्थान में सरकार का कोई अंश न हो तब तक उस संस्थान को भूमि अर्जित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही कहा है भूमि अर्जन के लिये सरकार को अभिकर्ता का काम नहीं करना चाहिये। उद्योगपतियों को स्वयं ही बातचीत करनी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि हमें इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये। किसानों को काफी क्षतिपूर्ति देनी चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमती रेणुका रे तथा श्री सिंहासन सिंह के संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये। इनसे कोई हानि नहीं होगी।

भूतलक्षी मान्यीकरण की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे संशोधन से कोई हानि नहीं होती। और यह औद्योगिक संकल्प के अनुरूप है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने संशोधन संख्या २४, २५, २६, ३६ और ३७ प्रस्तुत किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके संशोधन संख्या २५, २६, ३६ और ३७ सरकारी संशोधन संख्या ५ के बारे मैं है जो कि सरकार ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है अतः वे नियम-बाह्य है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे आश्चर्य है। उन्होंने इन की सूचना दी है । अब उन मैं से कौन से बाकी रह गये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २५ २६, ३६ और ३७ नियम-बाह्य हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो मेरे संशोधन २४ और रह गये हैं ।

सरकार द्वारा खंड २ के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधन संविधान के उपबन्धों से संगत नहीं है तथा 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिए' वाक्य के तदनुरूप भी नहीं है जैसा कि यह अनुच्छेद ३१ में प्रयोग हुआ है । 'सार्वजनिक हित' शब्द अनिश्चित प्रकार के हैं । प्रस्तावित संशोधन में यह उपबन्ध संविधान के शक्ति-परस्तात है । 'आम जनता के हित में' शब्दों के स्थान पर 'निश्चित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए' शब्द रखे जायें ।

ये शब्द कि कोई कम्पनी जो किसी उद्योग में व्यस्त है या ऐसे करने के उपाय कर रही है बहुत ही अनिश्चित से हैं ।

इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाये ताकि यह उपबन्ध हो सके कि ऐसा एक कम्पनी के बारे में किया जायेगा जो देश की जनता के प्रतिदिन के जीवन के लिये अत्यावश्यक कार्य में व्यस्त है तथा प्रत्यक्षतः आम जनता के लिए लाभप्रद है तथा जो समाजवादी समाज के ढंग पर देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई है

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करती हूं। यदि इस का गहराई से अध्ययन किया जाये, तो मालूम होगा कि हम धनवानों को प्रतिकर देने जा रहेहैं ; उन लोगों को जिन के पास २ या ३ एकड़ से अधिक भूमि है। सरकार केवल अत्यधिक उपज वाली भूमि वालों के संरक्षण का ही विचार कर रही है, परन्तु सिंहभूम के एक गरीब आदिवासी की भूमि को अर्जित किया जा सकता है । क्योंकि वह सार्वजनिक हित में टाटा, बिरला या किसी अन्य के लिये आवश्यक होती है । अतः हमें 'सार्वजनिक हित' का अर्थ समझ में नहीं आया । भाग (२) के अन्तर्गत किसी गैर सरकारी व्यक्ति से भूमि लेने के लिये राज्य के मार्ग में कोई रूकावट नहीं है ।

"आम जनता के हित में " शब्दों को रखने से यह सभी प्रसंगों पर लागू हो सकेंगे । ये शब्द अनिश्चित से हैं तथा पूंजीपति इन त्रुटियों की आड़ लेंगे । इसलिए हम संशोधन संख्या ४२ के सर्वथा विरूद्ध हैं ।

विधेयक को पारित कर के हम भूमि के अर्जन को वस्तुतः रोक नहीं सकेंगे । खंड २ के बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन रद्द कर दिया जाये ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : खंड २ को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये कि उस में वे कम्पनियां, जिन में अधिकतर 'हिस्से' राज्य के हों, और सहकारी समितियां भी आ जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि सरकार द्वारा पेश किया गया संशोधन मूल विधेयक से अच्छा है फिर भी उस में और सुधार की जरूरत है। 'सामान्य जनता के हित में' शब्दों की बजाय "लोक हित" शब्द रख दिये जाने चाहिएं इस से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि सरकार पूंजीपतियों की उन के द्वारा भूमि अर्जन किये जाने में, जिसे वे सामान्यतया करेंगे, मदद नहीं करेगी। जिन लोगों की भूमियां सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों अथवा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अर्जित की जाती है उन को भी समय पर प्रतिकर नहीं दिया जाता है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि प्रतिकर का भुगतान समय पर किया जाएगा।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे और उन के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

श्री त्यागी : यह स्पष्ट है कि सारा विवाद संविधान में प्रयोग किये गये दो शब्द "सार्वजनिक प्रयोजन" पर केन्द्रित है। इसलिए हमें विधेयक पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि यदि ये प्रस्तावित संशोधनों के संहित पारित कर दिया गया, तो उच्चतम न्यायालय में जा कर इस की बुरी दशा न हो।

संरक्षण के केवल दो उपबन्ध हैं। एक यह है कि सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जित की जाये और दूसरा यह है कि यह कानून के प्राधिकार द्वारा किया जाये। "कानून" शब्द का यहां अर्थ यह है कि ऐसा कानून जो अर्जित सम्पति के लिये प्रतिकर देने की व्यवस्था करता हो।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार १८९४ का भूमि अर्जन अधिनियम शक्ति प्रस्ताव था। इसलिए यदि हम पुराने अधिनियम को किसी तरह संशोधित करें, तो वह संशोधन 'वर्तमान विधि' के अन्तर्गत नहीं आयेगा। 'सार्वजनिक हित' शब्द मूल अधिनियम में भी हैं। यदि कोई और समेकित अधिनियम बना दिया जाये, तो स्थिति भिन्न होगी।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, मुझे भय है कि संशोधक विधेयक पर उच्चतम न्यायालय में आपत्ति की जायेगी। दिल्ली में कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिन में कुछ स्थानों को उन व्यक्तियों से लेकर जो उद्योग शुरू करना चाहते थे, अधिक मूल्यों पर अन्य उद्योगों को दे दिये गये थे। क्या यह न्याय है। ऐसी बातें अन्य राज्यों में भी हो रही हैं।

हमें निजी हितों के लिये सम्पति अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है। आप पूंजीपतियों को बाज़ार मूल्य +१५ प्रतिशत देने के लिए बाध्य क्यों करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता से खरीदने का अधिकार क्यों नहीं देते? यह अधिकार गरीब आदमी को होना चाहिये कि वह अपनी भूमि बे रोक टोक बेच सके और उस के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सके। मेरे विचार में इस में कोई हानि नहीं है।

फिर भी हम सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जन के बिना नहीं रह सकते। इस लिए मैं ने जो संशोधन दिया है, उस से हमें संतुष्ट होना चाहिये।

माननीय मंत्री के इस आश्वासन का स्वागत है कि भूमि अर्जित करते समय ग्रामीण लोगों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

'सार्वजनिक प्रयोजन' के सम्बन्ध में विधि आयोग ने एक लम्बी सूची दी है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

विख्यात वकीलों ने सार्वजनिक प्रयोजनों की व्याख्या कर दी है। किसी बड़े आदमी को लाभ कमाने के लिए कोई कारखाना लगाने की अनुमति देना सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है।

निर्वचन करने का संसद् को अधिकार नहीं है । यह कार्य उच्चतम न्यायालय का है। डा० रामसुभग सिंह ने जो संशोधन दिया हैं, वह वर्तमान खंड के क्षेत्र से परे है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रस्तुत नहीं किया गया ।

†**श्री त्यागी** : प्रस्तुत नहीं किया गया । यह एक ऐसी बात है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। लोग मुझ पर दल का पक्ष करने का आरोप लगाते हैं । परन्तु पता नहीं वे किस प्रकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां दल का कोई प्रश्न नहीं माननीय सदस्य सदन के सदस्य होने की हैसियत से यहां बोल सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : इस से बड़ी हानि होने की संभावना है । संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत बड़ी सरकारी कम्पनियां लाभ उठायेंगी, और छोटे पंजीपतियों को भी लाभ नहीं हो सकेगा। गरीब आदमी से उसकी भूमि बिना उचित मूल्य दिये छीन ली जायेगी। यह समाजवादी समाज की रचना तो नहीं कही जायेगी । सिद्धान्त छोटे बड़े पर एक रूपता से लागू होना चाहिए।

इन शब्दों से मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : स्पीकर साहब, जो अमेंडमेंट अब पेश की गई हैं, उस ने तो और भी मुश्किल पैदा कर दी है। पहले तो बड़ा साफ़ था। एक ही क्लाज़ पर बहस थी । । जहां तक इस हिस्से का ताल्लुक है,

"कि इस अर्जन का उद्देश्य सामुदायिक उद्देश्यों के लिए इमारत बनाना है ।"

इस पर तो हाउस में कोई डिफ़रेंस नहीं था और सब इस को वेलकम करते थे। वहस तो क्लाज़ के इस हिस्से पर थी,

"अथवा उस से देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना हो ।"

सारे मेम्बर्ज़ की तरफ़ से इस के खिलाफ आवाज़ उठी थी कि यह बड़ा वाइड प्राविज़न है। इसलिए मिनिस्टर साहब ने मेम्बर्ज को कनसल्ट करने के लिए टाइम लिया। उस कनसल्टेशन में क्या प्वांयट आया और क्या नहीं आया, यह तो मालूम नहीं, लेकिन जो अमेंडमेंट अब लाया गया है, जब उलझन बढ़ गयी भ्रष्टाचार और भ्रष्ट हो गया । उन्होंने क्या दे दिया ? उन्होंने "एसेंशल टु दि लाइफ़ आफ़ दी कम्यूनिटी" के लफ़्ज़ भी हटा दिये और "टु प्रोमोट दि इकानोमिक डेवेलपमेंट आफ़ दि कन्ट्री" की शर्त भी ख़त्म कर दी। उन्होंने डिस्पूटिड क्लाज़ में ये अल्फ़ाज़ रख दिए, "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जनरल पब्लिक "। ये अल्फ़ाज़ रखने के मायने तो यह होंगे कि लोग हर रोज अदालत में खड़े रहें और हर रोज़ फ़ैंसले होते रहें। । सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में "पब्लिक परपज" की बात कही थी। अगर "पब्लिक परपज़" रखा जाये, तब तो ठीक हो सकता था और वह बात समझ में आ सकती थी। लेकिन "पब्लिक परपज़" के अलफ़ाज़ भी गए और

---

†मूल अंग्रेजी में

"एसेंशल टु टि दि लाइफ़ आफ़ दि कम्यूनिटी " के अलफ़ाज़ भी गए । अब तो इस प्राविज़न को बहुत वाइड कर दिया गया है।

पहले वहस इन अलफ़ाज़ पर थी, "इज़ लाइकली टु प्रोमोट दि इकानोमिक डेवेलपमेंट आफ़ दि कंट्री।"

उनकी जगह पर अब इन अलफ़ाज़ को रख दिया गया है, "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जनरल पब्लिक।" इसका मतलब तो यह है कि अगर कोई आदमी एक फ़ैक्ट्री लगाए, तो वह भी इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जेनरल पब्लिक के लिये ही होगी। उस फ़ैक्ट्री में बनी चीज़ आम लोगों के इस्तेमाल के लिये नहीं होगी, तो और क्या होगी ? इसलिये मैं यह समझता हूं कि "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जेनरल पब्लिक" के अलफ़ाज़ रखने का नतीजा सिवाये लिटिगेशन को बढ़ाने और कम्पनीज़ और पब्लिक को तक्लीफ़ देने के कुछ नहीं होगा। अगर इस टर्म को अच्छी तरह से डेफ़ाइन कर दिया जाता, स्पेसिफ़िक परपज़ का ज़िक्र कर दिया जाता, तो ठीक होता। लेकिन मिनिस्टर साहब ने कांस्टीट्यूशन में से कुछ लफ्ज़ पढ़ कर सुना दिये, जिनका ज़िक्र फ्रीडम आफ़ स्पीच के सिलसिले में किया गया था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस सिलसिले में इस्तेमाल किये गये "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जनरल पब्लिक" के अलफ़ाज़ को लैंड एक्वीज़ीशन के मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

इस लिये यह ज़रूरी है कि "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जनरल पब्लिक" को डेफ़ाइन किया जाय और वह "पब्लिक परपज़" के लिये हो। अगर इस में "पब्लिक परपज़" रखा जायगा, तो तमाम हाउस सैंक्टिसफ़ाइड होगा।

आज ज़मींदारों की ज़मीन पर सीलिंग लगाई जा चुकी है। उनकी ज़मीन छिन चुकी हैं। अब वे दो दो, चार चार एकड़ के आदमी रह गये हैं। सरकार उन से दूध और ग्रेन लेना चाहती है और उनके लड़कों को पुलिस और फ़ौज में लेना चाहती है। वे लोग सब तरफ़ से मुल्क और सरकार की सर्विस कर रहे हैं। लेकिन वे आज लाचार हो कर बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि भगवन्, यह गवर्नमेंट तो अंग्रेज़ से भी ज्यादा सख्त है। उन लोगों के दस-दस बच्चे होते हैं, वे कैसे अपना गुज़ारा करें ? आज फ़ैमिली प्लानिंग का बहुत ज़िक्र होता है, लेकिन हम देखते हैं कि रिच मैन के कम बच्चे होते हैं, जबकि इस बारे में ग़रीब आदमियों पर ज्यादा मार होती है। जब से इस बिल का चर्चा हो रहा है, वे लोग बहुत परेशान हैं। हम देखते हैं कि यहां पर वर्ड्ज़ पर प्ले किया जा रहा है—कभी कुछ लफ्ज़ लिख देते हैं और कभी कुछ, लेकिन मतलब वही है, यानी केपिटलिस्ट्स को ज़मीन दिलवाई जाये। इसके मुकाबले में गरीब आदमियों को, जिनकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी है, जिनकी ज़मीन छिन चुकी है, कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही है।

जहां तक ज़मीन हासिल करने का सवाल है, वे लोग इस बारे में सौदा करें, जिनके लिये सरकार की तरफ़ से यह बिल लाया गया है। इस में कौन सी रुकावट है ? अगर मैं मकान बनाना चाहता हूं, तो मैं सौदा करूं, मुझे ज़मीन मिले या न मिले। लेकिन वे लोग समझते हैं कि सौदा करने से मुश्किल होगी। इसलिये वे गवर्नमेंट की मदद से ग़रीब आदमियों को उनकी ज़मीन से डेप्राइव करना चाहते हैं, जिसके बिना उनका ज़िन्दा रहना नामुनकिन है। आज तमाम इंडिया से, मुल्क के कोने-कोने से आवाज़ आ रही है कि किसी तरह से हमें बचाओ।

जिस ग़रीब आदमी की ज़मीन ली जा रही थी, वह इन्साफ़ पाने के लिये नीचे गया, ऊपर गया, हाई कोर्ट गया, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गई। जब वह बहुत रुपया ख़र्च कर के

[श्री लहरी सिंह]

सुप्रीम कोर्ट गया, तो वहां उस को जस्टिस मिला । अब सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को किक किया जा रहा है और उस ग़रीब आदमी को उसकी ज़मीन से डेप्राइव किया जा रहा है, जिसके लिये उस ने हज़ारों रुपये ख़र्च किये ।

एक बात तो यह है कि "पब्लिक इन्ट्रेस्ट" को डेफ़ाइन किया जाये और दूसरे यह देखना है कि जिन लोगों को हम ज़मीन से डेप्राइव करने जा रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी फ़ैमिलीज़ हैं, उनके लिये हम ने आल्टरनेटिव क्या रखा है, उन को हम क्या रोज़गार दगे । जहां तक उनको मार्केट वैल्यु देने का सवाल है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार दस फ़ैमिलीज़ को उनकी ज़मीन से डेप्राइव कर के--वे लोग अनपढ़ हैं, वे टैक्नीशन नहीं हैं और कोई ट्रेड नहीं करते हैं--यह कहना चाहती है कि हम तुम को मार्केट वैल्यु देंगे । यह मार्केट वैल्यु क्या है ? हम लोग हर रोज़ देखते हैं कि अदालत में यह कहा जाता है कि चार पांच साल की औसत निकालो, वह मार्केट वैल्यु है । आज सब चीज़ें दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही हैं, लेकिन अदालतों के मुताबिक मार्केट वैल्यु के मायने पांच साल का एवेरेज है, जोकि कुछ भी नहीं आता है । अगर गवर्नमेंट अपने किसी काम के लिये लैंड एक्वायर करे, तो ठीक है, लेकिन जहां तक कैपिटलिस्ट क्लास के लिये ज़मीन एक्वायर करने का सवाल है, अगर वे लोग आपस में सौदा कर के ज़मीन हासिल नहीं कर सकते, तो कम से कम यह प्राविज़न किया जाये कि सिर्फ़ पब्लिक परपज़ के लिये ज़मीन एक्वायर की जाये । उस ज़मीन से उजड़े हुए फ़ैमिलीज़ के लिये एक ख़ास स्पेशल मार्केट वैल्यु हो । उन को ख़ास कम्पेन्सेशन देने पर ग़ौर किया जाये । जैसे कोई आदमी एक फ़ैक्ट्री लगाता है । जिस जगह पर एक फ़ैक्ट्री लगती है, उस जगह पर और भी बहुत सा डिवेलेपमेंट का काम हो जाता है । वहां पर सड़क बन जाती है, वहां पर दुकाने खुल जाती हैं, वहां पर मंडी बन जाती है । ये जो दुकानें बन जाती हैं, दस-दस और पंद्रह-पंद्रह और जिन को कम्पनी वाले बनवा लेते हैं, उनका ये किराया भी खाते हैं लेकिन उनका उस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता है । ये दुकानें भी उस जमीन पर बनती हैं जिसको एक्वायर कर के उस को दिया जाता है । क्या कभी आप ने सोचा है कि जिस से ज़मीन ली गई है, उसको भी इस में से कुछ हिस्सा मिले, उसके लिये भी इस में कुछ ज़मीन अलग से रखी जाये ताकि वह भी दुकान बना कर वहां पर कुछ काम कर सके । क्या आप ने कोई इस तरह का प्राविज़न इस में रखा है कि उस ज़मीन का एक चौथाई हिस्सा या एक तिहाई हिस्सा उस को मिलेगा ताकि वह भी कुछ कर सके, वह भी अपना गुज़र बसर कर सके । आप को चाहिये कि आप देखें कि वह भी यह जो प्रासपैरिटी होगी, उस में हिस्सा ले, उस को एनजाय करे । लेकिन उस बेचारे को न कोई दुकान मिलेगी और न ही उसको या उसके बच्चों को उस फैक्ट्री में कोई नौकरी ही मिलेगी और वह गरीब इधर उधर मारा मारा फिरेगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा । क्या उसको नौकरी वगैरह वहां पर देने में कोई रुकावट है । आप ने तो सिर्फ यहां पर जनरल इंटिरेस्ट की बात लगा दी है और उस को अमल में ला कर आप कई फैमिलीज़ को उजाड़ देंगे । उन पर आप रहम करें । यहां पर जो लफ्ज़ रखे हैंउन में कोई सदाकत नहीं है । इसका नतीजा यही होगा कि वह गरीब आदमी मारा-मारा फिरेगा, लि टि-गेशन में फंसेगा और उजड़ जायेगा ।

कल कोई भाई मेरे पास आये और कहने लगे कि उनके लिये स्टेशन बनवा दिया जाये । मैं ने उन से कहा कि स्टेशन की बात मत करो क्योंकि अगर स्टेशन बन जायेगा तो तुम्हारी ज़मीन जाती रहेगी और तुम बेज़मीन हो जाओगे । अगर स्टेशन बन गया तो सड़कें भी बनेंगी, नज़दीक में मंडी भी बनेगी, कारखाने भी बनेंगे और सब कुछ होगा और इस सब का नतीजा यह होगा कि तुम को

अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा, कोई और ही तुम्हारी ज़मीन ले जायगा और तुम मारे मारे फिरोगे ।

गांव के लोग भी चाहते हैं कि उन के यहां सड़कें हों, उन के लिये वही सुविधायें मुहैया की जायें जोकि दूसरों के लिये मुहैया की गई हैं, उन के पास भी उतनी ज़मीन तो कम से कम हो जिस में से वे अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन आज हो यह रहा है, कि ज़मीन पर भी सीलिंग लगा दी गई है जिस से अधिक ज़मीन रखी नहीं जा सकती है, जिस से अधिक खरीदी नहीं जा सकती है और जिन के पास उस से ज्यादा थी वह उन से छीन ली गई है। इस तरह की बातों ने बहुत गड़बड़ी पैदा कर दी है। लोगों को मार दिया गया है। आइंदा क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि एक किसान का लड़का अपने बच्चे को कालेज में भेज सकेगा या इंग्लैंड में पढ़ने के लिये भेज सकेगा। यह सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है जिस में कम्पनियों के लिये तो इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है, उस के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है और उस से उस की ज़मीन छीनी जा रही है और इन कम्पनियों को दी जा रही है। गरीब आदमियों की जबान बन्द कर के पब्लिक इंटिरेस्ट में ही हमारी ज़मीन पर आप ने सीलिंग लगा दी जिस का नतीजा यह है कि हमारे जो लड़के हैं, वे पढ़ नहीं सकते हैं, हम लोग शहरों में रह नहीं सकते हैं, हम को मजदूर बनाया जा रहा है। जो गरीब आदमी पोलटरी फार्म से या डेरी से थोड़ा बहुत कमाता है, उस की ज़मीन इस बहाने पर ली जायगी कि इस से कंट्री का डिवेलेपमेंट होगा लेकिन अगर कंट्री का डिवेलेपमेंट होना है तो यह क्या केवल हमारी कास्ट पर होना है। यह हमारी कास्ट पर नहीं होना चाहिये। ज़मीन से हम को डिप्राइव कर के कंट्री फ्लरिश हो यह हमें मंजूर नहीं है। गोल्डस्मिथ ने जो कहा है, वह मैं दोहराता हूं, पैज़ेंटरी वंस डैसट्रायड कैन नेवर बी रेस्टोडर्ड। अगर आप ने ऐसा किया तो न आप को मिलिट्री के लिये जवान काम करने के लिये मिल सकेंगे, न पुलिस के लिये आदमी मिल सकेंगे और जो गरीब आदमी हैं वे गलियों में पड़े रहेंगे, मज़दूरी करने पर उन को मजबूर होना पड़ेगा। आप ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इस को सीधे ज़मीन खरीदने क्यों नहीं देते हैं, आप क्यों बीच में पड़ते हैं, सीधे आप इन को सौदा करने दो। क्या ये ज़मीन की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो आप इन के लिये क्यों एक्वायर करते हैं। अब तक टाटा, बिड़ला आदि ने जो ज़मीन खरीदी है, जो कारखाने चलाये हैं इन सब के लिये क्या गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर कर के दी है ? अगर नहीं दी है तो अब क्यों इस तरह की ज़रूरत आप को महसूस हो रही है। क्यों आप उन के लिये ये सब काम करते हैं, उस व्यक्ति की कीमत पर जिस का लड़का काश्मीर में सेवा कर रहा है, उस की भमि अर्जित कर ली गई है।

इन हालात में मैं निहायत अदब से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इन लोगों की रक्षा करे और हिन्दुस्तान में रेवोल्यशन की सूरत पैदा होने की नौबत न आने दे। ऐसी सूरत आप को यहां नहीं पैदा करनी चाहिये जिस से ब्लड रेवोल्यूशन हो जाये। आज देहातों के अन्दर लोग भी पढ़ लिख रहे हैं और उन में भी जागृति पैदा हो रही है। अगर आप ने यह चीज़ की तो लोग भूखों मरने शुरू हो जायेंगे और तब क्या हालत होगी इस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वास्ते आप उन के जज़बात से न खेलें और अगर आप खेलें तो यह जो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है यह एक तरफ होगी और सारी कंट्री में रेवोल्यशन हो जायगा और उसे आप रोक नहीं सकेंगे। मेहरबानी कर के लफ्ज़ों से आप न खेलो, यह जो पब्लिक इंटिरेस्ट है इस से आप न खेलो, गरीब की ज़ात से न खेलो। यदि आप ने ऐसा किया तो जो गरीब है, वह पिस जायगा और आप का यह जो सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा है, यह धरा का धरा रह जायगा। इस वास्ते वक्त पर ही आप सम्भल जायें और इन गरीबों के लिये भी कुछ करें, इन को इन की ज़मीनों से बेदखल न करें।

श्री ह० च० सोय (सिंहभम) : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : कितना वक्त यह चलेगा । बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी को केवल पांच मिनट ही अभी तक मिल पाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि स्वतंत्र पार्टी को इतना ही समय मिला है ।

श्री त्यागी : हाउस जितना इस में इंटिरेस्ट ले रहा है, उस को देखते हुए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीयसदस्य बहुत मुख्तसिर बोलें । पांच-पांच मिनट में वे अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री ह० चसोय : यह बात ठीक है कि इस कानून को हमें बनाना होगा और जो मूल कानून है, उसमें तबदीली करनी होगी । मगर हमारे सामने सवाल यह है कि आखिर पब्लिक परपज़ है क्या ? जैसाकि माननीय त्यागी जी ने अभी कहा कि यह जो कानून बनाया जा रहा है, इससे जो बड़े लोग हैं उनको ही लाभ होगा, उनको ही फायदा होगा और जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं, उद्योग करते हैं, उद्योग चाहते हैं, उनको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । यह अच्छी बात नहीं है । जो कुछ त्यागी जी ने कहा है, मैं उसको स्पोर्ट करता हूं ।

जो मूल कानून है वह उस ज़माने में बना था जबकि हम ने यह सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होंगे और इतने अधिक पैमाने पर हमको जमीन की जरूरत होगी । हमने जो बड़ी-बड़ी विकास योजनायें चला रखी हैं, और जिन स्थानों पर चला रखी हैं, वहां पर हजारों फैयमलीज़ हैं जिनको हटाया जा रहा है या जिनको हटा दिया गया है । हमारे अपने इलाके में, बिहार में दामोदरवैली है, हटिया (रांची) है और एक माननीय सदस्य सदस्या ने गुआ का नाम लिया है । वहां से बहुत ही बड़े पैमाने पर जमीन से लोगों को हटाया गया है और हटाया जा भी रहा है । सवाल पैदा होता है कि उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए । उनको रिहैबिलिटेट करने की कोई व्यवस्था इस कानून में हो, ऐसा नज़र नहीं आता है । ज़रूरत इस बात की है कि उनके पुनर्वास की कोई उचित व्यवस्था की जाए । इसमें यह कह दिया गया है कि मार्किट वैल्यू में १५ परसेंट जोड़ करके उनको दे दिया जाएगा । जिन लोगों के लिए हम जमीन लेंगे, अगर सोचा जाए तो तो वे सैकड़ों गुना मुनाफा उससे कमायेंगे क्योंकि ये ज़मीनें बड़ी कम्पनियों के लिये ही ली जायंगी । जब ज़मीन हम लोगों से ले लेते हैं तो खाली पन्द्रह परसेंट मार्किट वैल्यू से अधिक हम उनको देते हैं । अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बीस पच्चीस साल बाद उस ज़मीन की कीमत कितने ही गुना बढ़ जायेगी । ऐसी सूरत में पन्द्रह परसेंट अधिक देने के बजाय अगर आप पन्द्रह बीस साल बाद जो उसकी मार्किट वैल्यू होगी, उसके हिसाब से मुआवज़ा दें, तब तो बात कुछ समझ में आ सकती है । इस तरह से मैं समझता हूं कि यह जो पन्द्रह परसेंट की बात इसमें रखी गई है यह बिल्कुल गलत है और इसको बदलना चाहिये । उचित कम्पेन्सेशन देने का प्रबन्ध आपकी तरफ से किया जाना चाहिये ।

साथ ही साथ आपको यह भी सोचना चाहिये कि उनका रिहैबिलिटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है । जो ढेबर कमीशन बैठा था, उसने एक सैम्पल बताया है । उसने बताया है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए कितनी फैमिलीज़ को वेज़मीन किया गया है और कितनी कम्पेंसेशन उनको दी गई है और इस मामले में हम कितनी दूर गए हैं । उसने कहा है कि मैथोन डैम में करीब तीन हज़ार फैमिलीज़ को हटाया गया और उनमें से हम केवल ४६४ को ही बसा सके हैं । मयूराक्षी डैम में २९०० फैयमलीज़ को हटाया गया और उनमें से केवल एक सौ फैमिलीज़

को मुश्किल से बसाया जा सका है । यही हालत हीराकुड डैम के बारे में तथा दूसरी योजनाओं के बारे में है । सवाल यह पैदा होता है कि एक दफा तो हम उनको पैसा दे देते हैं, मार्किट वैल्यू के हिसाब से मगर उसके बाद हम उनकी कोई सुध नहीं लेते हैं, पैसा ले चुकने के बाद उनकी क्या हालत होती है, इसका हमें कुछ पता नहीं होता है । जिन लोगों की जमीन ले ली जाती है, उनमें कोई स्किल तो होती नहीं है, काम तो कोई वे जानते नहीं हैं जिससे उनको कारखानों में नौकरी मिल सके, और उनको वेकार रहना पड़ता है । जमीन से तो वे हाथ धो ही बैठते हैं, उनका पैसा भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है । नतीजा यह होता है कि हजारों की संख्या में वे बेजमीन के मजदूर हो जाते हैं और एक औद्योगिक केन्द्र से दूसरे औद्योगिक केन्द्र में चलते जाते हैं । इस बात का हम लोगों को बड़ा तीखा अनुभव है । रूरकेला में जिन लोगों की जमीन ली गई उन लोगों को और जगह उचित तरीके से बसाने के बजाय, उन्हें काम पर लगाने के बजाय, बीस मील दूर हटा दिया गया है और उनको रूरकेला में काम नहीं मिला । कुछ दिनों तक वे रूरकेला में अनस्किल्ड मजदूर का काम करते हैं और जब वहां पर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है तो वे हटिया में चले जाते हैं । नतीजा यह होता है कि जब जमीन ले ली जाती है तब वे बेजमीन मजदूर अन्धड़ की तरह से यहां से वहां हटते रहते हैं और उनकी तबाही होती है ।

इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि कम्पेन्सेशन के मामले में हम यह न सोचें कि आज मार्केट वैल्यू क्या है बल्कि यह सोचना चाहिये कि पन्द्रह या बीस वर्षों बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी । लोगों को कम्पेन्सेशन देने के मामल में यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जिस उद्योग के लिये जमीन ली जाती है किसी की, उसमें ही उसको काम मिले और उसके रहने की व्यवस्था भी वही पर होनी चाहिये । और उस उद्योग या प्रोजैक्ट के कुल खर्च में ही एक हिस्सा इनके फिर से बसाने का खर्च अनिवार्य शामिल हो । ढेबर कमीशन की भी यही सिफारिश थी ।

†**श्री गजराज सिंह** (गुड़गांव) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान और कानून के समस्त निर्वचनों के विरुद्ध है । यदि इसे पारित कर भी दिया जाय और हाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को शून्य कर दिया जाये तब भी उसके बारे में अन्य आधारों पर आपत्ति की जा सकेगी । मेरा निवेदन है कि 'सार्वजनिक प्रयोजन' तो भली प्रकार समझ में आने वाली धारणा है परन्तु सामान्य जनता के हित में शब्दों के विभिन्न अर्थ लगाये जा सकेंगे । छोटे छोटे मालिक मुकदमेबाजी का खर्च नहीं सहन कर सकते ।

†**श्री कृ० ल० मौरे** (हतंकगले) : मैंने अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत किया है । सहकारी संस्थाओं की स्थिति स्पष्ट करने के लिये । मेरा निवेदन यह है कि सहकारी समितियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये विधेयक में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है । मेरा यह भी मत है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के लिये सरकार की आलोचना की है उन्होंने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । स्थिति उतनी खराब नहीं जितनी कि बताई जा रही है । जो समवाय भूमि अर्जित करेगी उनको मुआवजा तो देना ही होगा । मुआवजा तथा अन्य शर्तों के मामले सरकार की स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं आता है । उच्चतम न्यायालय ने स्थिनि बड़ी साफ कर दी है । सहकारी संस्थाओं के बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, अतः मैं अपने संशोधन पर अधिक बल नहीं देता ।

†**श्री राम रतन गुप्त** : खेद है कि इस विधेयक के बारे में सरकार की स्थिति को बड़ा गलत समझा गया है । कुछ माननीय सदस्यों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इस विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रामरतन गुप्त]

की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के एक मामले के कारण उत्पन्न हुई। वहां इस बारे में जो अधिनियम लागू है उसमें से किसी के अन्तर्गत भी कोई कृषि भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये अर्जित नहीं की जा सकती है। भूमिदारी की भूमि भी कृषि के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य के लिये बेची नहीं जा सकती। ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। जिस क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है वहां केवल चार दिन पूर्व २०० रुपये प्रति बीघा भूमि अर्जित हो जाती थी। अतः मेरा निवेदन है कि भूमि अर्जन के मामले में विभिन्न सरकारों की कठिनाइयों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

गन्दी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में भी भूमि अर्जित करने में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। मुख्य अधिनियम के उपबन्धों के कारण कार्यवाही करने में भी देर हो गयी। यह संशोधन आवश्यक है क्योंकि भूमि के अर्जन में कठिनाइयां होने के कारण देश के औद्योगिक विकास में बहुत रुकावट पैदा हो रही है। यह कहना गलत होगा कि उन उद्योगों के लिये भूमि का अर्जन लोकहित में नहीं है जिनके लिये सरकार ने व्यापक छानबीन करके लाइसेंस जारी किये हैं। अतः किस प्रकार का परिवर्तन ठीक नहीं समझा जायेगा।

श्री **यशपाल सिंह** (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने जब इस बिल पर ४, ५ दिन का समय मांगा था उस वक्त हमें पता नहीं था लेकिन आज उसको पढ़ने के बाद पता लगा कि इस मनहूस बिल की शक्ल के ऊपर गाजा और पाउडर मलने के लिए यह ४, ५ दिन का समय उन्होंने मांगा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि वह गाजा और पाउडर रुह नहीं सका और श्री त्यागी जैसे स्पष्ट वक्ताओं ने उसकी असल सूरत को खोल कर दिखला दिया है। इसे पढ़ने के बाद पता लगा है :—

> "कि यह भूमि इसलिए अर्जित की जा रही है जिस पर जनहित के लिए स्थापित एक उद्योग के लिये इमारत बनाना है।"

जहां तक स्कूलों और कालिजों का ताल्लुक है जहां तक एजूकेशन का ताल्लुक है उनके लिए तो हम जितनी भी जमीन चाहिए वह देने के वास्ते तैयार हैं। मेरी कांस्टीटुएंसी यहां से सिर्फ ५० मील है। मेरे साथ माननीय खाद्य मंत्री महोदय चलें मैं एक हजार एकड़ जमीन स्कूल और कालिजों के लिये मुफ्त दिलवाता हूं बगैर किसी रुकावट के दिलवाता हूं लेकिन स्कूल और कालिजों के नाम से, सरमायेदार, जो कि आदमखोर है, उसको पनपने का मौका देना और पैरासाइट ग्रोथ को आगे बढ़ने का मौका देना हमारे कांस्टीट्यूशन के साथ विद्रोह करना है। हम यहां एक जनतन्त्र के मन्दिर में बैठे हुए हैं। जिन ८५ फीसदी किसानों के वोट लेकर हम यहां आये हैं उन ८५ फीसदी किसानों को सिर्फ १५०० खानदानों के हाथ में खेलने के लिये उन १५०० सरमायेदारों के सामने इस तरह से डाल दिया गया है जैसे कि शेर के सामने बकरी को डाल दिया जाता है। यह बिल किसान को इस तरह से डालने के लिये लाया गया है।

अगर अस्पतालों की बात हो, अगर पब्लिक के फायदे की बात हो, स्कूलों और गुरुकुलों की बात हो तो जमीन की कोई कमी नहीं है। आज भी चलिए हम आपको हजारों एकड़ जमीन दिलवाने के लिये तैयार हैं लेकिन सरमायेदारों के ऐंड्स को सर्व करने के लिये इस तरीके से जो यह बिल लाया गया है हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। विरोधी दल के सदस्यो की बात तो रहने दीजिये, आप स्वयं अपनी पार्टी के मेम्बर्स को फ्रीडम औफ वोट दे दीजिये तो आप देखेंगे कि वह स्वयं आप के इस बिल के खिलाफ वोट देंगे। वे इस के हक में

वोट नहीं देंगे । पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर आप यह चाहते हैं कि ८५ फी सदी जनता का गला घोंटा जाय तो यह चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है । आप अपने इस बहुमत को इसलिए इस्तेमाल न कीजिये कि उससे ८५ फी सदी जनता को जिबह किया जाय बल्कि बहुमत को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिये । इसके अलावा हर जगह बहुमत चलता भी नहीं है । हम आप जानते हैं कि आप सिग्रेट पीने वालों की तादाद ज्यादा है, हुक्का पीने वालों की तादाद ज्यादा है, कालिजों और युनिवर्सिटीज से पास होने वालों में थर्ड डिवीजनर्स की तादाद ज्यादा है लेकिन उन थर्ड डिवीजनर्स को एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं सौंपा जा सकता है । वहां के लिये तो वहां पांच फी सदी नव-युवक लेने पड़ेंगे जोकि फर्स्ट पास हुए हैं । यह खेद का विषय है कि आज इस बिल द्वारा संख्यासुर के अधार पर ८५ फी सदी जनता का गला घोंटा जा रहा है यह बिल किसानों के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए और उनको मिटाने के लिए लाया जाता है

मैं एक छोटा सा किसान हूं । मैं एग्रीकल्चरल परपज के लिए जब गेहूं को पानी ट्यूब वैल से देता हूं, जब मैं गन्ने को पानी देता हूं तो मुझ से सरकार १८ नये पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज करती हैं । चने, गेहूं और सब्जी वगैरह को जो हम पानी देते हैं उसके लिए हम से सरकार १८ नये पैसे प्रति यूनिट चार्ज करती है लेकिन उसके विपरीत बिड़ला साहब को रिहैंड डैम की जो बिजली दी गई है वह सिर्फ ३ नये पैसे पर यूनिट दी गई हैं अब बिड़ला साहब जो कि सब से बड़े सरमायेदार हैं उनसे तो एक यूनिट के लिए ३ नये पैसे लिये जाते हैं लेकिन किसान का बेटा एक यूनिट के लिए १८ नये पैसे देता है। हमारे साथ सरकार द्वारा सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता हैं । आपने अगर बहुमत और संख्यासुर के आधार पर इस बिल को यहां से पास भी कर दिया तो भी भारत की ८५ फी सदी जनता इसे हरगिज मानने के लिये तैयार नहीं होगी ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी तरफ ध्यान दें ।

श्री यशपाल सिंह : बड़ी कृपा है । आपके दीदार का मौका मिले, इससे बढ़ कर मेरे लिये और क्या खुशनसीबी हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आपका ध्यान मेरी ओर न हो कर उधर रहता है इसलिए आप ज्यादा जोश में आ जाते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : "दिल मेरा मसरूर है दीदारे अक़दस से जनाव"

ला के माने ये हैं :

"विधि का अर्थ दूसरे शब्दों में लोगों की इच्छा है "

अगर यहां पर जनता के नुमायंदे बैठे हुए हैं, तो सत्तारूढ़ दल को फ्रीडम आफ़ वोट दी जाये । वे लोग इस बिल के ख़िलाफ़ वोट देंगे ।

अभी का, कल का ही केस है कि इकबालपुर मिल का मालिक एक छोटे से मजदूर की दुकान छीनना चाहता है । मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी में भी गया और मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि एक मजदूर को, जिसके पास सिर्फ़ चार अंगुल भूमि है, एक करोड़पति मिल मालिक हटाना चाहता है । कलेक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया कि यह तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में करना पड़ेगा । करोड़पति का इन्ट्रेस्ट तो पब्लिक का इन्ट्रेस्ट है, लेकिन एक मजदूर का इन्ट्रेस्ट पब्लिक का इन्ट्रेस्ट नहीं है । ये ज्यादतियां और जुल्म इस वक्त बर्दाश्त नहीं किये जा सकते ।

हम जनतंत्र के मन्दिर में बैठे हुए हैं । हम कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे, जो इस मन्दिर के ख़िलाफ़ हो, हमारे कांस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हो, हमारी इस अज़मत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हमारे कांस्टी-

[श्री यशपाल सिंह]

ट्यूशन की इज्ज़त, हमारे स्पीकर साहब की इज्ज़त हमारी इज्ज़त है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतना मनहूस बिल आज से पहले इस फ्लौर पर नहीं आया है। अगर किसी किसान की आत्मा यहां पर बैठी हुई होती, अगर स्वर्गीय सरदार पटेल यहां पर बैठे हुए होते, तो यह बिल हरगिज़ नहीं लाया जा सकता था। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मनहूस बिल को वापस लिया जाये।

हम लोगों के साथ——खेती करने वालों के साथ, एग्रीकल्चरिस्ट क्लास के साथ——आज सौतेली मां का सलूक होता है। मैं अपने कम्यूनिस्ट भाइयों से भी कहूंगा कि वे मेरे मुताल्लिक यह ख़याल न करें कि मैं कोई बड़ा ज़मींदार हूं। मैं एक बहुत मामूली सा ज़मींदार हूं, बीस एकड़ का काश्तकार हूं। रामगढ़ साहब ने, जो कि बिहार में लीडर हैं, अपनी बीस हज़ार एकड़ जमीन मुफ्त तकसीम की है। मेरे पास जो बीस एकड़ जमीन है, मैं उसको मुफ्त देने के लिए तैयार हूं। कम्यूनिस्ट भाई यह ख़याल हरगिज़ न करें कि वे कुछ ज्यादा त्याग कर सकते हैं। हम उनसे ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी दरख़्वास्त यह है कि जब किसान पर कुल्हाडी चलेगी, तो हम और कम्यूनिस्ट एक लाइन में खड़े होंगे। "वयम् पंचाधिकम् शतम्"——उस वक्त हम एक सौ पांच होंगे।

आज हर जगह एग्रीकल्चरिस्ट को ज़िबह करने की कोशिश की जाती है। सरकार ने मिलिटरी में यह रूल बना रखा है कि जब हमारा लड़का, राजपूत, सिख या जाट का लड़का, फ़ौज में भरती होने के लिए, रेक्रूटमेंट के लिए, जाता है तो कहा जाता है कि उसका कद पांच फीट छः इंच होना चाहिए, लेकिन जब ग़ैर-सिख, ग़ैर-राजपूत और ग़ैर-जाट का लड़का जाता है, तो पांच फ़ीट चार इंच कद होने पर भी लिया जाता है। हमारे लिए यह कानून है कि हमारा लड़का पांच फीट छः इंच होने पर ही लिया जाये, जब कि ग़ैर-काश्तकार के लिए यह रूल है कि उसका लड़का पांच फ़ीट चार इंच होने पर ले लिया जाये। हम कहते हैं कि जब हमारा करना-खाना छीना गया, हमारी ज़मीनें छीनी गईं, हमने अपने सामने खड़े करके अपने घोड़ों को गोली मारी, हमारे लड़के अब पांच फ़ीट छः इंच तक नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमको ईक्वल स्टेटस पर लाया जाये और बहुमत से हमारा गला न घोंटा जाये।

मैंने अपने इकबालपुर के केस का जिक्र किया। वहां पर मज़दूर की झोंपड़ी छीनी जा रही है, सिर्फ़ इसलिए कि इकबालपुर के मिल के मालिक की, जो कि करोड़पति हैं, इच्छा पूरी हो जाए। हमारा कहना यह है कि "होल्ली एंड पार्टली" अलफ़ाज़ को निकाला जाये। एक रुपया देकर सरमायादार या गवर्नमेंट का कोई नुमायंदा उसमें हिस्सेदार हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस सदन की स्पिरिट को समझा जाये, जनता की स्पिरिट को समझा जाये और बहुमत के चक्कर में न आकर इस बिल के ऊपर ग़ौर किया जाये। जो आदमी करोड़पति है, वह कहीं जाकर ज़मीन खरीद सकता है। वह करोड़ों रुपये ख़र्च कर सकता है। लेकिन कानून के ज़ोर से ८५ फी सदी जनता का गला घोटने की कोशिश करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अदल और इन्साफ का यह नमूना रहा है कि एक बार नौशीरवां बादशाह का महल बन रहा था। महल बनते बनते बीच में एक बुढ़िया का छोटा सा झोंपड़ा आ गया। उस बुढ़िया को कहा गया कि यह झोंपड़ा हटा लो। उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं, यह झोंपड़ा मुझे महल से ज्यादा प्यारा है। इस पर नौशीरवां बादशाह ने कहा कि लाख लो, दस लाख लो, करोड़ लो। बुढ़िया ने मना कर दिया और कहा कि मेरे अस्तित्व का सवाल है। नौशीरवां बादशाह ने यह हुक्म दिया कि महल को टेढ़ा कर लिया जाये, लेकिन बुढ़िया के दिल को तकलीफ़ न पहुंचे।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बुढ़िया के लिए नौशीरवां बादशाह ने कांस्टीट्यूशन बनाया था, लेकिन यहां पर ८५ फी सदी जनता का गला घोंटा जा रहा है और फिर यह कहा जाता है कि मज़दूरों का राज है, किसानों का राज है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सरकार की तरफ़ से जनता की स्पिरिट को समझा जाये और उसके मुताल्लिक इस बिल को वापिस लिया जाये। अगर मंत्री महोदय इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो इस देश की ८५ फी सदी जनता उन को माफ़ करने वाली नहीं है।

श्री पालीवाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, बहुत कम अवसर ऐसे आए होंगे, जब इस सदन के दोनों ओर के सदस्यों में किसी विषय पर इतना मतैक्य रहा हो, जितना कि इस विधेयक के बारे में है। आज सदन में इस विधेयक के बारे में गहरे असन्तोष की भावना है। इस विधेयक का जो मेन क्लाज़ २ है, उस पर पहले दिन भी सदन के सभी ओर से बड़ा असन्तोष प्रकट किया गया था और मंत्री महोदय ने उसको अनुभव कर के कुछ समय चाहा था कि वह सदस्यों से बातचीत करके उनकी भावना को समझ कर ऐसा परिवर्तन कर लें, जो सदन को आम तौर से स्वीकार्य हो। मुझे खेद है कि उस बातचीत के पश्चात् जो नतीजा आया, जो फल आया वह आरिजिनल अमेंडमेंट से, आरिजिनल क्लाज़ से, ज्यादा खराब आया। अगर आप उस क्लाज़ की पंक्तियों को देखें, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि वह प्राविज़न जितना पहले अनिश्चित था, अब उससे अधिक अनिश्चित हो गया है, उससे जितनी ख़राबियां पहले हो सकती थीं, अब उससे कहीं अधिक ख़राबियां हो सकती हैं। पहली शब्दावली यह है : कि इस प्रकार के अर्जन की इसलिये आवश्यकता है कि वहां जनहित के लिये बनाये जाने वाले उद्योग के लिए इमारत बनाने की आवश्यकता है। इस में कुछ तो कन्क्रीट बात है और कुछ निश्चितता इसमें आती है। इस के बाद ये शब्द हैं :

अथवा इससे देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की सम्भावना है लेकिन सरकार की ओर से अब जो शब्दावली आई है, वह इस प्रकार है : कि इस प्रकार के अर्जन की इसलिए आवश्यकता है कि वहां जनहित के लिए कोई समवाय एक उद्योग की स्थापना के लिए इमारत बनाना चाहता है। सामान्य हित में यह बड़ा व्यापक शब्द है। "इन दि इन्ट्रेस्ट्स आफ़ दि जनरल पब्लिक", इट इज़ ए वेरी वाइड टर्म। इसकी टर्म्ज़ इतनी वाइड हैं कि अगर कास्मेटिक्स का प्राडक्शन करने वाली कोई फ़क्ट्री भी एक्वीज़ीशन चाहे, तो वह भी इसमें आ सकती है, क्योंकि कास्मेटिक्स का प्रोडक्शन भी जनरल पब्लिक के इन्ट्रेस्ट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि पब्लिक का एक बहुत बड़ा सेक्शन उसको यूज़ करता है और उसके प्रोडक्शन के बाहर जाने वाली मुद्रा की बचत हो सकती है। इस माने में कई चीजें आ सकती हैं।

लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये चार पांच दिन लगा कर मामले को कोई इम्प्रूव नहीं किया गया, बल्कि उसको और ज्यादा उलझन में डाल दिया गया है। मेरे मित्र, श्री त्यागी, और मैंने सम्मिलित रूप से एक संशोधन दिया है।

मंत्री महोदय ने मोशन रखते वक्त यह उद्देश्य बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले से न केवल प्राइवेट कम्पनियों का ही मामला अनिश्चित रूप में आ गया है, बल्कि गवर्नमेंट की पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ के लिए भी बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है, इसलिए उस स्थिति का निराकरण करने के लिए यह बिल लाया गया है। हम दोनों ने जो संशोधन दिया है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्ज़, कार्पोरेशन्ज़ और पब्लिक कम्पनीज़ को, जिनमें अधिकांश भाग गवर्नमेंट का हो, स्वीकार कर लिया जाये। अगर मंत्री महोदय की अब भी यही पोज़ीशन है, तो मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने में उनको क्या एतराज़ हो सकता हैं।

लेकिन मैं एक कदम आगे जाता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विरोधी बैंचों की ओर से जो एक संशोधन आया है, जिसको श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री बनर्जी ने रखा है, वह,

[श्री पालीवाल]

मेरे ख़याल से हमारे इस संशोधन की तुलना में हमको,और मेरा ख़याल है कि सारे सदन को, अधिक ग्राह्य हो सकता है ।

श्री त्यागी : कभी कम्यूनिस्टों की ही बात मान ली जाये ।

श्री पालीवाल : जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, बहुत कम अवसर आते हैं, जब कि इस सदन में किसी विषय पर इतना अधिक मतैक्य हो । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कम्यूनिस्ट सदस्य, स्वतंत्र पार्टी के सदस्य—मेरा ख़याल है कि माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, स्वतंत्र पार्टी को बिलांग करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है,—और वह है भी—कि वह एक राइटिस्ट पार्टी है,—....

श्री यशपाल सिंह : हमारी राइट पार्टी है ।

श्री पालीवाल : .... और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सदस्य, अर्थात् इस सदन के चारों ओर बठने वाले सदस्य इस विधेयक से बहुत असन्तुष्ट हैं । मैं अपने दल के सदस्यों के बारे में कहना चाहता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा बहुमत इस विधेयक से बहुत असन्तुष्ट है । इसकी बड़ी चिन्ता है कि इसके परिणाम खास तौर से किसानों के लिए बड़े घातक होने वाले हैं । जो तर्क अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए जा चुके हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई लाभ तो नहीं बल्कि इसका परिणाम बड़ा घातक होगा खास तौर से किसानों के लिए । यह कहा गया है कि किसान से तो जमीन दूसरे लोग ले लेते हैं और फिर वे उस ज़मीन को ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, इसलिए किसान का जो नाम लिया जाता है, वह वसे ही लिया जाता है । असल में किसान को न तो इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है और न ही हानि होने वाली है । मेरा निवेदन यह है कि क्या गवर्नमेंट इस पोज़ीशन को स्वीकार करने के लिए तयार है कि जो संशोधन हम कर रहे हैं, उसमें यह निश्चित कर दिया जाए कि किसान से किसान की भूमि नहीं ली जाएगी । जहां तक मिडिलमैन का सम्बन्ध हैं, स्पेकुलेटर्ज़ का सम्बन्ध है, उनसे हमारी कोई हमदर्दी नहीं हैं । लेकिन इस चीज़ को जहां तक किसान का सम्बन्ध है, स्पष्ट कर दिया जाए कि उसकी ज़मीन नहीं ली जाएगी । अगर ऐसा कर दिया जाए तो मेरा खयाल हैं कि इस सदन का बहुमत इसके हक में हो सकता है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दुबारा इस कानून में संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है । यदि यह सच है तो अध्यक्ष महोदय मुझे कोई कारण मालम नहीं होता है कि इस बिल को क्यों रश थ्रू किया जा रहा है, क्यों इसमें जल्दबाज़ी दिखाई जा रही है । अभी जो माननीय राम रतन जी ने कहा है उससे ऐसा लगता है कि सचमुच इस सारे एक्ट में कोई बहुत बड़ी खामी है क्योंकि एक ओर उन्होंने बताया है कि जब वह कानपुर के मेयर थे तब स्लम क्लीयरेंस के लिए जब जमीन एक्वायर करने की बात हुई जो कि निश्चित रूप से पब्लिक परपज़ हो सकता है, उसके लिए तो कई साल लग गए, एक्वायर नहीं हो सकी और दूसरी ओर यहां पर जो एक केस इन प्वाइंट है, उस केस में ज़मीन एक्वायर करने में उतनी देरी नहीं लगी, उतना समय नहीं लगा । इस वास्ते मैं समझता हूं कि अवश्य इसमें कोई गम्भीर भूल हुई है ।

इस कानून में इतनी भारी खामियां हैं, इतनी ज्यादा कमियां हैं कि सब के सब एक्ट को संशोधन करने की आवश्यकता है और इस तरह से इस बिल को इस हाउस में रश थ्रू नहीं करना चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार के सामने जो बहुत ज्यादा आनरेबल तरीका हो सकता है वह यह है कि वह इस विधेयक को वापिस ले करके सारे एक्ट को संशोधित करें, एक कम्प्रिहैंसिव बिल हमारे सामने लाये । जो सदन की भावना है, उसको हमें पहचानना चाहिये ।

सदन के किसी सैक्शन से भी यह आवाज नहीं आई है कि देश की प्रगति को रोक दिया जाए, देश के औद्योगिक विकास को रोक दिया जाए या वह रुक जाए । हम सब यही चाहत हैं कि देश को उभारा जाए देश को आगे बढ़ाया जाए । लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि उस प्रगति की कीमत केवल गरीब आदमी को चुकाने के लिए मजबूर न किया जाए । जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जो बड़ा धन, बड़ा रुपया, बड़ा मुनाफा कमाने वाला है, उसको अगर मार्किट रेट से, जिससे वह जमीन लेता है, कुछ ज्यादा भी देना पड़ जाता है गरीब आदमी को तो कोई बहुत भारी अनर्थ नहीं होन वाला है । जो उद्योगपति हैं, व तो फ्री एंटरप्राइज़ को स्पोर्ट करने वाले लोग हैं । क्या कारण है कि वे इसमें गवर्नमेंट का दखल चाहते हैं ? क्यों नहीं वे ज़मीन एक्वायर करने की फ्रीडम चाहते, यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । यह जो नई पोजीशन गवर्नमेंट ने ली है, उसमें शायद यह कहा जाएगा कि इस में सेफगार्ड रख दिए गए हैं । इसमें कह दिया गया है कि प्राइवेट कम्पनीज़ एलिमिनेटिड होंगी । इसमें कहा गया है :—

कि किसी गैर सरकारी समवाय के लिए भूमि अर्जित नहीं की जायेगी ।

ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट कम्पनी एज़ डिस्टिगुंइश्ड फ्राम दी गवर्नमेंट कम्पनी के बारे में यह है । अब गवर्नमेंट कम्पनी की कोई परिभाषा ही नहीं है कम्पनीज़ एक्ट में, इसलिए यह इस तरह से हुआ गैर सरकारी समवाय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मुकाबले में दूसरी बात एक और है । ओरिजनल एक्ट के सैक्शन ३८ में यह प्रोवाइड किया गया है पार्ट ७ की कार्रवाई के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो सौ या सौ से अधिक मजदूरों को एम्प्लाय करता है, वह भी कम्पनी माना जाएगा । इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवट कम्पनियों को तो इसका लाभ नहीं मिलेगा लेकिन पब्लिक लिमिटिड कम्पनीज़ जो हैं प्राइवेट ओनर्ज़ की, उनको लाभ मिलेगा, हर वह इंडिविजुअल जो सौ से ज्यादा मजदूरों को एम्पलाय करता है, उसको इसका लाभ मिलेगा । केवल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज़ को ही नहीं मिलेगा । मैं कोई इसमें हर्ज नहीं पाता हूं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी वाले हैं वे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने कंसर्न के या पार्टनरशिप की कैपेसेटी में अपने कंसर्न के नाम से लैंड ले लें और अपना काम चला लें । इस तरह से काम चल जाएगा । जो लाभ हम देना चाहते हैं वह जरूर उनको मिल जाएगा ।

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फ़र नगर) : भूमि अर्जन अधिनियम के धारा ४० की उपधारा (१) का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है । इसमें यह सम्मिलित नहीं कि देश के आर्थिक विकास अथवा किसी औद्योगिक निकाय के लिए भूमि अर्जन की जाये । उद्देश्य तो केवल यह था कि काम करने वालों के लिए अच्छी दशा पैदा की जाये । दूसरा उच्चतम न्यायालय की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय महिला सदस्य की आवाज बड़े जोर से आ रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, मैं देख रहा हूं कि माननीय संसद कार्य मंत्री महिला सदस्य को न बोलने के लिये प्रेरित कर रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : वह मुझे प्रेरित नहीं कर रहे मैं ही उन्हें प्रेरित कर रही हूं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : हम दोनों में से कोई किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है ।

†**श्री सुमत प्रसाद** : मेरा निवेदन यह है कि नये संशोधन का क्षेत्र विधेयक के मल खंड से भी कहीं अधिक व्यापक है । दो परिमाप रखे गये हैं । एक यह कि ऐसे उद्योगों के लिए भमि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुमत प्रशाद]

अर्जित की जायेगी जो कि राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक होंगे । और दूसरा यह कि इससे देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । बात स्पष्ट है कि आज योजना का काल चल रहा है । देश के आर्थिक विकास करना ही योजनाओं का उद्देश्य है । अतः किसी भी स्थापित किये जाने वाले उद्योग के लिए यह बड़ी सरलता से कहा जा सकता है कि यह भारत के आर्थिक विकास के लिए है । इस पर आपत्ति करना बड़ा कठिन होगा ।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

मेरा विचार है कि यदि इसकी भाषा को इस प्रकार बदल दिया जाये कि भूमि अर्जन का लाभ केवल तीसरी और चौथी योजनाओं के उन उद्योगों को मिलेगा जो देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक समझे जायें तो अधिकांश आलोचना खत्म हो जायेगी । यह अवश्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिय कि भूमि का अर्जन केवल निर्दिष्ट एवं सीमित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा । मूल संशोधन के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताये गये ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस विधेयक का सबसे अधिक प्रभाव गुजरात पर पड़ेगा । वहां बड़ी तेजी से हम कृषि भूमि को समाप्त कर कारखाने और मिलें बढ़ाते चले जा रहे हैं । वहां बड़ी बड़ी जमींदारियां और जागीरदारियां भी समाप्त हो चुकी हैं । और अब बहुत से गुजरात के लोग थोड़ी सी भमि से सामान्य लोगों का जीवन व्यतीत करते हैं ।

अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का गुजरात पर भूमि के अर्जन के कारण बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वह बड़ी तेजी से औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है । बहुत सी कृषि योग्य भूमि उद्योगिक प्रयोजनों के लिये अर्जित की जा रही है और परिणामस्वरूप खेतिहरों को बहुत नुकसान हो रहा है । सरकार की बड़े उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों की सहायता करके गरीब खेतिहरों को नुकसाम पहुंचाने की नीति बहुत खतरनाक है तथा उसे बदला जाना चाहिये । किसानों की इस लिये उपेक्षा की जा रही है कि वे संगठित नहीं हैं ।

केवल कोयाली में जो कि बड़ौदा के निकट हैं ९ गांवों को नष्ट कर दिया गया है, ३५,००० लोग बेघर हो गये हैं, १५,००० एकड़ भूमि को खराब कर दिया गया है । १ करोड़ रुपये का राजस्व और २४ लाख रुपये के भूमि राजस्व की हानि हुई है, ५०,००० फलदार वृक्ष नष्ट कर दिये गये हैं । लोगों को २५ से ३० करोड़ रुपये तक की हानि उठानी पड़ी है । यह एक उदाहरण है इस तरह की हालत लगभग सब जगह हो रही है । अच्छी कृषि भूमि फैक्टरियों और कारखानों के लिए जा रही है । बड़े बड़े नेता और भूदान कार्यकर्ता, यहां तक कि श्री ढेबर और आचार्य विनोभा भावे ने भी ऐसा न करने की सरकार को सलाह दी है । सरकार ने कुछ नहीं सुना । लोगों ने तारें दी हैं, शिष्टमंडल भेजे हैं परन्तु कुछ प्रभाव नहीं हुआ ।

इन हालात में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जहां तक गुजरात का संबंध है, सरकार को यह देखना चाहिये कि राज्य का औद्योगिक विस्तार इस प्रकार किया जाये कि कृषि योग्य भूमि उस प्रयोजन के लिये अर्जित न की जाये । सरकार को प्रस्तावित विधेयक के संबंध में सभा एवं सामान्य जनता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिये । उसे एक समेकित कानन बनाना चाहिये जो हमारी बदली हुई परिस्थितियों के उपयुक्त हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृ० च० शर्मा** (सरधना) : मैंने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है। मेरा मत यह है कि यह जो विधेयक सरकार द्वारा पेश किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के विरुद्ध है। अतः यह सम्भव है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका विरोध किया जाये। खंड ३१ के उपबन्धों के भी यह अनुरूप नहीं है।

निस्संदेह भारत जैसे देश में मुख्य उद्योगों की स्थापना के लिये भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है। परन्तु उसके लिये गैर-सरकारी उद्योगपतियों को भूमि के मालिक के साथ बातचीत करके, बाजार का मूल्य चुका कर भूमि प्राप्त करनी चाहिये। सरकार को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिये भूमि का अर्जन स्वयं उद्योगपति ही करें।

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : सभापति महोदय, मैंने अपने साथियों के साथ एक एमेंडमेंट नम्बर ९ दी है और उसमें यह सुझाव रखा है कि जहां तक लैंड एक्वायर करने का सम्बन्ध है, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनके लिए लैंड एक्वायर की जानी चाहिये। जब से यह हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है, उसके बाद से उनके लिए एक्वीजीशन नहीं होता है।

श्री दाजी : कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है।

श्री तुलसीदास जाधव : आपके यहां हो सकता होगा लेकिन महाराष्ट्र की जो पोजीशन है वहां पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इन सोसाइटीज़ के लिए भी एक्वीजीशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने एक एमेंडमेंट दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कृपा कर के उसको स्वीकार कर लें।

श्री दाजी: वह मंजूर हो जाएगा।

श्री तुलसीदास जाधव : मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना है और उन पर गौर मैंने किया है। मुझे ऐसा लगा है कि कम्पनियों के लिए जमीन एक्वायर करने की जो बात है, उसके खिलाफ आज यहां पर हवा है। यह बात सही है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कारखानेदार हैं, वे चाहें तो अपनी मन पसन्द की ज़मीन कहीं भी खरीद सकते हैं और सीधे बातचीत करके ले सकते हैं। जब वे करोड़ों और लाखों रुपये कारखाने में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ी सी ज़मीन भी वे अपने आप ले सकते हैं। मैंने देखा है कि बाजार कीमत भी आज जितनी होनी चाहिये, उतनी नहीं है। माननीय त्यागी जी ने कहा कि बाजार में जो कीमत हो उस रीति से वे ले लें। लेकिन आजकल बाजार की कीमत में भी बड़ा कठिनाई उत्पन्न हो गई है। हमारे यहां सीलिंग बिल आया जिसमें यह है कि ४८ एकड़ से ऊपर ज़मीन किसी के पास नहीं रहनी चाहिये। यह चीज़ हो जाने के बाद ज़मीन की जो कीमत है, वह भी कम हो गई है। इसका कारण यह भी है कि कोई दूसरा आदनी ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं है और जहां पर लेने की इच्छा होती है, वहां पर ज़मीन मिलती नहीं है। साथ ही जो कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं, वे ही ज़मीन को ले सकते हैं, दूसरे व्यवसाय करने वाले जमीन नहीं ले सकते हैं। ऐसी सूरत में पहले कम्पीटीशन में जैसे ज़मीन की कीमत ज्यादा होती थी, उस रीति से अब ज्यादा नहीं होती है। यह सही है कि छोटे छोटे जो खेडूत हैं, जिन के पास थोड़ी ज़मीन है वे उस पर जो काम करते हैं, उसी से अपना पेट भरते हैं और जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो कारखानेदार होते हैं, उनकी इच्छा वहीं ज़मीन लेने की होती है, जो जगहें शहर के नज़दीक होती हैं। यह भी सही है कि जब ऐसा होता है तो जो गरीब खेडूत होता है, उसको उस ज़मीन से बेदखल हो जाने के बाद, कोई काम नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास जाधव]

रहता है, उसका कोई सहारा नहीं बच रहता है । इतना ही नहीं उसके लिए अपना तथा अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है । मान लीजिये उसको सौ रुपये के हिसाब से या दुगुने के हिसाब से उसकी जमीन की कीमत दे दी जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस पर आप विचार करें। वह पैसा ज्यादा दिन तक उसके पास टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है और आखिर में जा कर उसको मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

यहां पर यह कहा गया है कि उसको उसकी जमीन की ज्यादा कीमत मिलनी चाहिये । जितनी भी स्पीचिज़ हुई हैं, उनका सार यही था । यह कहा गया है कि बाजार में जो कीमत है, वह उसको मिलनी चाहिये । लेकिन मैं तो इसके भी आगे जा कर कहता हूं कि सौ रुपये के बजाय उसको अगर दो सौ रुपया भी दे दिया जाए तो भी जो पैसा है वह गरीब के पास नहीं रहता है और थोड़े दिन के बाद उसके पास से चला जाता है, खर्च हो जाता है और उसके बाद उसको मजदूरी वगैरह करने के लिए मजबर होना पड़ता है । इस वास्ते यह जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो कीमत हो वह उसको मिलनी चाहिये, ये टिकती नहीं है, ऐसा करने से कोई बहुत ज्यादा लाभ उसको नहीं होता है । हमारे देश में कारखानेदारी बढ़नी चाहिये अगर हम दुनिया की मार्किट में कम्पीट करना चाहत हैं । इस में मैं समझता हूं कोई दो मत नहीं हो सकते हैं । अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े तो उसके लिए हम को अपना उत्पादन बढ़ाना होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखानों का विस्तार करना होगा, नए कारखाने लगाने होंगे । जब हम को अपने देश में ज्यादा से ज्यादा कारखानेदारी निकालनी है तो वह जमीन के नीचे तो हो नहीं सकती है, जमीन के ऊपर ही हो सकती है । इस वास्ते मिनिस्टर साहब को कोई ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे कारखानेदारों को जमीन हासिल करने में कोई मुश्किल पेश न आए । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि जहां कहीं भी दूसरी जगह पर ज़मीन मिलती हो, उसको उन्हें ले लेना चाहिए और कारखाना स्थापित कर लेना चाहिये । यह चीज़ हमेशा ही सम्भव नहीं होती है । पहाड़ों पर अगर जमीन फालतू पड़ी हो तो जो कारखाना वहां नहीं लग सकता है, उसको वहां कैसे लगा दिया जाए । जंगलों में भी जितनी जमीन पड़ी है, वहां पर कारखाने नहीं लगाये जा सकते हैं। कारखाना लगाने से पहले कई बातों पर सोचना विचारना पड़ता है । देखना पड़ता है कि वहां पर पानी का, बिजली का इंतजाम है या नहीं है, लोग वहां पर आ जा सकते है या नहीं, रह सकते है या नहीं । अगर देश में कारखानेदारी बढ़नी हो तो कहीं न कहीं उपयुक्त स्थान पर जमीन का इंतजाम होना ही चाहिये । बाजार भाव पर जमीन ले ली जाये, और रुपया उन को दे दिया जाय, यह आर्गुमेंट मेरे विचार में टिक नहीं सकती है । इस वास्ते कोई दूसरा ही मार्ग हम को निकालना होगा । मेरा सुझाव, इस सम्बन्ध में, यह है कि जब और कोई चारा न बच रहे तब सरकार उन के लिये जमीन एक्वायर करे । कारखानेदार ही सबसे पहले देहाती लोगों से बाजार की कीमत दे कर या उस से कुछ अधिक दे कर जमीन खरीदें । इस में कोई हर्ज की बात नहीं है । अब अगर खेड़ूत कहे कि मैं जमीन नहीं दूंगा तो क्या करना चाहिये । तब हम को गरीब आदमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा । उसी की खातिर हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की तरफ जा रहे है । एक दम हम इस को हासिल नहीं कर सकते हैं । ४५ बरस से रूस में डिक्टेटरशिप आफ दी प्रोलीटेरिएट चली आ रही है । मैं वहां पर १९५२ में गया था । वहां पर मैं ने देहातों को देखा । वहां पर अनपढ़ लोग मैं ने पाये, फटे हुए कपड़े उन के पाये । ४५ साल के बाद भी वहां ये चीजें देखने को मिलती हैं । इस का मतलब यह नहीं है कि हम अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न लाने में और भी ज्यादा वक्त लें । लेकिन वहां पर जब ४५ वर्ष में यह चीज सम्भव नहीं हुई है तो हमारे यहां यह १५ बरस में कैसे सम्भव हो सकती है । वहां पर मैं ने टूटी फूटी गाड़ियां देखीं, फटे पुराने कपड़े

पहन हुए लोगों को देखा । मैं अपने साथ उन के फोटो भी लाया हूं । वहां पर डिक्टेटरशिप में ४५ वर्ष में भी लोगों का दारिद्रय दूर नहीं हुआ है । हम भी अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न स्थापित करना चाहते है, और जितनी जल्दी हो सके करना चाहते है और मैं नहीं कहता हूं कि हमें उन से ज्यादा वक्त लेना चाहिये । जितनी जल्दी यह हो सके, इस को करना चाहिये । लेकिन जो भी काम हम करें उस को थ्योरिटिकल वे में हम नहीं कर सकते हैं, प्रेक्टिकल वे में उसे हम को करना होगा । मैं कुछ सुझाव मिनिस्टर साहब के सामन रखना चाहता हूं ।

जमीन तो कारखाने के लिये मिलनी चाहिये, इस में कोई दो रायें नहीं है । साथ ही खेडूत को जो उस की कीमत मिले, वह बाजार भाव से भी ज्यादा मिलनी चाहिये । यह भी मेरा विचार है । लेकिन अगर वह कहता है कि जमीन नहीं दूंगा तो क्या उपाय होना चाहिये । इस के लिये मेरा सुझाव है कि यह देखा जाये कि जहां तक हो सके, उससे वह जमीन न ली जाये और अगर आसपास किसी दूसरी जगह पर जमीन पड़ी हुई है और वहां पर कारखाना स्थापित हो सकता हो तो वहां पर उस को स्थापित कर दिया जाय । अगर यह सम्भव न हो तो उस जमीन को एक्वायर करने की व्यवस्था तो की ही जानी चाहिये । लेकिन इस पर अम्ल तब होना चाहिये जब कि मुसीबत में पड़ने की नौबत आ जाये और कोई कारखानेदार दूसरी जगह पर जहां जमीन अवेलेबल हो, कारखाना स्थापित करने के लिये तैयार न हो ।

आज पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों साथ-साथ चल रहे हैं । इस में दो मत नहीं है कि हम को ज्यादा गति, ज्यादा प्रोत्साहन पब्लिक सैक्टर को देना चाहिये । जहां तक पब्लिक सैक्टर का सम्बन्ध है, उस के लिये एक्वीजीशन करने के लिये हम तैयार हैं । लेकिन जहां तक प्राइवेट ओनर का सम्बन्ध है, प्राइवेट जो कारखानेदार होता है, जो प्राइवेट कैपटलिस्ट होता है, उस के पास खुद की काफी पूंजी होती है, टैक्स इवेजन भी वह करता है, देश को भी मुश्किल में वह फंसाता हूं । एसी अवस्था में उस के लिये जमीन देते समय अगर हिचकिचाहट हो जाये तो यह स्वाभाविक है । मैं तो कहता हूं कि बाकी के जो दरवाजे हैं, बाकी का जितना उस का काम है उस के लिये ठीक से कानून बना कर कैपिटलिस्ट्स के लिये जो करना है उसे करना चाहिये । लेकिन इस तरह का कोई रास्ता निकालना जिस से कि जिन लोगों को कारखाना बनाना है उन को जमीन न मिले, जितनी कीमत ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उतनी देने पर भी न मिले, यह ठीक नहीं है और इस के लिये हमको कुछ करना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि मिनिस्टर साहब को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि ऐसी जमीन लेने के लिये जो बाजार भाव हो उस के हिसाब से कीमत दी जाये और अपना कोई आफिसर अप्वाइंट कर के मिनिस्टर साहब इस की देखभाल करें कि जिस की जमीन ली जाये उस के साथ कोई अन्याय न हो । जब कीमत के बारे में ऐसा इंतजाम किया जायेगा तभी यह समस्या हल हो सकती है ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : क्या आप की ऐसी राय है कि अगर कोई प्राइवेट कम्पनी कीमत देवे तो उस को जमीन मिलनी ही चाहिये ?

श्री तुलसी दास जाधव : बगैर इस के कारखाने बनेंग कैसे ? जब आप ने मिक्स्ड एकानामी का रेजोल्यूशन पास किया है, जैसी कि सन् १९५६ के रेजोल्यूशन के अनुसार आप की पालिसी है, तब तक आप को इस को करना ही पड़ेगा । आखिर मिक्स्ड एकानामी के माने क्या है ? मैं तो कहता हूं कि मिक्स्ड एकानामी की जो पालिसी है, जो आप का इस के सम्बन्ध में रेजोल्यूशन है, उस को निकाल दीजिये और जो इंडस्ट्रीज ह, भले ही वे बेसिक हों या कोई और, उन को स्टेट चलाये, तब फिर आप चाहे जैसे कीजिये । मैं इस विचार का हूं ।

श्री त्यागी : अगर किसान खेती को बढ़ाने के लिये, आलू बोने के लिये कहे कि किसी शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बंगले की जमीन को एक्वायर कर ली जाये, तो क्या आप करा देंगे ?

श्री तुलसीदास जाधव : बात ऐसी है कि बंगले के पास कोई जमीन हो, और कोई बिल इस रीति से आ जाये तो मैं आप के साथ उसे सपोर्ट करूंगा । मैं ३०, ३५ वर्षों से देहातों में रोजाना काम करता हूं । मैं इस विचार का नहीं हूं कि खेडूत को रास्ते पर भेज दिया जाये और वह भूखा मरे। लेकिन, जैसा त्यागी जी ने कहा, अगर कारखाना बनाने के लिये कोई कारखानेदार जमीन चाहता है और उस को गवर्नमेंट से एक्विजीशन कराना चाहता है तो उस का प्रबन्ध सरकार को कराना चाहिये, मैं इस विचार का हूं। अगर किसी कारखानेदार को बम्बई शहर में मकान न मिलता हो तो वह गवर्नमेंट के पास नहीं आयेगा कि मकान को एक्विजीशन कर के सरकार उस को दे दे, वह ज्यादा भाड़ा दे कर भी मकान लेता है। लेकिन कारखाना बनाने की बात अलग है और आफिस के लिये जगह लेने की बात अलग है । कारखाना खुलने से जो बेकार लोग होते है उन्हें काम मिलता है, उत्पादन बढ़ता है । मेरा यह कहना है कि ऐसी अवस्था में अगर जमीन न मिलने से कारखाना बनना बन्द हो जाये तो यह ठीक नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि आज कल गांवों में और सारे देश में जिस तरह की हवा आप चाहते है वैसी हवा नहीं हो सकती है । हम ने इस से पहले आंकड़े सुने कि ३०० करोड़ रुपये का टैक्स इवेजन होता है । कई लोग ऐसे भी मिलते है जो कहते है कि हमारे पास पैसा भरा हुआ है, हम उसे कहां डालें, इस का मार्ग बतलाइये । हिन्दुस्तान को आजाद हुए तो अभी केवल पन्द्रह वर्ष हुए है, लेकिन मैं ने ऐसी अवस्था यहां कहीं नहीं देखी जैसी कि मैं न खुद अपनी आंखों से रूस के अन्दर देखी थी । वहां कोर्ट में मैं गया तो जो ट्रैजरर थे, जिन का ३५०० रूबल वेतन था, वह ४०,००० रूबल की चोरी कर के तिजोरी से ले गये थे और उन के ऊपर केस चल रहा था । मैं न वहां पर लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहां ४५ वर्षों से डिक्टेटरशिप है लेकिन इस तरह की चोरी होती है, इस के क्या माने हैं ? उन्हों ने मुझे बतलाया कि जब तक डेवेलपमेंट आफ दि माइन्ड और प्रोडक्शन आफ दि नेशन दोनों साइमल्टेनिअसली नहीं चलेंगे तब तक यह चीजें बन्द नहीं होंगी । अगर मान्इन्ड बढ़ गया और प्रोडक्शन कम हो गया तो भी तकलीफ होगी और प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन माइन्ड ज्यादा नहीं बढ़ा तो भी तकलीफ होगी । इसी तरह से जब तक अपने देश के अन्दर हर क्षेत्र में ऐसी हवा नहीं आयेगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा ।

यहां मैं ने बहुत सी स्पीचेज सुनीं । लेकिन इस के अन्दर से आखिर मार्ग कैसे निकाला जाये ? हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया जिस से जमीन नहीं मिलती है और गवर्नमेंट को आर्डिनेंस निकालना पड़ा । यहां पर बहुत से विद्वानों ने अपने विचार रक्खे है। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर इस में गवर्नमेंट क्या करे और क्या सुझाये। किस रीति से लोगों को बसाये यह बात अलग है। हाउस के अन्दर एक प्रकार का एजिटेशन है और बाहर भी इस बिल के ऊपर बड़ी नाराजगी है, यह बात सही है, लेकिन इस के लिये रास्ता निकाल कर आर्डिनेन्स जारी कर के बार बार हिन्दुस्तान में बेकानूनी चीज करना भी तो ठीक नहीं है। इसी लिये यह बिल यहां लाया गया है। इसके लिये कमेटी मुकर्रर करने का जो विचार था वह भी पूरा नहीं हो सका क्योंकि इस में समय ज्यादा लगता। कारखानेदारों के लिये और दूसरे लोगों के लिये इस से जो मुश्किल पैदा हुई इस के लिये यह बिल यहां रक्खा गया । मैं ने जो सुझाव दिये है उन पर विचार कर के मिनिस्ट्री को यहां पर आना चाहिये और हाउस के अन्दर और बाहर जो हवा इस सम्बन्ध में है उस को भी देख कर बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिस से जिस की जमीन हो उस को उस की पूरी कीमत मिले और उस के ऊपर किसी भी दृष्टि से अन्याय न हो। इतना ही नहीं, अगर कर सकते है तो यह भी करना चाहिये कि अगर किसी की जमीन इरिगेशन के लिये ली गई हो तो उस को दूसरी जगह पर ठीक सी जमीन मिले । महाराष्ट्र के अन्दर जो वहां की गवर्नमेंट है वह अगर किसी खेडूत की जमीन लेती है तो उस को दूसरी जगह जमीन देती है खेती के लिये, और वह उस की जमीन की कीमत के बराबर कीमत की होती है। उस के बैलों की जोड़ी की और मकान आदि सब की व्यवस्था करती है। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी कारखाने के लिये

किसी किसान की जमीन ली जाती है तो पाटिल साहब की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से उस को गारन्टी दी जानी चाहिये कि उस कारखाने में उस को मान और सम्मान के साथ रक्खा जायेगा और जिस तरह से कई वर्षों तक काम करने के बाद तीन महीने का बोनस कारखाने में काम करने वालों को दिया जाता है, उसी तरह से उसे मिलेगा। यदि कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है तो उस को २५ वर्ष के बाद पेन्शन मिलती है, उसी तरह से जिस आदमी की जमीन जाती है, जिस का पेट भरने का साधन चला जाता है, उस के लिये भी कुछ न कुछ इन्तजाम होना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली): सभापति महोदय, अभी जिन हमारे माननीय मित्र ने काश्तकारों का केस लीड किया उन्हें एक परेशानी थी कि शायद बाजार भाव मिलने से भी काश्तकारों की परेशानी दूर नहीं होगी। इस के लिये मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि जिसे हम बाजार भाव कहते हैं वह शायद पैसे के ही रूप में ही समझा जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाजार भाव से मतलब है खुली छट सौदा करने की। जब कोई मालदार आसामी जमीन लेने के लिये आयेगा तो काश्तकार की इस बात की खुली छूट होगी कि वह उस का पूरा पूरा पैसा मांग ले या अपनी और शर्तें भी उस के सामने रक्खे। पैसा ले और उस के साथ साथ उस एन्टरप्राइज में नौकरी मांगे, पैसा ले और उस जमीन के मुतहक थोड़ी जमीन ठके के रूप में, होटल खोलने के लिये या सब्जी सप्लाई करने के लिये ले ले या इसी प्रकार की कोई और चीज मांग सके। तो बाजार भाव का मतलब पैसे की कीमत से ही हल नहीं हो जाता। बाजार भाव से मतलब है कि बाजार में सौदा करने का उसे अधिकार मिलना चाहिये। ऐसा ही इस सदन के इधर के पक्ष ने और उधर के पक्ष ने कहा।

मेरा तो निवेदन यह है कि जब हर तरफ से एक ही आवाज गूंज रही है कि इस में खेती खतरे में है और खेतिहर खतरे में है तो मैं समझता हूं कि हमारे पाटिल साहब और डा० राम सुभग सिंह को इस ओर ध्यान देना चाहिये। डा० राम सुभग सिंह से मेरा थोड़ा सा परिचय कमेटियों के सिलसिले में हुआ है। मैं जानता हूं कि उन के दिल में बड़ा दर्द काश्तकार के लिये है और जमीन की पैदावार बढ़ाने के बारे में भी उन के अन्दर बड़ा दर्द है। हर तरह की परिस्थितियां आती है। हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां आई हों जिन में यह संशोधन लाना पड़ा। कई चीजों के लिये हमारे माननीय दोस्त ने भी कहा कि जमीन एक्वायर करनी ही पड़ेगी और बहुत से ऐसे केसेज होंगे जिन में जमीन एक्वायर किये बगैर काम चलेगा नहीं। हमारे माननीय मिनिस्टर साहब के सामने भी ऐसे सवालात आये होंगे जिन के कारण उन को यह संशोधन रखना पड़ा। मैं समझता हूं कि उन के दिल की गहराई इस बात से नापी जा सकती है कि चार छः रोज हुए जब पहले यह बिल पेश किया गया था और उन्होंने देखा कि सदन में बड़ा शोर शराबा है और लोगों में परेशानी है तो उन्हों ने समय चाहा और समय चाहने के बाद अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा कर यह नया संशोधन लाये? इत्तिफाक है कि उस से भी वह डिजायर्ड इफैक्ट क्रिएट नहीं हो सका जो हम चाहते थे। आज और संशोधन आ रहे हैं और हो सकता है कि आगे भी हम इस प्रकार के संशोधन न कर सकें कि जिस में हम समझ सकें यह अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गया और हम ऐसा संशोधन ले आये हैं कि इस से आग कोई और संशोधन नहीं आ सकता और लाना मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों इसे प्रेस्टीज का इश्यू बना कर यह सोचा जाता है कि जो भी संशोधन आ गये हैं उन में से किसी को न मानेंगे और इस अमेंडमेंट बिल को पास करा कर छोड़ेंगे तभी इज्जत बचेगी, वरना इज्जत किरकिरी हो जायगी। मैं समझता हूं एसा सोचना ठीक नहीं है।

एक संशोधन है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को दे दिया जाये और सिलेक्ट कमेटी में इस पर आगे विचार चले क्योंकि अभी हाउस की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इतने सदस्य इस पर बोले, कल का दिन पूरा दिया गया, और आज भी मैं समझता हूं कि देर हो जाने के कारण सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी सरगर्मी आज पैदा हुई है कल उस से ज्यादा पैदा होगी क्योंकि हर एक के दिल में परेशानी है और बावैला मचा हुआ है।

[श्री ब्रजराज सिंह]

अभी हमारे एक पंजाब के मित्र बोल रहे थे कि वे गिर गये। उन के दिल में बड़ा धक्का लगा मालूम होता है क्योंकि वह बोलना कुछ चाहते थे लेकिन बोलना कुछ और पड़ रहा था इस ख्याल से नेता लोग नाराज न हो जायें।

मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं कि जहां इस प्रकार की चीजें चल रही है। आप ध्यान से देखें तो आप को पता चलेगा कि देश के लिये आज कुछ चीजें ऐसी है जिन के लिये हम कह सकते है कि उन की बड़ी जरूरत है, कुछ चीजों के लिये कह सकते हैं कि बीच की जरूरत है और कुछ अंडरटेकिंग्स ऐसे है जिन के लिये हम कह सकते हैं कि उन की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

बरेली के उत्तर में एक एयरोड्रोम बनाया जा रहा है। यह बड़ी पुरानी स्कीम थी। पहले एक एयरोड्रोम की जरूरत पड़ी थी और उस वक्त वह नहीं बनाया जा सका। खाली लेंडिंग ग्राउंड बना कर छोड़ दिया गया था। अब चाइना इश्यू के कारण उसकी जरूरत महसूस हुई और करीब ३५०० या ४००० बीघा जमीन उसके लिये ले ली गयी जिससे पांच गांव इफेक्टेड हो गए हैं। ये पांच गांव इस प्रकार के हैं कि ये गांव तो बाहर रह जाते हैं और इनकी जमीन एयरोड्रोम में आ जाती है। तो इस तरह से वह जमीन ले ली गयी है। एक प्रोपोजल आया था कि एक तरफ से जमीन ले ली जाए जो कि एक बड़े काश्तकार की थी। अगर वह जमीन ले ली जाती तो ये पांच गांव बच जाते। मगर जो मैशिनरी आज काम कर रही है लैंड एक्वीजीशन की वे छोटे गरीब काश्तकार की बात नहीं सुनती, वह तो बड़े आदमी की बात सुनती है जिसके पास इतना पैसा हो कि वह सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले जा सके। उसका उनको डर लगता है कि यह अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक ले जायगा और जीत कर आ जायगा। उससे उनको डर लगता है। डर नहीं लगता छोटे काश्तकारों से। इसलिए इन पांच गांवों की जमीन ले ली गयी। मैं समझता हूं कि वहां के लोग हर पार्टी के लोगों के पास गये और उन्होंने उनको ठीक सलाह दी। मेरे पास भी आये। मैं ने भी उन से कहा कि यह नेशनल यूटिलिटी की चीज है। इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम मत घबराओ, तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। मैं ने उनको आश्वासन दिया कि तुम को सिंथेटिक रबर फैक्टरी में काम दिलाने की कोशिश करेंगे और तुम को फिर कलेक्टर और कमिश्नर साहब के पास ले चलेंगे। हम ने उनको आश्वासन दिया कि तुम को सिंथेटिक रबर फैक्टरी में काम दिलवाया जायगा। मगर आप देखें कि सिंथटिक रबर फैक्टरी में क्या हो रहा है। उसको भी इसी प्रकार के छोटे छोटे काश्तकारों की जमीनें ले कर बनाया गया है। पहले जब उनकी जमीनें ली गयीं तो वे स्टे आर्डर ले आये और उन्होंने अपनी फसलें बोदीं लेकिन उनकी फसलें फिर काट दी गयीं। इस तरह से तीन तीन चार चार फसलें लोगों की खराब हो गयीं। और जिन लोगों की जमीनें ली गयी थीं उनको ही उस फैक्टरी में चौकीदारी नहीं मिलती, जिनकी जमीनें ली गयी थीं उनको उस में नौकरी नहीं मिलती, उनको वहां ठेके नहीं मिलते। इसलिए जो इन लोगों को जिनकी साढ़े तीन हजार या ४००० बीघा जमीन एयरोड्रोम के लिए ले ली गयी है, उस फैक्टरी में काम दिलाना नामुमकिन था। नतीजा यह हुआ कि इस रिजेंटमेंट की वजह से आज बरेली में पांच हजार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वे गरीब आदमी हैं। उनके लिए पुलिस बुलायी गयी। मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया गया और उनकी घड़ियां, फाउनटेन पैन, पैसे आदि पुलिस ले गयी। यहां पर उसके लिए हम ने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया लेकिन वह नामंजूर हो गया।

डा० मा० श्री० अण (नागपुर) : कितने दिन पहले की बात है ?

श्री अजराज सिंह : अभी चल रहा है । उसके बाद हमने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया कि शायद इसका उत्तर देने में मंत्री जी को कोई परेशानी न हो । और मैं इस इन्तिजार में बैठा था कि जैसे ही मिनिस्टर साहब का उत्तर मिलेगा मैं उन लोगों से जा कर कहूंगा कि हम ने तुम्हारी आवाज मिनिस्टर साहब के पास तक पहुंचा दी है । तुम घबराओ मत, कुछ न कुछ तुम्हारे लिए किया जायगा । लेकिन कुछ नहीं हुआ । उसके अलावा हम ने एक साधारण क्वेश्चन दिया । उसका उत्तर आ गया कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है हम को उससे कोई मतलब नहीं । तो इस प्रकार यह बात खत्म हो गयी । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिंथटिक रबर फैक्टरी में सारा सेंटर का ही पैसा लग रहा है । लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया जाता ।

कहा जाता है कि काश्तकार मुकदमा जीत कर आ जाते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट तक से मुकदमा जीत कर आ जाते हैं । लेकिन छोटे काश्तकार का हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो क्या वह छोटी अदालतों में भी मुकदमा नहीं लड़ सकता । यह तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और वे लोग भी जो नजीर ले कर आ जाते हैं उस का फायदा गरीब काश्तकार तक नहीं पहुंचने दिया जाता । जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था उससे एक आदमी को फायदा पहुंच गया लेकिन वह मासेज तक नहीं पहुंच पाया और यह अमेंडमेंट यहां ला कर रख दिया गया । हो सकता है कि काश्तकार इसका मुकाबला न कर सकें । पर मैं अपने मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाने की कृपा न करे । व्हिप के द्वारा जबरदस्ती वोट मांग कर इसको पास कराने का यत्न न करें ।

मुझे मालूम है कि उनके हृदय में दर्द है काश्तकार के लिए और उसकी खेती के लिए । इसलिए मैं आशा करता हूं कि वह इस बात को जरूर सोचेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बीरवार, ३० अगस्त १९६२/भाद्रपद ८, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २९ अगस्त, १९६२

७ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२२२५—४९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६६७	भ्रष्टाचार-विरोधी समिति	२२२५—२८
६६८	कोयले के 'डम्प' बनाना	२२२८—३०
६६९	दिल्ली में नई शिक्षा संहिता	२२३०—३२
६७०	विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान	२२३२—३३
६७१	तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले के लक्ष्य	२२३३—३५
६७२	दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६०	२२३५—३७
६७३	तेल की पाइप लाइनें	२२३७—३९
६७४	कोयला धोने के कारखाने	२२३९—४१
६७५	इस्पात और कच्चे लोहे की कीमतें	२२४१—४२
६७६	तेल शोधक कारखानों में राज्यों की सहभागिता	२२४२—४३
६७७	होंगनाक्कल जल-विद्युत् परियोजना	२२४३—४४
६७८	विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा	२२४४—४६
६७९	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	२२४६—४७
६८०	पेट्रो-कैमिकल उद्योगों का विकास	२२४७—४८
६८१	गुजरात तेल कूपों से रायल्टी	२२४८—४९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२२४९—२३०६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६८२	भारतीय एवरेस्ट अभियान दल	२२४९—५०
६८३	चतुर्थ योजना काल में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य	२२५०
६८४	राजस्थान में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत	२२५०
६८५	मिजो पहाड़ियां	२२५१
६८६	मोटर गाड़ियों के "लीफ स्प्रिंग" का निर्यात	२२५१—५२
६८७	तेल पर रायल्टी	२२५२
६८८	दिल्ली में कोयला गैस संयंत्र	२२५२—५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६८९	बम्बई में स्टेनलैस स्टील के कारखानों का बन्द हो जाना	२२५३
६९०	प्रशिक्षण तथा भरती सम्बन्धी सलाहकार समिति	२२५३
६९१	कोयला निगम	२२५४
६९२	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विदेशों को भेजे गये भारतीय प्रविधिज्ञ	२२५४
६९३	गुजरात में पाइप लाइन	२२५४–५५
६९४	अंग्रेजी साप्ताहिक "लिंक" के भवन के लिये पेशगी	२२५५
६९५	समवर्ती विषय के रूप में शिक्षा	२२५५–५६
६९६	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण	२२५६
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१८९७	भारत की अर्थ-व्यवस्था	२२५६–५७
१८९८	कांगड़ा में चांदमारी	२२५७
१८९९	आंग्ल-भारतीयों का वर्गीकरण	२२५७
१९००	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	२२५८
१९०१	मनीपुर में हत्या के मामले	२२५८–५९
१९०२	पंजाबी नाटकों के लिये अनुदान	२२५९–६०
१९०३	लौह अयस्क का उत्पादन मूल्य	२२६०
१९०४	इंडो-कमर्शियल बैंक के खातेदारों को भुगतान	२२६०
१९०५	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२२६१
१९०६	आन्ध्र प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्र	२२६१
१९०७	आन्ध्र प्रदेश के लिये कोयला	२२६१–६२
१९०८	आन्ध्र प्रदेश के महालेखापाल के कर्मचारियों के लिये निवास व्यवस्था	२२६२
१९०९	उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्र	२२६२–६३
१९१०	मैथिली भाषा	२२६३
१९११	डा० ए० के० गायन की रिपोर्ट	२२६३
१९१२	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतनों की कटौती लौटाना	२२६३–६४
१९१३	दिल्ली में पशुओं की हत्या करने वाला गिरोह	२२६४
१९१४	दूसरी श्रेणी के कोयले का मल्य	२२६४
१९१५	शिलांग स्थित लेखापरीक्षा कर्मचारी संघ	२२६४–६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतरांकित प्रश्न संख्या		
१९१६	गार्डन रीच वर्कशाप	२२६५
१९१७	दिल्ली में अपराध	२२६५
१९१८	राज्यों के लिये इस्पात और कच्चे लोहे का अभ्यंश	२२६६
१९१९	"संस्कृति"	२२६७
१९२०	"कल्चरल फोरम"	२२६७
१९२१	मशीन निर्माण उद्योग	२२६७–६८
१९२२	बालकला प्रदर्शनी	२२६८
१९२३	अम्बाला–करनाल और रोहतक क्षेत्रों के लिये कोयला	२२६९
१९२४	राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें	२२६९–७०
१९२५	गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर में कर्म समिति के निर्वाचन	२२७०
१९२६	इस्पात कारखानों की लागत	२२७०–७१
१९२७	इस्पात कारखानों में विदेशी कर्मचारी	२२७१
१९२८	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	२२७१–७२
१९२९	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	२२७२–७३
१९३०	व्यायाम प्रशिक्षण और युवक कल्याण योजनायें	२२७३
१९३१	स्वेच्छा से हिन्दी प्रचार करने वाले संगठनों को सहायता	२२७३–७९
१९३२	सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति नोटिस	२२७४
१९३३	बहु-प्रयोजनीय ट्रेक्टर	२२७४
१९३४	अपंग व्यक्ति	२२७५
१९३५	तेल शोधक कारखाने	२२७५
१९३६	निर्यात का कम और आयात का अधिक बीजक बनाना	२२७६
१९३७	मैसूर सरकार को अनुदान	२२७६
१९३८	दिल्ली शिक्षा विभाग	२२७६
१९३९	राजस्थान में अहर के पास खुदाई	२२७७
१९४०	जनसंख्या का नकशा	२२७७
१९४१	संस्कृत	२२७७–७८
१९४२	भारत-चीन सीमा	२२७८–७९
१९४३	इस्पात कारखानों में आर्मर प्लेटों का उत्पादन	२२७९
१९४४	विदेशी कलाकार	२२७९

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९४५ रूरकेला की धमन भट्टी संख्या ३ का खराब हो जाना . २२८०
१९४६ भारतीय विनियोजन केन्द्र . . . २२८०–८१
१९४७ तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क सम्बन्धी न्यायाधिकरण . २२८१
१९४८ अन्दमान द्वीपसमूह का समुद्रीय सर्वेक्षण . २२८१
१९४९ दर्रांग नमक खानों में छिद्रण . . . २२८१
१९५० तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और मजदूर सभा के बीच करार २२८२
१९५१ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के परिवारों के लिये मकान .. २२८२–८३
१९५२ मछेरला सीमेंट फैक्टरी २२८३
१९५३ आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां . . २२८३
१९५४ अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट
१९५५ प्राथमिक शिक्षा निकाय . . . २२८४
१९५६ भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग . . . २२८४
१९५७ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये हमारे खिलाड़ी . २२८४–८५
१९५८ सशस्त्र सेनाओं में भरती के लिये शारीरिक उपयुक्तता . २२८५
१९५९ सेना की टुकड़ियों का कल्याण . २२८५
१९६० पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा पर रोक . २२८६
१९६१ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित पुस्तकालय . २२८६
१९६२ सेक्शन अफसरों का वेतन . २२८६–८७
१९६३ धालेश्वर में बस्ती (टाउनशिप) में २२८७
१९६४ नरसिंहगढ़ में निर्मित क्वार्टर . २२८७
१९६५ द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें २२८७
१९६६ शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय २२८७–८८
१९६७ प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों को पेंशन . २२८८
१९६८ आदिम जाति खण्ड . २२८८–८९
१९६९ दिल्ली में जनता कालिज . २२८९
१९७० प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . २२८९–९०
१९७१ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारी . २२९०
१९७२ पंजाब पिछड़े वर्ग (ऋण देना) अधिनियम का मनीपुर में विस्तार २२९०
१९७३ मनीपुर प्रशासन कर्मचारियों का वेतन क्रम २२९१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९७४	जेट ट्रेनर	२२९१
१९७५	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	२२९१–९२
१९७६	"त्रिपिटक" का हिन्दी अनुवाद .	२२९२
१९७७	अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट . . .	२२९२
१९७८	हिमाचल प्रदेश में देशी रियासतों के शासकों से जायदाद की खरीद	२२९३
१९७९	हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले . .	२२९३
१९८०	विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये पुस्तकें	२२९३–९४
१९८१	आन्ध्र प्रदेश के लिये सीमेंट . . .	२२९४
१९८२	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वित्तीय शक्तियां .	२२९४–९५
१९८३	दूसरा भाषा सम्मेलन	२२९५
१९८४	लक्कादीव में चट्टानों को फोड़ना .	२२९५
१९८५	अलवर में तांबे के निक्षेप	२२९६
१९८६	इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पढ़ाई केन्द्र .	२२९६
१९८७	रेयन फैक्टरी	२२९६–९७
१९८८	सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये अधिक समय काम करने का भत्ता .	२२९७
१९८९	सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारी	२२९७
१९९०	पंजाब में गैस और तेल . .	२२९८
१९९१	प्रागा टूल्स कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश . .	२२९८–९९
१९९३	मैसूर में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण .	२२९९
१९९४	सीमेंट के दाम .	२२९९
१९९५	तीसरी योजना के भूभौतिकीविज्ञ .	२३००
१९९६	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था .	२३००
१९९७	दक्षिण में इस्पात संयंत्र . .	२३०१
१९९८	कोयले की ढुलाई . . .	२३०१–०२
१९९९	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन .	२३०२
२०००	अंकलेश्वर तेल	२३०२
२००१	आसाम के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात .	२३०२–०३
२००२	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	२३०३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२००४ दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम . . २३०३–०४
२००५ दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम . २३०४
२००६ भारतीय नृत्य तथा संगीत अकादमी . २३०४
२००७ रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये उपकरण . . . २३०५
२००८ न्यू सिटीज़न बैंक आफ इंडिया का बैंक आफ बड़ौदा के साथ मिलाया जाना २३०५
२००९ तम्बाकू की खेती . २३०६
२०१० कोयला जल विद्युत् परियोजना २३०६

निधन सम्बन्धी उल्लेख २३०६–०७

अध्यक्ष महोदय ने डा० बख्शी टेक चन्द के, जो भारत की संविधान सभा और अन्तःकालीन संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २३०७–१०

(१) श्री मनी राम बागड़ी ने २४ अगस्त, १९६२ को दार्जिलिंग जिले के मिरिस पुलिस स्टेशन में एक झौंपड़ी पर नेपाली सैनिकों द्वारा कथित गोली चलाये जाने की ओर, जिसके फलस्वरूप दो भारतीयों की मृत्यु हो गई, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री स० मो० बनर्जी ने नेपाल रायल एयरलाइन्स के एक विमान के कथित लापता होने की ओर, जिसमें भारतीय दुर्घटना निरीक्षक, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव और चार अन्य व्यक्ति थे, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३१०–११

(१) त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १९८ के अधीन दिनांक १० अप्रैल, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधि-सूचना संख्या एफ० ७०(३७) रेव/५९-खण्ड-२ की एक प्रति, जिसमें

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(२) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २९६ के अधीन निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०२९ में प्रकाशित आय-कर (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १० अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६५ में प्रकाशित आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २३११

सांतवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २३११–१४

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नाली दार चादरों के वितरण के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित २३१४–२०

नागालैंड राज्य विधेयक पर अग्रेतर खंड वार चर्चा जारी रही तथा समाप्त हुई : विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन २३२०–४६

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा २१ अगस्त, १९६२ को उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर चर्चा जारी रही । विधेयक को, उस पर राय जानने के लिये परिचालित करने के बारे में श्री रा० बरुआ का संशोधन अस्वीकृत हुआ । श्री दाजी के विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में संशोधन पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ४१ : विपक्ष में १५०, संशोधन तदनुसार अस्वीकृत हुआ । विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयक पर खडं वार चर्चा आरम्भ हुई किन्तु समाप्त नहीं हुई ।

वीरवार, ३० अगस्त, १९६२ / ८ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर खंड वार विचार तथा उसका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1798 (Ai) LS—29-12-62—140